खण्ड-431, अंक-5
गुरूवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1921
(22 जुलाई, 1999 ई0)

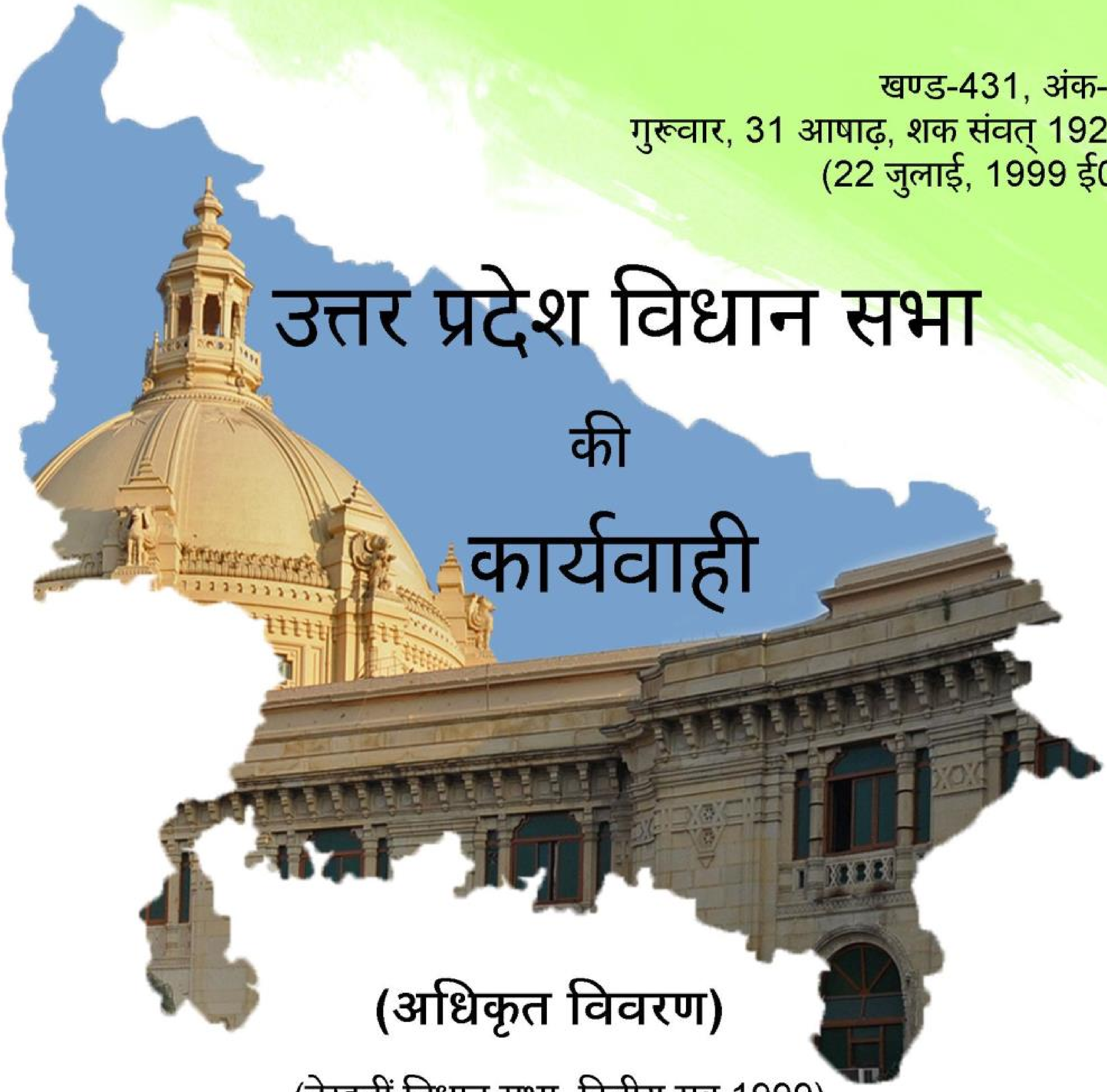

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1999)

खण्ड 431 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
–नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाए जाने का प्रयास ...	1
–प्रश्नोत्तर	1–27
–प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	27–28
–नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	28
–श्रावस्ती किसान चीनी मिल बहराइच में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं निरन्तर हो रहे घाटे की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
–जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
–मेरठ विश्वविद्यालय हेतु मांगे गये पदों की स्वीकृति देने एवं भर्ती पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	29–30
–जनपद बांदा की अनेथुआ देवरार रोड का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30
–चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा सोनभद्र आदि जनपदों में आंवला तथा तेंदुपत्ता तोड़ने, संग्रह करने तथा बाजार में बेचने का अधिकार आदिवासियों को दिये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30–31
–जिला पंचायत जनपद बाराबंकी में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31
–विद्युत सब स्टेशन अहिबरनपुर लखनऊ में मोहल्ला भरत नगर में टूटे हुए पोलों तथा लकड़ी की लगी बल्ली के स्थान पर नए पोल लगाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31–32
–विधान सभा सत्र के दौरान दि० 22-7-99 को नगरपालिका परिषद् टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर की बैठकें आहूत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	32–33
–नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का उत्तर चार माह के उपरान्त भी न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	33
–जनपद महराजगंज में नौतनवां कस्बा निवासी कारगिल में शहीद हुए स्वर्गीय श्री पूरन बहादुर थापा के दाह संस्कार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के सम्मिलित न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	33
–पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को अविलम्ब कार्यान्वित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा का कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	33–35
–प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में उनकी संस्तुति पर पांच गांवों का विद्युतीकरण किये जाने सम्बन्धी ऊर्जा मंत्री की घोषणा का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	35–36

विषय	पृष्ठ-संख्या
–बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शत-प्रतिशत नौकरी में लिए जाने सम्बन्धी सरकार द्वारा की गई घोषणा का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	36–37
–देवनागरी इण्टर कालेज में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर समायोजन से उत्पन्न स्थिति तथा प्रदेश में बड़ी फैक्ट्री मालिकों द्वारा बन्द पड़ी फैक्ट्रियों हेतु कोयले पर करोड़ों रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर ब्लैक मेलिंग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	37–39
–फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर एक अध्यापक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	39
–श्रीमती गौरी देवी स०वि०स० द्वारा क्षेत्र के बन्धों के जर्जर होने तथा उनके कटने से बाढ़ से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में चिन्ता	39–40
–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	40
–उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40
–उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40-41
–उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
–उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
–उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
–जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में बी०यू०ए० राजमार्ग के किनारे वन विभाग का विश्राम भवन बनवाये जाने के संबंध में श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	41
–जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर स्थित ग्राम पाटन में भवन निर्माण,सृजन एवं वाहन आदि की स्वीकृति दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	42
–जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर स्थित ग्राम पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राजकुमार चौधरी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	42
–जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं० सुमेर शुक्ल की आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के संबंध में श्री वासुदेव सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	42
–विधान सभा की पूर्व सदस्य एवं मंत्री डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त करने हेतु व्यवस्था का प्रश्न	42

विषय	पृष्ठ-संख्या
–कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	43-44
–वित्त विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के बारे में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 व 11 जून, 1999 के क्रम में सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी शासनादेश केन्द्रित रूप से जारी किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	44-45
–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित)	45
–उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित)	45-46
–उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 ...	46
–विधेयकों के पुरःस्थापन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)... ...	46-47
–उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित) ...	47-48
–कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	48-81
–उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित)...	81
–विधेयकों के पुरःस्थापन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	81-83
–दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (पारित)	83-85
–उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (पारित)	85-86
–"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करें कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इससे पूर्व में विघटित न की जाय।" के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (चर्चा के उपरान्त सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस)	87-90
–प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर सरकार द्वारा प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा	90-100
–प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जनस्वास्थ्य की हानि से उत्पन्न गंभीर समस्या के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा	100-114
–उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो दिनांक 26 फरवरी, 99 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–216(4) के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन	114
–नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	114-116
–स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन की मेरठ स्थित कताई मिल की बन्दी से मजदूरों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	117-118

विषय	पृष्ठ-संख्या
–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के ज्ञानपुर में प्रस्तावित 33 के०वी०ए० पावरहाउस सेमरानाथ तथा रमईपुर में निर्माण किये जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	118
–प्रदेश में फर्जी फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा करोड़ों/अरबों रुपयों का घोटाला किये जाने एवं जनता को धोखा देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	118-119
–प्रदेश में नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के फलस्वरूप छात्र एवं छात्राओं के प्रवेश में हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम सिंह सैनी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	120-121
–चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के कर्मचारियों को गत 20 वर्षों से मिल रही चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वाहन भत्ता व शिक्षा सहायता सुविधाओं को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	121-123
–जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत केदार नाथ में 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	123
–जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगर पालिका परिषद् दुगड्डा के कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक समय से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	124
–जनपद आजमगढ़ के आई०टी०आई० स्कूल मेंहनगर को आजमगढ़ शहर में न चलाकर मेंहनगर मुख्यालय पर पुनः चलाये जाने के संबंध में श्री रामजग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	125
–प्रदेश में उन क्षेत्रों में जिनमें नहर होने के बावजूद सिंचाई हेतु किसानों को पानी न मिल पाने की दशा में भी उनसे सिंचाई शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गई सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	125
–खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाने, रसायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुआई के समय होने वाली रसायनिक खादों की कमी को दूर करने के विषय में श्री राजधारी, डा० रामबाबू हरित तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	125

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बृहस्पतिवार दिनांक 22 जुलाई, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
3–अमर मणि, श्री — महराजगंज
4–अमीर आलम खान, श्री — मुजफ्फरनगर
5–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
6–ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
7–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
8–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
9–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
10–के०सी० सिंह "बाबा", श्री — उधमसिंह नगर
11–कौशल किशोर, डा० — खीरी
12–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
13–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
14–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
15–छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
16–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
17–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया — गोरखपुर
18–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
19–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
20–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर — एटा
21–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
22–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
23–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
24–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
25–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
26–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
27–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
28–बचनूराम पटेल, श्री — वाराणसी
29–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
30–बाबूराम, श्री — जालौन
31–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
32–महेन्द्र कुमार, श्री — सीतापुर
33–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
34–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
35–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
36–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
37–राज राय सिंह, श्रीमती — पीलीभीत
38–राजेन्द्र यादव, श्री — गाजीपुर
39–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
40–राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
41–राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
42–राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
43–राम आसरे सिंह कुशवाहा, श्री — कानपुर नगर
44–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
45–रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
46–राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
47–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
48–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
49–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री — मैनपुरी
50–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
51–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

52–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
53–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
54–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
55–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
56–शिव शंकर, श्री बांदा
57–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
58–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
59–श्रीनिवास मणि, श्री देवरिया
60–सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
61–सुधाकर सिंह, श्री मऊ
62–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, 22 जुलाई, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों का आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए ।

श्री अध्यक्ष–

जो पहला अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हैं वह इसी से संबंधित हैं । नियम 56 में भी यह सूचना प्राप्त हुई थी परन्तु वह नहीं ली गयी ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1

प्रदेश में सरकारी, अर्द्धसरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कोटा पूर्ण करने के संबंध में विशेष भर्ती अभियान चलाने की सरकार की योजना

**1–श्री रामजग तथा श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी, अर्द्धसरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कोटा पूरा कराने हेतु क्या सरकार कोई विशेष भर्ती अभियान चलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में प्राविधान है कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने हेतु विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय । इस प्रकार आरक्षण कोटा पूरा कराने हेतु विशेष भर्ती का स्पष्ट प्राविधान है ।

आरक्षण कोटा पूर्ण करने की प्रक्रिया अनवरत है व इसी कारण एक रोस्टर भी बनाया गया है । अतः इसके लिये निश्चित तिथि नियत करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न श्रेणी में पूरे उत्तर प्रदेश में कितने आरक्षित पद खाली हैं । जैसे कि अपने उत्तर में कहा है कि आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए विशेष भर्ती का स्पष्ट प्राविधान है । अगर प्राविधान है तो अब तक रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा गया है ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो आज सरकारी नौकरियों में मौजूद अनुसूचित जाति, जनजातियों के पदोन्नति वाले रिक्त स्थान हैं उनको भरा नहीं जा रहा है जबकि दूसरे श्रेणी के लोगों की पदोन्नति हो रही है ? ऐसा हर विभाग में देखा गया है कि उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, अभी दिसम्बर, 98 में समूह "ग" भर्तियों द्वारा इस बात का प्रयास, किया गया है जो आरक्षण अधिनियम है उसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत पदों को आरक्षित समूह से भरा जाय और उस दिशा में काफी प्रयास किया गया है। दूसरा जो प्रश्न किया गया है कि जो पद पदोन्नति के आरक्षण कोटे के हैं उनको नहीं भरा जा रहा है तो इन दो वर्षों में इस बात का प्रयास किया गया है कि वह कोटा भरा जाय। जहां मानक में कमी करने की आवश्यकता पड़ती है। मानकों को शिथिल करके भरने का प्रयास किया है।

श्री राम जग–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति के कितने पद खाली हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सभी श्रेणियों की सूचना उपलब्ध नहीं है। दिनांक 1-1-96 को एक सूचना मंगाई गई थी उसमें जो प्रतिशत था वह ए-श्रेणी में 8.78 प्रतिशत, बी-श्रेणी में 10.32 प्रतिशत, सी-श्रेणी में 16.30 प्रतिशत और डी-श्रेणी में 20.07 प्रतिशत, इसमें स्वीपर्स को छोड़ते हुए आरक्षण विद्यमान था।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, वर्ष 1994 के बाद अभियान चलाकर कितनी बार नियुक्तियां की गई ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, वर्ष 1997 में विशेष भर्ती के द्वारा रिक्तियों को भरे जाने के लिए शासनादेश हुआ। उस संदर्भ में दि० 10 मई, 1997 को इससे कुछ पद विज्ञप्ति किये गये थे, माननीय उच्च न्यायालय में जिसे चैलेंज किया गया, उसमें शत-प्रतिशत पद आरक्षित करने के लिए विस्थापित किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या–30542 के अन्तर्गत डा० शशीकान्त बनाम उत्तर प्रदेश सरकार–20500 उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये कि यह शत-प्रतिशत आरक्षित समूह को सीधी भर्ती अवैधानिक है। मान्यवर, जो आरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान किया गया वह प्राविधान यह है कि पहले जितनी रिक्तियों में उस चयन वर्ष में संबंधित विभागों के भीतर हैं उसमें 50 प्रतिशत अनारक्षित और 50 प्रतिशत आरक्षित भर्तियां की जायेंगी और उसी के अनुसार विज्ञापन निकाला जायेगा। यदि आरक्षित समूह की भर्तियों की बावजूद भी रिक्तियां रह जाती है तो तब विशेष भर्ती का प्राविधान है। जितने पद आरक्षित समूह के रिक्त रह जायेंगे, उसमें विशेष भर्ती करने पर कार्यवाही की जायेगी यह तीन बार प्रक्रिया चलेगी पूर्ति न होने पर फिर अगले साल चयन वर्ष के लिए अग्रेनित कर दी जायेंगी।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि कुल कितनी बार भर्ती कराई गई और कितनी भर्ती हुई ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभी 1998 में व्यापक पैमाने पर समूह "ग" के अन्तर्गत भर्तियां कराई गयी हैं और वर्ष 96-97 में भी कुछ भर्तियां कराई गयी हैं जिनका विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, 1994 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सेवा के विशेष अवसर देने के लिए जिस प्राविधान को किया गया था उसी क्रम में आज

का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि समूह "ग" की भर्ती तो पूरी तरह से धोखा है इसी नाम पर इस प्रदेश को धोखा देने का कार्य किया गया है मान्यवर, उसमें अनुसूचित जाति के कुल जिलावार कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है और दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेष अभियान चलाकर सरकार ने अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थियों को सेवा दी है ? मान्यवर, यह हमारा प्रश्न सीधा-सीधा है माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने इस पर कह दिया है कि इसकी सूचना नहीं है । मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 प्रभावी है, को सरकार ने अप्रभावी मान लिया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह प्रभावी है और उसको लागू करने में उसको क्रियाशील करने के लिए सरकार ने काफी व्यापक कदम उठायें हैं । उदाहरण के तौर मैं बताना चाहता हूं और उसकी प्रतिलिपि आपके पास और माननीय सदस्य के पास भेजे देता हूं । मान्यवर, 20-7-99 को अभी सचिवालय प्रशासन में टंकक पद के लिए भर्तियां की गई हैं उनका परीक्षा परिणाम आया है, इसको इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको पता लगे जबकि आपकी जो चिन्ता है उसकी ओर सरकार कितना प्रयत्नशील है, आपकी चिन्ता का समाधान हो सके । 290 पदों के कुल परिणाम आये और 290 में से 62 पद अनुसूचित जाति को, 5 पद अनुसूचित जनजाति को, और 81 पद अन्य पिछड़े वर्ग की अभ्यर्थी आरक्षण के अन्तर्गत चयनित हुए । इस प्रकार 50 प्रतिशत आरक्षण फुलफिल हो गया शेष अनारक्षित 50 प्रतिशत के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 10 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 55 का मैरिट पर चयन हो गया और इस तरह से आप समझेंगे कि कितनी तेजी के साथ आरक्षण की प्रक्रिया को फुलफिल करा रहे हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, जब कोई भर्ती की जाती है किसी भी श्रेणी में और किसी वर्ग में तो यह निश्चित जानकारी कर ली जाती है कि कितने पद खाली हैं और उन खाली पदों के लिए कोशिश की जाती है कि उनकी भर्ती की जाए । अखबार में निकाला जाता है और प्रक्रिया चालू की जाती है तो वर्ष 97–98 और 98–99 में कितने अनुसूचित जाति और पिछड़े जाति के लोगों का कोटा जो भरा नहीं गया है उनकी संख्या विभिन्न वर्गों में क्या रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 1990 में समूह "ग" के पद पर ....

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का बतायें । मैं समूह "ग" की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ष 1996 में जो सूचना थी ...

श्री धनीराम वर्मा–

मैं 97-98 तथा 98-99 के बारे में जानकारी चाह रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष–

जानकारी है तो बता दीजिये, नहीं है तो वैसा बता दीजिये कि नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जो पद भरे गये थे, उसका प्रतिशत व संख्या 1998 की उपलब्ध नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप मंत्री जी के उत्तर से शायद भली-भांति संतुष्ट हो गये होंगे । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के जो स्थान रिक्त थे, उनको भरने की इस सरकार की कोई मंशा नहीं थी । मंशा होती तो सबसे पहले जानकारी की होती कि फलां श्रेणी में इतने पद रिक्त हैं और जब सूचना आ जाती, तब उनको भरने का प्रयास किया होता । किंचित मात्र भी इनकी मंशा इन पदों को भरने की नहीं थी, इसीलिये जानकारी करने की परेशानी ही नहीं उठाई । इससे स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार, इन जातियों के लोग सरकारी नौकरियों में न आने पायें, यही चाहती है, इसलिये श्रीमन् हमारा दल इस सदन का, इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बहिष्कार करता है ।

(नेता विरोधी दल तथा समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन से बाहर चले गये ।)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । वर्ष 1994 में यह ऐक्ट लागू हुआ और 1994 के बाद विभिन्न श्रेणियों की कितनी भर्तियां हुई क्योंकि जब भर्तियां हुई तो उसमें 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग का रहा होगा, यदि वह कोटा पूरा नहीं हुआ, तभी विशेष भर्ती अभियान का प्रोवीजन बनता है और यदि 3 बार भर्ती प्रक्रिया करने पर भी कोटा पूरा नहीं होता है तो सामान्य और दूसरे वर्गों से उसे भरा जायेगा । मैं जानना यह चाहता हूं कि वर्ष 1994 से चारों श्रेणियों में रिक्त पदों का प्रतिशत/संख्या क्या है और क्या सरकार उसे विशेष भर्ती अभियान चलाकर पूरा करने पर विचार करेगी, उन सभी जगहों पर, जहां-जहां आरक्षण लागू होता है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि समूह 'क' और 'ख' के जो पद हैं, वह लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं, और आरक्षण को ध्यान में रखकर ही उस को अधियाचना भेजी जाना है । मान्यवर, वर्ष, 1991 से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती पर प्रतिबन्ध था और पहली बार इस सरकार ने वर्ष 1998 में समूह 'ग' की भर्ती को खोला है और आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखकर भर्ती की गयी हैं और सरकार प्रयत्नशील है कि आरक्षण का कोटा पूरा किया जाये ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उसको पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार आरक्षण के कोटों को पूरा करने के लिये कब तक सक्षम हो जायेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं नियमों को पढ़कर अभी सुनाया है । पहले सीधे भर्ती होगी और फिर जितने पद खाली रह जायेंगे उनके लिये विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा भर्ती की प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जायेगी ।

श्री राम नरेश यादव–

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री जी ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है, इसलिए मैं और दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री राम नरेश यादव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, किसी भी श्रेणी में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हैं। सी श्रेणी में 16.3 प्रतिशत है बी श्रेणी में 10 प्रतिशत है और ए श्रेणी में भी इसी प्रकार से कुछ है। इस प्रकार से आरक्षण कोटा पूरा नहीं है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सरकारी नौकरियों के बारे में दिया है, जो अर्द्धसरकारी संस्थायें हैं उनमें क्या आरक्षण का कोटा पूरा है, इसको भी बता दें। उसको पूरा करने के लिये माननीय मंत्री जी ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

समूह "ग" में आरक्षण विद्यमान है। 10-1-96 का रिकार्ड है।

श्री अध्यक्ष–

आप शेष रिक्तियों के बारे में बता दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जैसे-जैसे रिक्तियां होंगी, उनको नियमानुसार भरा जायेगा।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, एक प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह अन्तिम प्रश्न है।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय मंत्री जी बतायें कि विभिन्न श्रेणियों में कितने आरक्षित वर्ग के लोगों को भर्ती किया गया है। समूह "ग" की जो परीक्षा हुई है वह कोई विशेष भर्ती अभियान नहीं था, कोई विशेष भर्ती अभियान चलायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव–

माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में जवाब दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर जिले में कितने पद रिक्त हैं, कितने पद आरक्षित वर्ग के हैं ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इससे सरकार की मंसा साफ जाहिर हो रही है। वह आरक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहती है जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं देना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी साफ-साफ जवाब दे दें कि कुल कितने पद रिक्त हैं। मान्यवर, आरक्षित वर्ग की सीधी भर्ती नहीं हो रही है कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न ही करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है वह सन्तोषजनक नहीं हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है । माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को भर्ती किया गया है इसकी मंशा साफ नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

जो उत्तर माननीय मंत्री जी को देना था, वह उन्होंने दे दिया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, ऐक्ट बना हुआ है अगर कोई अधिकारी उसके मुताबिक कार्य नहीं करता है तो उसे तीन माह की सजा दी जायेगी और एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अब तक कितने लोगों को दण्डित किया गया है ?

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान बना रहा ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इन्दिरा साहनी केस में शशिकान्त राय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि 50 प्रतिशत से अधिक पदों को आरक्षित नहीं किया जाएगा, टोटल बैकलाग को एक साथ नहीं भरा जायेगा और 50 प्रतिशत पदों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जायगा । उसके बाद जो रिक्तयां होंगी, उनको विशेष अभियान से भरा जायेगा और हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 1998 के पूर्व सभी आरक्षित पदों को खत्म करने की सरकार की ऐसी कोई मन्शा है और क्या इस विषय पर शासन द्वारा कार्यवाही हो चुकी है और यदि नहीं, तो क्या इसको प्रभावी बनाने की कोई योजना है ? दूसरी चीज इसी परिप्रेक्ष्य में नियम 311 से सम्बन्धित है । मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सचिवालय में समूह–ग के 290 पदों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है चूंकि मनमाने ढंग से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पायी है, इसलिए समूह–ग के 290 पदों पर नहीं रखा गया है । मान्यवर, पिथौरागढ़ में आपके ही निर्देश से पुलिस विभाग में भर्ती हो गयी है । 105 पदों पर चयन अन्तिम रूप से किया गया है, आप मनमाने ढंग से पदों पर भर्ती नहीं कर पाये थे । इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रमुख सचिव का पद हो, सचिव का पद हो, इन सबको रखा गया है, इस पर आपकी जो मंशा है उसको आरक्षित नीति के तहत 1998 के पूर्व जो पद रिक्त हैं, उनको भरने की नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग भर्ती अधिनियम, 1994 के प्राविधानों को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जगह-जगह चयन प्रक्रिया हो रही है, मनमाने ढंग से प्रक्रिया हो रही है सामान्य वर्ग के लोग अधिक मात्रा में आ गये हैं और अच्छी जगहों पर विराजमान हो गये हैं इस तरह से सरकार की पूरी मंशा जाहिर हो रही है कि आरक्षण की प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं चला रही है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है ।

(सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों ने नारे लगाये ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने स्थान पर चले जायें ।

(नारे लगाये गये ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(वेल में उपस्थित माननीय सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं 11 बजकर 45 मिनट तक के लिये सदन स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक बढ़ा दिया है ।)

(12 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रामजग जी अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे थे ।

(श्री रामजग के सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटा को पूरा करने के बारे में 1996 का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया । उसमें माननीय मंत्री जी ने बताया कि समूह "क" "ख" एवं "ग" में आरक्षण कोटा जितना प्रेसक्राइब है वह पूरा नहीं हो पाया । मैं स्पष्ट तौर पर यही पूछना चाहता हूं कि जो समूह "क" "ख" एवं "ग" में जो आरक्षण कोटा पूरा नहीं है उस आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिए क्या कोई विशेष भर्ती अभियान चलायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने विशेष भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है जैसे-जैसे वह स्थिति बनेगी तद्नुसार भर्ती की जायेगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हां या न में जवाब दे दें कि विशेष भर्ती अभियान चलाकर आरक्षण कोटा को पूरा करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जैसे-जैसे रिक्तियां होंगी, हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, समूह "क" "ख" एवं "ग" में आलरेडी पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए क्या कोई विशेष भर्ती अभियान चलायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो अभी भर्ती हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बार-बार माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह करने वाला जवाब दे रहे हैं । इससे इनकी आरक्षण विरोधी नीति साफ जाहिर हो रही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मौर्या जी ने काला चश्मा पहन लिया है तब से इन्हें हर चीज में काला ही नजर आ रहा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, बड़े विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने 1996 के आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये उसमें बताया कि समूह क, ख एवं ग में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ।

क्या जितने पद नहीं भरे हैं उन पदों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चलायेंगे ? इस पर मंत्री जी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया जाए ताकि वह हर बिन्दु पर समग्र रूप से विचार कर सके ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मंत्री जी जिस तरह से सफेद चश्मे को काला चश्मा बता रहे हैं उसी प्रकार यह इस प्रश्न पर [× × ×] बोल रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अगर आपकी अनुमति हो तो समय तो लगेगा लेकिन अधिनियम की धारा तीन जो है उसके प्राविधान बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

प्राविधान तो सबको मालूम हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो प्राविधान हैं उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न संख्या–2 लेते हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मंत्री जी ने कोई स्पष्ट जवाब इस संदर्भ में नहीं दिया है । यह सीधे-सीधे सरकार की आरक्षण विरोधी नीति को जाहिर करता है । इस समय इससे पूरे प्रदेश के लोगों को आक्रोष है । सरकार की तरफ से इस पर सही जवाब आना चाहिए था जिससे मालूम होता कि आरक्षण के संबंध में सरकार कृत संकल्प है । सरकार इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है ऐसे सदन नहीं चलेगा ।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के श्री दद्दू प्रसाद, श्री लालजी वर्मा तथा श्री जगदीश नारायण राय आदि कई सदस्य वेल में आ गए तथा नारे लगाने लगे ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरक्षण के जो प्राविधान हैं उसके अन्तर्गत आरक्षण कोटा भरने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । हम पूरी तरह से आरक्षण नियमों का पालन करायेंगे, जो अधिकारी गडबड़ी करेगा उसको दण्डित करेंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 06 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।)

प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन बैटरी चालित बसों को चलाये जाने की सरकार की योजना

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन धुंआ रहित बैटरी-चालित बसों को संचालित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में चालू वर्ष में आलू एवं प्याज के उत्पादन एवं समर्थन मूल्य घोषित कर भण्डारण की व्यवस्था हेतु सरकार की योजना

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष आलू एवं प्याज के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार आलू एवं प्याज का

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत शेष सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

समर्थन मूल्य घोषित करने एवं उसके भण्डारण की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (चौ० लक्ष्मी नारायण)–

जी हां ।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 34.68 लाख टन आलू तथा 1.36 लाख टन प्याज का अधिक उत्पादन हुआ है ।

आलू और प्याज का समर्थन मूल्य घोषित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । सरकार ने आलू भण्डारण हेतु अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था तथा वर्ष 1998-99 में आलू भण्डारण की 49.19 लाख टन क्षमता सृजित कराई । इसके फलस्वरूप आलू का भण्डारण समय से और सुविधापूर्वक सम्पन्न हुआ । जहां तक प्याज का संबंध है इसका उत्पादन प्रदेश की आवश्यकता से अत्यधिक कम है अतएव उसके भण्डारण आदि के लिए किसी विशिष्ट कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राम औतार शाक्य–

[विस्तीर्ण एवं कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

[2रे मंगलवार में ता० प्र० सं०–9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*3–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न सं०–9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आबकारी एवं शीरा नीति से चीनी मिलों को दी गई रियायत एवं हानि की भरपाई के लिए सरकार की योजना की जानकारी

*4–श्री राजधारी–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी नीति तथा शीरा नीति के अन्तर्गत चीनी मिलों को रियायत देने के कारण वित्तीय वर्ष 1998-99 में राजस्व की कमी हुयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार उक्त कमी की भरपाई के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

शीरा नीति के अन्तर्गत 40% अनारक्षित शीरे के प्रदेश से बाहर निर्यात से नियंत्रण हटा लेने के कारण बिक्री कर के रूप में 75 लाख रुपये राजस्व कम प्राप्त होना अनुमानित है ।

जी नहीं ।

प्रदेश में आम के रस से उद्योग फल संरक्षण इकाई की स्थापना पर सरकार द्वारा किए जा रहे विचार की रूपरेखा

*5–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष प्रदेश में आम की पैदावार प्रचुर मात्रा में हुई है ? यदि हां, तो क्या आम के फलों के रस से कोई उद्योग फल संरक्षण इकाई की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ० लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों हेतु असफल रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा तहसील–खैरागढ़ कस्बा जगनैर निवासी श्री रामजी लाल को तहसील द्वारा जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र के संबंध में जांच

1–डा० राम बाबू हरित–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजी लाल पुत्र श्री सूरज भान, निवासी कस्बा जगनैर, तहसील खैरागढ़, आगरा को करबल (अनुसूचित) जाति का प्रमाण-पत्र कार्यालय तहसील, खैरागढ़, आगरा द्वारा दिनांक 9-9-1988 को दिया गया है ? क्या उक्त प्रमाण-पत्र जांचोपरान्त दिया गया है ? क्या यह व्यक्ति वैश्य (हिन्दू) नहीं है ? क्या इस सन्दर्भ में कोई जांच चल रही है ? उक्त जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां ।

उक्त प्रमाण-पत्र तहसीलदार, खैरागढ़ द्वारा लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या दिनांक 9-9-88 के आधार पर जारी किया गया है ।

श्री रामजी लाल शिवहरे (वैश्य) जाति का है जिसे कलार भी कहा जाता है ।

इस संबंध में जांच पूर्ण की जा चुकी है । दोषी लेखपाल श्री सत्यप्रकाश तथा लाभार्थी श्री राम जी लाल के विरुद्ध थाना खैरागढ़ में दिनांक 28-5-99 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जा चुकी है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में घाटे पर चल रही मण्डी समितियों को लाभकारी बनाये जाने हेतु शासन की योजना

2–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी मण्डी समितियां घाटे पर चल रही हैं ? क्या उन्हें लाभकारी बनाने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

आय की तुलना में व्यय अधिक होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित मण्डी समितियां घाटे पर चल रही है :–

1–सैदपुर

2–चौरीचौरा

3–दोहरीघाट

4–बेल्थरा रोड

5–रसड़ा

6–गोपीगंज

7–सोहरतगढ़ ।

ऐसी मण्डी समितियों का व्यय-भार कम करने के लिए इसमें तैनात स्टाफ में कमी करके व उसे न्यूनतम संभव करके अधिष्ठान व्यय में कमी की जा रही है, तथा उनकी आय बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

तहसील केराकत के ग्राम प्रधानपुर पासी बस्ती के चक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की मांग

3–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील केराकत के ग्राम प्रधानपुर पासी बस्ती, लालपुर अनु० जाति बस्ती चक मार्ग एवं सदर तहसील के बाकराबाद रेलवे फाटक से चक मार्गों की मौके पर पैमाइश कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम प्रधानपुर पासी बस्ती के चक मार्ग सं० 853, 953, 833, 847, 851 को मौके पर सीमांकन कर खाली कराया गया है । सीमांकन के बाद पुनः कब्जा करने पर 17 अतिक्रमण कर्ताओं के विरुद्ध माह जून, 1999 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 122 बी/नियम 115 सी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है ग्राम लालपुर अनुसूचित बस्ती के चकमार्ग संख्या–857 व 858 अतिक्रमण मुक्त है । तहसील सदर से बाकराबाद रेलवे फाटक से सटा हुआ चकमार्ग संख्या–44 है जिसका सीमांकन कराया गया है । किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं किया है ।

4–श्री उबैदुर्रहमान–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बजाज कमीशन की संस्तुति के आधार पर प्रदेश के उप निदेशक पंचायत का पद सृजित किए जाने की जानकारी

5–श्री अक्षयवर लाल

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि श्री जे० एल० बजाज कमीशन ने प्रदेश के सभी मण्डलों में उप निदेशक, (पंचायत) का पद सृजित करने की संस्तुति लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है ? यदि हां, तो अब तक सभी मण्डलों में उप निदेशक (पंचायत) के पद सृजित न किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक सभी मण्डलों में उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी हां ।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय स्थिति में नये पदों को सृजित किया जाना संभव नहीं है ।

निश्चित समय किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी सिद्धार्थनगर के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

6–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 24-4-99, जो सहायक चकबन्दी अधिकारी, सिद्धार्थ नगर के विरुद्ध है तथा जो उनको और आयुक्त, चकबन्दी को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करने के निर्देश बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सिद्धार्थनगर को दे दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर की विधान सभा क्षेत्र बांसी में नदी के किनारे स्थित गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु तटबन्ध के अन्दर स्थानान्तरित किये जाने की मांग

7–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 के बाढ़ के पश्चात् प्रश्नकर्ता के दो पत्रों के आधार पर विधान सभा बांसी (सिद्धार्थनगर) के ऐसे गांव जो कि नदी के किनारे स्थित हैं, को तटबन्ध के अन्दर स्थानान्तरित करने की योजना पर जिलाधिकारी ने कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जिलाधिकारी के आदेशों पर कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? इस योजना को कितने समय के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उप जिलाधिकारी, बांसी से जांच कराई गयी, जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत ग्रामों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में वर्ष 1998 में बाढ़ के पश्चात कतिपय ग्रामों को घोषित की गई अहेतुक सहायता दिये जाने की मांग

8–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998 के बाढ़ के पश्चात् की गयी घोषणा, अहेतुक सहायता तथा गृह अनुदान के तहत जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील में अभी भी 137 गांव बाकी हैं, जहां उक्त सहायता नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त गांवों को दी जाने वाली सहायता कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी के मात्र 136 ग्रामों में अहेतुक सहायता व गृह अनुदान वितरित किया जाना शेष है ।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर का मांग प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उप आबकारी निरीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के विवरण तथा शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटे को पूर्ण किये जाने की जानकारी

9–श्री संजय गर्ग–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998 में आबकारी आयुक्त उ० प्र० द्वारा समूह "ग" के अन्तर्गत उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु [illegible] को विज्ञापित कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त चयन हेतु कौन-कौन सी औपचारिकतायें पूर्ण की [illegible] चुकी हैं और कौन-कौन सी औपचारिकतायें अभी चयन प्रक्रिया के तहत पूर्ण कराना बाकी है ? च[illegible] अभ्यर्थियों को कब तक शासन द्वारा पदभार ग्रहण कराने के निर्देश दिये गये हैं ? शासन द्वारा [illegible] द हेतु स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? क्या [illegible] संवर्ग में शासन द्वारा विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षित निर्धारित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

प्रश्नगत पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है । शेष कार्यवाही अभी शेष है ।

चूंकि चयन की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है अतः चयनित अभ्यर्थियों को पद भार ग्रहण कराने के संबंध में निर्देश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उप आबकारी निरीक्षक के कुल 104 पद स्वीकृत हैं जिनमें सीधी भर्ती के 80 एवं पदोन्नति कोटा के 24 पद सम्मिलित हैं । वर्तमान में कुल 27 पद रिक्त है ।

जी नहीं ।

सीधी भर्ती के पदों पर चयन न हो पाने एवं इस बीच [illegible] पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति के कारण ।

10–श्री आर० के० सिंह पटेल–

[2रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरकार की नीति के अनुसार जनपद हरदोई में औद्योगिक इकाई स्थापित किए जाने की मांग

11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या तीन वर्षों में सत्ताइस सौ नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या इसके अन्तर्गत जनपद हरदोई में भी बेरोजगारों को रोजी रोटी प्रदान करने के लिये कोई औद्योगिक इकाई स्थापित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम एम०काम०)–

(क) 20– सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 1999–2000 में 32600 लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य है ।

(ख) 20– सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरदोई में वर्ष 1999–2000 में 450 लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है ।

पंचायत राज विभाग में कनिष्ठ सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों के स्थान पर वरिष्ठताक्रम में पदोन्नति दिये जाने की मांग

12–श्री अक्षयवर लाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री चन्द्रिका प्रसाद, दया शंकर सिंह, अशोक कुमार सिंह एवं ओम प्रकाश श्रीवास्तव आदि कनिष्ठ सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) सम्प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनसे ज्येष्ठ सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) की पदोन्नति जिला पंचायत राज अधिकारी पद पर नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों से ज्येष्ठ सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) की पदोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां, लोक सेवा आयोग से, निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत, पदोन्नति हेतु प्रक्रिया पूरी न होने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारियों के पद का कार्यभार देखने हेतु काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, विभिन्न कार्मिकों को प्रश्नगत पदों पर तैनात किया गया है ।

जी हां, प्रश्नगत व्यवस्था नियमित पदोन्नति की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, निर्धारित प्रक्रिया/पात्रता के अन्तर्गत पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील लखीमपुर तथा लहरपुर में सीमा विवाद को समाप्त करने हेतु कमेटी गठित करने की मांग

13–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर के अन्तर्गत कोई सीमा विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उसे समाप्त करने हेतु दोनों जनपद के जिलाधिकारी स्तर की कोई कमेटी गठित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

14–श्री विजय पाल सिंह–

[2सरे सोम० में अता० प्र० सं०–91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15–श्री अब्दुल मन्नान–

[2रे बुधवार में अता० प्र० सं०–119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बदायूं ग्राम पंचायत पहाड़पुर के प्रधान के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की जांच एवं दोषी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

16–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं ने अपने पत्र संख्या 3730/एस०टी०सी०/99 दिनांक 23-2-99 के द्वारा ग्राम–पंचायत पहाड़पुर विकास खण्ड

अम्बियापुर जनपद बदायूं के विरुद्ध विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के गबन के जांच के आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी, बदायूं को दिये थे ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच की गयी ? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये हैं एवं दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रधान ग्राम पंचायत पहाड़पुर दोषी है । दुरुपयोग की गई धनराशि ग्राम प्रधान से जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री भोला शंकर मौर्य–

[2रे बुधवार में अता० प्र० सं० 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई ग्राम सन्तोषा में कृषकों के जले खलिहान के कारण फसल बीमा योजना की धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

18–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम सन्तोषा में मकसूद, बाबू, रामकुमार, चन्द्रिका, अयोध्या आदि के खलिहान में दिनांक 19-5-96 को आग लग जाने के कारण गेहूं की फसल जल गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन कृषकों द्वारा फसल बीमा योजनान्तर्गत मण्डी परिषद् सण्डीला को दिनांक 20-5-99 को धनराशि दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनको बीमा धनराशि उपलब्ध करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

19–श्री पूर्णमासी पंकज–

[2रे सोमवार में अता० प्र० सं०–45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सन्त रविदास नगर के कस्बा सुरियावां को तहसील बनाये जाने की मांग

20–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद (भदोही) सन्त रविदास नगर के अन्तर्गत सुरियावां को तहसील बनाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-97 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी भदोही द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् उ० प्र० अनुभाग–12 को प्रेषित पत्र संख्या 268/सात–भूलेख/97, दिनांक 31 अगस्त, 97 द्वारा सुरियावां को तहसील बनाने हेतु किन-किन ग्रामों का प्रस्ताव किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रकरण में विचारोपरान्त तहसील बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद लखीमपुर खीरी तहसील गोलागोकरननाथ में तहसील भवन बनाये जाने की मांग

21–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में तहसील गोला का सृजन कई वर्ष पूर्व किया गया था ? क्या यह सही है कि तहसील भवन का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ? इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

निर्माण कार्य हेतु धनराशि आदि की व्यवस्था होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा तहसील सदर निवासी व्यक्तियों के पट्टों को रद्द किये जाने की मांग

22–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री घनश्याम, चरन सिंह, देवी सिंह व श्री जयचन्द्र आदि निवासी दामोदर पुरा एवं माधोपुर तहसील व जिला मथुरा के वैधानिक पट्टों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम०–1/21965/ मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बदायूं ग्राम पंचायत परौली में पंचायत घर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

23–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत परौली, विकास खण्ड बिसौली, जनपद बदायूं के पंचायत घर का शिलान्यास 1998-99 के वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य हेतु जो धनराशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी गयी थी उसमें से अब तक कितना निर्माण कार्य कराया गया है ? उक्त पंचायत भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? धन उपलब्ध होने पर भी निर्माण कार्य शुरू न करने हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

स्थल विवाद के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

तीन माह में पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रधान, ग्राम पंचायत परौली दोषी है ।

जनपद बदायूं ग्राम पंचायत धधौती के ग्राम प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग/जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

24–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत धधौती विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं के ग्राम प्रधान ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का दुरुपयोग एवं गबन

के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के शिकायती-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–ख–2 सं० 246852, फरवरी, 1999 की कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच में कितनी धनराशि के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया है एवं दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जांच के दौरान अंकन रु० 53,946.00 की धनराशि का दुरुपयोग पाया गया । इस दुरुपयोग की गई धनराशि को ग्राम निधि में जमा करने हेतु ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया है, ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं ।

जनपद बदायूं की ग्राम पंचायत ढढूमर में पंचायत घर का निर्माण मानक के विरुद्ध कराये जाने के दोषी जनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

25–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत ढढूमर विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं का पंचायत घर बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 1997-98 में धन उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत घर सरकारी मानकों के अनुसार निर्मित कराया गया है ? यदि नहीं, तो मानकों के अनुसार निर्माण कार्य न कराने वालों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

निर्धारित मानक के अनुसार पंचायत भवन पूर्ण कराने हेतु प्रधान ग्राम पंचायत ढढूमर को चेतावनी देते हुए मानक के अनुसार पंचायत भवन पूर्ण कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेस वर्कशाप महानगर, लखनऊ में कार्यरत ट्रैक्टर आपरेटरों की संख्या एवं अवधि की जानकारी

26–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने ट्रैक्टर आपरेटर, बेस वर्कशाप, महानगर, लखनऊ में कितनी-कितनी अवधि से कार्यरत हैं और वे किन-किन फार्मों से उक्त वर्कशाप में भेजे गये हैं ?

पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

बेस वर्कशाप, महानगर लखनऊ में वर्तमान में कुल 8 ट्रैक्टर चालक कार्यरत है, जिसके संबंध में विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	किन-किन फर्मों से आये हैं	बेस वर्कशाप लखनऊ में कार्यरत रहने की अवधि
1	2	3	4
1	श्री अताउल्ला	औद्योगिक न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेशनुसार नियुक्त ।	7-1-84

1	2	3	4
2	श्री मुन्नीलाल	तदैव	8-1-84
3	श्री इरफान हुसैन	मुख्यालय प्रक्षेत्र पर नियुक्त ।	1-12-86
4	श्री मुकेश कुमार	भरारी, झांसी	21-10-87
5	श्री मो० इसरार	प्रक्षेत्र मुख्यालय पर नियुक्त ।	1-1-88
6	श्री एहसान अली	औद्योगिक न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेशनुसार नियुक्त ।	13-8-91
7	श्री कमलेश कुमार	चकगंजरिया, लखनऊ ।	1-7-96
8	श्री राधेश्याम वर्मा	निबलेद बाराबंकी ।	17-6-98

जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के चयनित ग्रामों में मुफ्त बीज वितरण कराये जाने की मांग

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम में वर्ष 1998 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के ग्रामों में मुफ्त बीज वितरण हेतु तहसील बिलग्राम द्वारा 186 ग्रामों की चयनित सूची शासन/प्रशासन को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त चयनित ग्रामों में मुफ्त बीज वितरण किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई, कस्बा बिलग्राम में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

28–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम के अन्तर्गत दिनांक 13/14 की रात्रि को नगर में मन्सा नाथ बाबा के पास लकड़ी की 13 दुकानों में अचानक आग लग जाने के कारण श्री अज्जू, श्री विश्राम, श्री महबूब खां, श्री हीरा लाल, श्री जीतेन्द्र, श्री लक्ष्मू, श्री सहबान नुसरत अली, नूर मोहम्मद, अच्छन खां, मोहम्मद अब्बास, नवीसहन व रज्जन 13 लोगों की दुकानें जल गयी थीं तथा उनका सारा सामान राख हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पीड़ित लोगों के नुकसान का आंकलन कराकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, दिनांक 13/14-3-1999 की रात्रि में कस्बा बिलग्राम मोहल्ला कासूपेट मंशानाथ बाबा मन्दिर के पास आग लगी थी जिसमें 13 लोगों की दुकानें जल गयी थी । आग से प्रभावित दुकानें नगर पालिका बिलग्राम की सड़क के किनारे थी । कोई रिहाइसी मकान नहीं थे । वर्णित आपदा राहत निधि के प्राविधानों के अनुसार अनावसीय भवनों को (व्यवसायिक) कोई सहायता दिया जाना अनुमन्य नहीं है ।

जिला पंचायत हरदोई को आवंटित धनराशि का उपयोग करने हेतु शासन से दिशा निर्देश जारी किये जाने की मांग

29–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत, हरदोई को माह मई, 1998 में एक करोड़, नब्बे हजार व चालीस लाख, पन्द्रह हजार रुपये आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण उक्त धनराशि जिला पंचायत कोष में पड़ी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । शासन द्वारा दिनांक 18-2-99 को दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर की मण्डी समिति लखीमपुर तथा खीरी में प्राप्त राजस्व की जानकारी

30–श्रीमती माया प्रसाद –

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में मण्डी समिति, लखीमपुर एवं मण्डी समिति गोला को वर्ष 1997-98, 1998-99 में कितनी धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है ? क्या प्राप्त धनराशि से मण्डी समिति लखीमपुर तथा गोला द्वारा कोई विकास कार्य करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी समिति लखीमपुर को कृषि वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में क्रमशः रु० 4.23 करोड़ एवं रु० 3.89 करोड़ कुल आय प्राप्त हुई तथा मण्डी समिति गोलागोकरननाथ को कृषि वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में क्रमशः रु० 209 करोड़ एवं 2.22 करोड़ कुल आय प्राप्त हुई ।

जी हां ।

मण्डी समिति से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा तकनीकी वित्तीय परीक्षण करने के उपरान्त यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर के ग्राम कोटिया में व्यक्तियों की भूमि को फर्जी तरीके से श्री ब्रजमोहन के नाम अंकित करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31–श्रीमती माया प्रसाद –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कोटिया, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर में हजारी पुत्र श्री खोदाई एवं जाकिर पुत्र श्री बहादुर की भूमि कतिपय राजस्व कर्मियों द्वारा फर्जी तरीके से अभिलेखों में हेराफेरी करके श्री बृजमोहन पुत्र श्री अकबाल के नाम कर दी है ? यदि हां, तो क्या

मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पीड़ित व्यक्तियों का पट्टा बहाल करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम कोटिया परगना श्रीनगर तहसील लखीमपुर में हजारी पुत्र खोदाई व जाकिर पुत्र बहादुर के पक्ष में आधा-आधा एकड़ भूमि का पट्टा हुआ था । पट्टेदारों की भूमि तहसीलदार लखीमपुर द्वारा दिनांक 2-7-91 को समर्पण आदेश द्वारा ग्राम सभा में निहित कर दी गयी उक्त भूमि का आवंटन श्री बृजमोहन पुत्र इकबाल के पक्ष में समर्पण आदेश के बाद कर दिया गया । श्री हजारी व जाकिर द्वारा पृथक-पृथक धारा–198(4) के तहत पट्टा निरस्तीकरण का वाद दायर किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद–सुल्तानपुर, तहसील सदर, ग्राम–हयातनगर में वर्ष 1977-78 की चकबन्दी प्रक्रिया में कृषकों को कब्जा दिलाने के संबंध में कृत कार्यवाही

32–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर के ग्राम हयातनगर में चकबन्दी प्रक्रिया 1977 में प्रारम्भ हुई थी और उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण चक पर कब्जा परिवर्तन रोक दिया गया था ? क्या उच्च न्यायालय ने 14-7-1998 को उक्त स्थगन खारिज कर दिया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त ग्राम में चक धारकों को कब्जा न दिलाये जाने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध कार्यवाही करके सरकार द्वारा कृषकों को चकों पर कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–हयातनगर तहसील सदर, जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी प्रक्रिया वर्ष 1977 में नहीं बल्कि 1978 में प्रारम्भ हुई थी और उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण चक पर, कब्जा परिवर्तन रोक दिया गया था ।

जी हां ।

स्थगन खारिज होने के समय खेतों में फसल होने के कारण तत्काल कब्जा नहीं दिलाया जा सका । चूंकि कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही चल रही है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि निर्धारित कार्य योजना के अनुसार दिनांक 31-7-99 तक सभी चकदारों को कब्जा दे दिया जाये ऐसी स्थिति में शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम वन के गांव में सुरक्षित भूमि की हेराफेरी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

33–श्री तेज भान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ग्राम वन के गांव, तहसील कादीपुर में गाटा संख्या–2331, 2292, 2297, 1396, 2229, 2225 तालाब, खेल का मैदान, खलिहान व नवीन परती की भूमि है ? यदि हां, तो क्या इस सुरक्षित भूमि को राम आशीष पुत्र राम करन ने फर्जी आदेश से अपने खाते में करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सुरक्षित भूमि को किसी अधिकारी को स्थानान्तरण

का अधिकार है ? यदि नहीं, तो आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच कर कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा के पंचायत क्षेत्र बल्देव में कार्यरत ए० डी० ओ० के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

34–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत बल्देव, जनपद मथुरा में कार्यरत ए०डी०ओ० श्री ओ० पी० सारस्वत के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/21951/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

निदेशक, पंचायती राज को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद मथुरा की निताई घोर सेवा कमेटी गोवर्धन द्वारा भूमिहीनों को पट्टे उपलब्ध कराये जाने से संबंधित विधायक प्रकोष्ठ से दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निताई घोर सेवा कमेटी गोवर्धन, तहसील व जिला मथुरा के भूमिहीनों को पट्टे उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/ एम–1/21957/मथुरा/99 दिनांक 2-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

जनपद मथुरा के ग्राम सकरवां को चकबन्दी से बाहर किये जाने संबंधी विधायक प्रकोष्ठ से दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम सकरवां के तहसील व जिला मथुरा को चकबन्दी से बाहर किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/ एम–1/21957/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 को उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्न में उल्लिखित प्रकरण पर मा० सदस्य का जो पत्र विधायक कोष्ठक से प्राप्त हुआ है उसका पत्रांक-सी एम/वि०को०/एम–1/21958/मथुरा/99 दिनांक 2-4-99 है ।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी मथुरा से इस संबंध में आख्या/प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये हैं। आख्या अभी प्रतीक्षित है।

प्रदेश में पर्वतीय संवर्ग अभियंत्रण शाखा में वर्ग–1 से उ० प्र० कृषि सेवा श्रेणी–2 में की गई प्रोन्नतियों के संबंध में

37–श्री मुरलीधर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या: 6107/12-1-98–200/98टी० सी०(9) दिनांक 9-11-98 द्वारा पर्वतीय संवर्ग अभियंत्रण शाखा में वर्ग–1 से उ० प्र० कृषि सेवा श्रेणी–2 में सापेक्ष पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो नियमितीकरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं।

सापेक्ष तैनाती की गई।

उ० प्र० कृषि सेवा श्रेणी–2 का पद लोक सेवा आयोग के परिधि के अन्तर्गत है। अतः पर्वतीय संवर्ग अभियंत्रण शाखा में वर्ग–1 से उ० प्र० कृषि सेवा श्रेणी–2 में नियमित पदोन्नति किये जाने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया के ग्राम तरछापार भदौरा में पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र खोले जाने की मांग

38–श्री अफजाल अहमद–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम तरछापार भदौरा जिसकी आबादी लगभग 5 हजार की है, का पशु चिकित्सालय सीयर से काफी दूर पर स्थित है ? क्या जानवरों की बीमारी में व प्रजनन के लिये काफी दूरी तय करनी पड़ती है ? क्या पशु चिकित्सालय, सीयर में कोई डाक्टर व बेक्सीनेटर उपलब्ध नहीं रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम तरछापार भदौरा में पशु चिकित्सालय उप केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यह निर्धारित मानक के अन्तर्गत नहीं आता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद सुल्तानपुर के कस्बा मुसाफिरखाना के उप जिलाधिकारी को नाली एवं चकरोड की नाप कर खुलवाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

39–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, मु० खाना, सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा तहसील दिवस दिनांक 15-9-98 शिकायत क्रमांक–11 पर दर्ज श्री शत्रोहन सिंह पुत्र सहदेव सिंह, ग्राम निभौली तह० मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर की शिकायत जिसमें नाली चकरोड की नाप कर खोलवाने की प्रार्थना की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच किसी अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो नाली चकरोड की नाप न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार नाली चकरोड की पैमाइश करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर की ग्राम सभा खण्डौरा में अपात्र व्यक्तियों को किये गये पट्टों को निरस्त कर उनके कब्जे हटाकर पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित किये जाने की मांग

40–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में तहसील फूलपुर के विकास खण्ड पवई के ग्राम सभा खण्डौरा में वर्ष 1984 में अपात्र व्यक्तियों को किये गये पट्टों को वर्ष 1999 में निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिन अपात्र व्यक्तियों के पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं उन व्यक्तियों द्वारा अभी भी कब्जा करके फसल बोई जा रही है ? क्या मंत्री जी अपात्र व्यक्तियों से कब्जा खाली कराकर पात्र व्यक्तियों में भूमि आवंटित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम सभा खण्डौरा तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1984 में भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा 85 व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन का प्रस्ताव किया गया था इसी प्रस्ताव पर परगनाधिकारी की स्वीकृति दिनांक 15-7-84 के आधार पर तत्कालीन लेखपाल द्वारा राजस्व अभिलेख षटवार्षिक खतौनी सन् 1391 फ० से 1396 फ० में कुल 75 व्यक्तियों के नाम फर्जी तौर पर अमलदरामद अंकित किया गया था जिसे दिनांक 1-2-99 को परगनाधिकारी फूलपुर के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त आजमगढ़ मण्डल के यहां निगरानी विचाराधीन है ।

उक्त भूमि पर अवैध कब्जेदारों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है । अवैधानिक व्यक्तियों की बेदखली के बाद पात्र व्यक्तियों को गांव सभा की भूमि का आवंटन किया जायेगा ।

जनपद बाराबंकी चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र प्रतापगंज में अब तक हुए चकबन्दी कार्य की जानकारी

41–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र, प्रतापगंज में कुल कितना क्षेत्रफल चकबन्दी के अन्तर्गत है तथा कितने क्षेत्रफल में चकबन्दी हो चुकी है ? कितने में आंशिक कार्य हुआ है तथा कितना क्षेत्र ऐसा है जिसमें पूर्ण रूप से कार्यवाही अभी बाकी है ? चकबन्दी का कितना प्रतिशत कार्य हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बाराबंकी,चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र प्रतापगंज में कुल क्षेत्रफल 29,582 एकड़ है ।

12,102 एकड़ में चकबन्दी हो चुकी है ।

17,480 एकड़ में आंशिक कार्य हुआ है ।

शून्य ।

41 प्रतिशत ।

42–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[2रे बुधवार में अता० प्र० सं० 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर में मण्डी समितियों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

43–श्री अफजाल अहमद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में स्थित मण्डी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्र मार्च, 1999 में मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मण्डी परिषद् के पंजीकृत पत्र दिनांक 20-04-99 एवं दिनांक 28-06-99 द्वारा शिकायत-कर्ता से शपथ-पत्र एवं साक्ष्य आदि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । शिकायत-कर्ता से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में भूमि सुधार निगम द्वारा धन के दुरुपयोग किये जाने से सम्बन्धित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

44–श्री अफजाल अहमद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में भूमि सुधार निगम के धन के दुरुपयोग की जांच के सम्बन्ध में मार्च, 1999 में संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्रदीप कुमार स० वि० प० द्वारा ग्राम शुक्लाई जिला बाराबंकी में चक अपीलों की सुनवाई व कब्जा परिवर्तन हेतु दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

45–श्री हरदेव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 30-3-99 जो ग्राम शुक्लाई, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी की चक अपीलों की

सुनवाई व कब्जा परिवर्तन हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, बाराबंकी को दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । प्रश्न से आच्छादित प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चक अपीलों की सुनवाई/निस्तारण हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड फरह में जल निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं विषयक दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

46–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड फरह में जल निगम मथुरा द्वारा कराये जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार व अनियमितताएं किये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी०एम०/ वि०को०/एम०–1/21974/मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, मथुरा के माध्यम से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चम्पावत फल पट्टी योजना में शामिल किए गए ग्रामों तथा व्यय धनराशि की जानकारी

47–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चम्पावत "फल पट्टी" योजना वर्ष 1997-98 से आरम्भ की गयी है, में कितने ग्रामों को इस योजना से जोड़ कर लाभान्वित किया जा रहा है ? कितना धन अभी तक इस योजना में व्यय किया जा चुका है ? वर्ष 2002 तक इस योजना में कितना धन व्यय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ?

चौ० लक्ष्मी नारायण–

जी हां । कुल 15 ग्रामों को इस योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है ।

शून्य ।

इस योजनान्तर्गत रु० 58,34,145.60 (रु० अठावन लाख चौंतीस हजार एक सौ पैंतालिस, पैसा साठ मात्र) व्यय किये जाने का लक्ष्य है ।

48,49,50,51–श्री उबैदुर्रहमान–

[2 रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–110, 111, 112, व 113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में रिक्त चकबन्दी अधिकारी के पदों को प्रोन्नति से भरे जाने की मांग

52–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने चकबन्दी अधिकारी कार्यरत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार चकबन्दी अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिये प्रोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रदेश में चकबन्दी अधिकारी के 160 पदों पर चकबन्दी अधिकारी कार्यरत हैं जबकि 70 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में सल्फास की गोलियों की खुली बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

53–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में आये दिन सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सल्फास की गोलियों की खुली बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार द्वारा इस रसायन की खुले बाजार में बिक्री प्रतिबन्धित है।

प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरे दल के सदस्य सदन का त्याग करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? यह प्रकरण तो समाप्त हो गया।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री राम जग–

मान्यवर, यह सरकार आरक्षण विरोधी है । मैं और मेरे दल के सदस्य इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम–301 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा प्रश्नों से संबंधित एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रश्न है बतायें ?

श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं उनके द्वारा खेती योग्य भूमि क्रय करने हेतु क्या सरकार उन्हें ऋण उपलब्ध कराने एवं उस पर सब्सीडी देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मान्यवर, यह एक ऐसा प्रश्न था समूचे प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का नीति विषयक मामला था । इसको इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया कि यह विस्तीर्ण और कई अन्य विभागों से संबंधित है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए था कि हमसे पूछती स्पष्ट कर लेती कि यह प्रश्न किस विभाग से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने देखा है यह श्रम विभाग, संस्थागत वित्त, वित्त, और समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 जुलाई, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार की गईं ।

डा० वकार अहमद शाह, श्री चन्द्रनाथ सिंह, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव अनुपस्थित हैं, चौथी सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा जी की है, पांचवी सूचना श्री दद्दू प्रसाद, छठी सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की है । श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी अनुपस्थित हैं इसलिए प्रतीक्षा सूची से अगली सूचना लिए लेते हैं । प्रतीक्षा सूची से श्री जगन प्रसाद गर्ग भी अनुपस्थित हैं इसलिए प्रतीक्षा सूची से दूसरी सूचना अम्बरीष कुमार की लिए लेते हैं ।

(सदन की सहमति से उपर्युक्त सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं और शेष सदस्यों की सूचनायें निरस्त हुईं)

श्रावस्ती किसान चीनी मिल बहराइच में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं निरन्तर हो रहे घाटे की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० बकार अहमद शाह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान श्रावस्ती किसान चीनी मिल बहराइच में हो रहे भ्रष्टाचार के तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त मिल में प्रधान प्रबन्धकों व उच्च अधिकारियों द्वारा आये दिन सीजनल नियुक्तियां करने व स्थाईकरण आदि करने का सिलसिला जारी है। मिल में उपयोग आने वाले बोरों व मशीनों की खरीद में भारी कमीशनबाजी की जा रही है। बढ़े रेटों पर सामान खरीद की जा रही है, गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसकी शिकायत मजदूर यूनियन चीनी मिल नानपारा बहराइच द्वारा कई बार शासन प्रशासन से की गयी है। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और स्थानीय जनता भी आन्दोलित है। मिल बन्द होने के कगार पर पहुंच गई है।

मैं आपके माध्यम से इस प्रकरण की जांच कराने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य में कहीं भी भारत सरकार की गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवा चुके हैं मैंने लाभान्वित श्रमिकों की सूची मांगी तथा कार्य का विवरण भुगतान प्रक्रिया की जानकारी करना चाहा तो खण्ड विकास अधिकारी ने साफ उसे देने से इंकार कर दिया। एक तरफ भ्रष्टाचार मचा है दूसरी तरफ जन प्रतिनिधि के रूप में अपमान भी महसूस करना पड़ रहा है।

अतः इस अति लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि सदर विधान सभा क्षेत्र में हुए सुनिश्चित बेरोजगार योजना का पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर मुझे दिलवाया जाय कि कौन-कौन श्रमिक इस योजना में लाभान्वित हुये हैं।]

मेरठ विश्वविद्यालय हेतु मांगे गये पदों की स्वीकृति देने एवं भर्ती पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[महोदय, उ० प्र० विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ हुये समझौते को उ० प्र० सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया।

शासनादेश सं०–3023/सत्तर/(4)97-46(20)/95 दि० 3-10-97 में द्विपक्षीय वार्ता के निर्णयों को घोषित किया गया था।

खेद है कि इन निर्णयों को लागू न करने के कारण विश्वविद्यालय कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है जिसके कारण विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कलेण्डर प्रभावित होता है, छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन द्वारा मेरठ विश्वविद्यालय (चौ० चरण सिंह) के साथ वैसे भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । नये पदों की स्वीकृति में मेरठ को सबसे कम पद 64 स्वीकृत किये गये हैं, लखनऊ 288, इलाहाबाद 215, आगरा 94, कानपुर 109, श्रीनगर 416, वाराणसी 122, काशी विद्यापीठ 184 पद दिये गये हैं ।

इस पर भी मजाक यह है कि नवसृजित पदों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी है ।

अतएव छात्राओं व छात्रों के जन-जीवन से जुड़े इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये, 3-10-97 को घोषित निर्णयों को लागू करने मेरठ विश्वविद्यालय हेतु मांगे गये पदों की स्वीकृति देने तथा भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग करता हूं । ।

जनपद बांदा की अनेथुआ देवरार रोड का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

। महोदय, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान बांदा जनपद में झांसी-मिर्जापुर रोड से बांदा कलिंजर रोड को जोड़ने वाली अनेथुआ देवरार रोड की दुर्दशा व वर्तमान दशा की ओर दिलाना चाहता हूं कि उस रोड की दशा बहुत खराब हो गयी है लेपन उखड़कर बड़ी-बड़ी गिट्टियां उसमें निकल आयी हैं, जगह-जगह उसमें नाले व गढ्ढे हो गये हैं जिससे उसमें जीप, ट्रैक्टर का आना-जाना मुश्किल हो गया है, पैदल चलना भी दूभर हो गया है ।

अनेथुवा देवरार रोड से पचासों ग्रामों का सम्पर्क मार्ग जुड़ता है उक्त ग्रामों के लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त हो रहा है । यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है ।

अतः उक्त विषय पर माननीय लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य दिलाकर अनेथुवा देवरार मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराने का कष्ट करें । ।

चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा सोनभद्र आदि जनपदों में आवंला तथा तेदूंपत्ता तोड़ने संग्रह करने तथा बाजार में बेचने का अधिकार आदिवासियों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ददूद प्रसाद–

। महोदय, जनपद चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि में वनोपज तेदूंपत्ता का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है । उ० प्र० राज्य वन निगम तेदूंपत्ता को तोड़ान कराता है तथा करोड़ों रुपये का लाभ अर्जित करता है । उ० प्र० राज्य वन निगम प्रतिवर्ष प्रत्येक मजदूर की पांच दिन की मजदूरी हड़प जाता है, लाखों रुपये की बेईमानी करता है । सकल वन सम्पदा आदिवासियों की अपनी सम्पत्ति रही है । प्रथम वन अधिनियम बनने से पूर्व आदिवासी वनों के मालिक होते थे । वन अधिनियम बनाकर सरकार ने वनों का अधिग्रहण कर लिया । आदिवासियों को जीवन यापन हेतु आज तक कोई मुआवजा किसी सरकार ने नहीं दिया । आदिवासियों की मांग है कि महुआ तथा चिरौंजी की तरह से आवंला तथा तेदूंपत्ता को तोड़ने, संग्रह करने तथा बाजार में बेचने का अधिकार आदिवासियों को प्रदान किया जाये । उ० प्र० राज्य वन निगम जितना राजस्व सरकार को देता है उतना राजस्व बीड़ी उद्योग पर कर लगाकर

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पूरी की जा सकती है । अथवा आदिवासियों की समिति बना कर उनसे रायल्टी ली जा सकती है । तेंदू पत्ता का तोड़ान सीधे आदिवासियों के हाथ में आ जाने से जहां एक ओर उनको शोषण से मुक्ति मिलेगी सीधे जीवन यापन का मजबूत आधार मिलेगा वहीं दूसरी ओर जंगल का कटान हर हालत में रुक जायेगा, पर्यावरण को बल मिलेगा ।

अतः अनुरोध है कि लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर शासन का ध्यानाकर्षण कराने का कष्ट करें ।]

जिला पंचायत जनपद–बाराबंकी में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच करायें जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवाई–

[महोदय, जिला पंचायत जनपद–बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं ।

ग्राम महादेवा विकास खण्ड रामनगर जनपद बाराबंकी में वर्ष 1999-2000 का तह बाजारी का ठेका होना था जिसके लिए कानूनन जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर ठेकेदारों को सूचित करना था कि किस समय तथा कहां इस तह बाजारी के ठेके के लिए बोली होना है । रजिस्टर्ड ठेकेदारों को भी पत्र द्वारा सूचित किया जाता है । यह सब कुछ न करके चोरी छिपे जिला पंचायत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महादेवा तह बाजारी का ठेका अपने एक चहेते को दे दिया । तह बाजारी के ठेकों की नीलामी के लिए जो सूची सूचना पट्ट पर दशार्यी गयी उसमें महादेवा का नाम नहीं था । चोरी छिपे ठेका दिये जाने की सूचना पाते ही एक ठेकेदार श्री जान मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शफी निवासी महादेवा ने तुरन्त जिला पंचायत जाकर लिखित तौर पर अपनी सबसे ऊंची बोली लिखकर दे दी तथा कई सदस्य जिला पंचायत ने भी लिखित तौर पर इस अनियमितता के खिलाफ शिकायत की ।

मैंने स्वयं जिलाधिकारी बाराबंकी को इस भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया तथा जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को अपने पत्र सं०–369/ एस० टी०/शि० ली० दिनांक 3-4-99 द्वारा निर्देशित किया कि पूरे प्रकरण की जांच करके एक सप्ताह में आख्या दें । परन्तु आज तक मुख्य विकास अधिकारी ने न तो कोई जांच की और न ही भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं जो इस प्रकरण में शामिल हों ।]

विद्युत सब स्टेशन अहिबरनपुर लखनऊ में मोहल्ला भरत नगर में टूटे हुए पोलों तथा लकड़ी की लगी बल्ली के स्थान पर नये पोल लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

[महोदय, विद्युत सब स्टेशन अहिबरनपुर लखनऊ से मोहल्ला भरतनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ को विद्युत सप्लाई की जाती है । भरतनगर में भाष्कर मेमोरियल स्कूल के निकट के पोल से आगे टूटे हुये पोलों पर या बीच में लकड़ी की बल्ली लगाकर अथवा हाईटेंशन पोल से तार लगाकर विद्युत सप्लाई का कार्य किया जा रहा है । टूटे हुये पोल से खींची गयी क्रास लाइन का तार जमीन से काफी कम दूरी पर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्थित है जिससे ट्रक आदि बड़े भ . वाहन से आए दिन तार टूटने की घटनायें होती रहती हैं । विधान सभा के प्रथम स्त्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार को उत्तरित अता० प्र० सं०–147 में यहां टूटे हुए पोलों के स्थान पर चार नये पोल लगाकर कार्य अप्रैल, 99 तक पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया गया था परन्तु अब तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । आए दिन तार टूटने की घटनाओं से जहां उपभोक्ताओं को परेशानी होती है वहीं टूटे हुए तार से दुर्घटनायें संभावित रहती हैं । इससे जनता में काफी रोष है ।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि प्रश्नगत टूटे हुए पोलों तथा लकड़ी की लगी बल्ली के स्थान पर नये पोल लगाकर विद्युत लाइन की अविलम्ब व्यवस्थित की जाय ।]

विधान सभा सत्र के दौरान दिनांक 22-7-99 को नगर पालिका परिषद् टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर की बैठकें आहूत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22-7-99 को नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें पहली सूचना श्री लालजी वर्मा की है ।

(श्री लालजी वर्मा का नाम पुकारा गया)

* श्री लालजी वर्मा–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में माननीय विधायक सदस्य होते हैं, मान्यवर, आपके माध्यम से बार-बार निर्देश देने के बाद भी जिन समितियों में माननीय सदस्य माननीय सांसद हैं विधान सभा की बैठक होने पर नगरपालिका की बैठक नहीं बुलाई जाएगी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र टाण्डा जनपद अम्बेदकर नगर की नगर पालिका परिषद्, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, का मैं पदेन सदस्य हूं इस नगर पालिका बोर्ड की बैठक विधान सभा का सत्र चलते बुलाई गई है । मैं उसमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहता था लेकिन विधान सभा की बैठक होने के कारण वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, आपके निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, आप निर्देश दें विधान सभा का सत्र चलते बोर्ड की बैठकें नहीं होनी चाहिये इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले ही आदेश दे दिये गये हैं बैठक को स्थगित करने के लिये । पहले विधान सभा का कार्यक्रम नहीं था इसलिये बैठक लगा दी गई थी, जैसे ही जानकारी मिली उसको स्थगित कर दिया गया है ।

श्री लालजी वर्मा–

16 तारीख को मीटिंग के लिये तय हुआ है ।

श्री हुकुम सिंह–

वहां नहीं मालूम था अब स्थगित कर दी गई हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

हो सकता है वहां मालूम न हो ? माननीय सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद शासन का ध्यान आकृष्ट करने के उपरान्त सूचना निरस्त की जाती है ।

नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का उत्तर चार माह के उपरान्त भी न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत 12-7-99 को सूचना दी गई और 15-7-99 को सदन के पटल पर रखी गई । नियम 301 की सूचनाओं की सूची में भी उसको अप्राप्त दिखाया गया है । सूचना के तत्काल बाद उत्तर प्राप्त हो गया है लेकिन मान्यवर, जब प्राविधान एक महीने का है तो चार महीने के बाद उत्तर प्राप्त कराने पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (1) के अन्तर्गत, नियम–301 के अन्तर्गत एक माह के भीतर स्वीकृत सूचनाओं का अंतिम उत्तर दिया जाना चाहिये । मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सभी विभागों को सूचित कर देंगे कि इस अनुदेश का अनुपालन किया जाए । सूचनाओं में समय का पालन करना चाहिये, इसी के साथ सूचना का निस्तारण कर रहा हूं ।

शेष सूचनायें मैंने कक्ष में देखी हैं वह नियम 300 में नहीं आती हैं ।

जनपद महराजगंज में नौतनवां कस्बा निवासी कारगिल में शहीद हुए स्वर्गीय श्री पूरन बहादुर थापा के दाह संस्कार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के सम्मिलित न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मा० विनोद मणि जी आपने जो सूचना दी है वह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

कई सूचनाएं ऐसी हैं जिनका विधान सभा की कार्यवाही से संबंध नहीं है । नियम 300 में विधान सभा की बैठक से संबंधित होनी चाहिये । इसलिये श्री विनोद मणि जी की सूचना निरस्त की जाती है । मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, इसमें सरकार की तरफ से इसका जवाब आ जाय ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को अविलम्ब कार्यान्वित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा का कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई घोषणा की उसका अनुपालन हुआ या नहीं हुआ इसके लिये नियमों में प्राविधान है । इसको आप आश्वासन समिति में संदर्भित कर दीजिये ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं औचित्य के इस प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । विधान सभा के चतुर्थ सत्र के 22 सितम्बर, 1998 के उपवेशन में मैंने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–103 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव यह था कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय ।" आपने उत्तर भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक विशेष दल के गठन की घोषणा की थी । उन्होंने कहा था कि उन्होंने बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु केन्द्रीय सरकार को वह प्रस्ताव भेज रहे हैं कि इस संबंध में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया तो सारी चीजों का आंकलन करके वह बताये कि तत्काल क्या-क्या उपाय करने होंगे । मान्यवर, बाढ़ आसन्न है । इस वर्ष संभावित बाढ़ से सुरक्षा हेतु पूर्व सम्भावित तैयारी करनी थी कि वह अभी तक नहीं हुई । 15 जून के पूर्व उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण समूचा कार्य करा लिया जायेगा । यह प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी । इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि विशेषज्ञ दल के गठन की बात थी और उनके सुझावों के मुताबिक व्यवस्था करना चाहिये थी ...

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये आप किसी सुसंगत नियम में इसे लायें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह स्पष्ट तौर से 164(2) का उल्लंघन हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

164(2) आप पढ़ें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164(2) में राज्य का "मंत्रि-परिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ।"

श्री अध्यक्ष–

यदि किसी ने घोषणा की और उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो यह नियम–3(X) में कैसे आयेगा ?

* श्री प्रमोद कुमार–

वह सदन के प्रति जिम्मेदार हैं और उनका उत्तरदायित्व है ।

श्री अध्यक्ष–

इसे किसी दूसरे सुसंगत नियमों में उठाइये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सुझाव है इसे आप स्वीकार कर लें । यह लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है । जो उन्होंने कहा है उसका उत्तरदायित्व का निर्वहन उन्होंने नहीं किया है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

---

* * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और माननीय श्री प्रमोद कुमार जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है इसलिये इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बाढ़ के बारे में यह कदम उठायें यह कर लें। यह लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हो सकता है कि यह नियमों में न आ पाये।

प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में उनकी संस्तुति पर पांच गांवों का विद्युतीकरण किये जाने सम्बन्धी ऊर्जा मंत्री की घोषणा का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं तीसरी सूचना जो श्री समरपाल सिंह जी की है को ले रहा हूं।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में उनकी संस्तुति पर 5 गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा हमने 5 गांव का नाम दिया लेकिन उनमें से एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। अधिकारियों से सम्पर्क किया गया तो यह पता चला कि बोर्ड की परिभाषा में वे गांव विद्युतीकृत हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पूरे गांव में विद्युत नहीं है कहीं एक खम्भा लग गया तो पूरे गांव को विद्युतीकृत मान लिया गया इस तरह से यह घोषणा निरर्थक साबित हो रही है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र के जो विधायक है, यह कहा गया 15-15 लाख रुपये के कार्य किये जायेंगे उनका काम हो रहा है और हमारे एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हो रहा है आपने पिछली बार कहा था कि नियमों को शिथिल किया जायेगा।

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, इस सदन में यह घोषणा की गयी थी कि माननीय विधायकों की संस्तुति पर उनके क्षेत्र में 5-5 गांव विद्युतीकृत किये जायेंगे घोषणा का पालन हो रहा है। आपने ऐसे गांव दिये होंगे जो पहले से विद्युतीकृत हो चुके हैं तो उस परिभाषा में नहीं आयेंगे जो एक खम्भे के लगे होने की बात कहा है तो हमने कहा था कि परिषद् की उन परिभाषा को हमने बदल दिया है आप उन गांवों का नाम हमें दें देंगे पूरे विवरण के साथ। जहां तक शहरी क्षेत्र विधायकों की बात है जो 15 लाख के कार्य होने हैं वे अपने अधिशासी अभियन्ता को बता दें या आपको विवरण दे दें उनका कार्य चल रहा है। जो समर पाल जी ने बात उठाई है उसको दिखवायेंगे अगर ऐसा कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री समर पाल सिंह–

लेकिन इसके आदेश वहां पर अभी भी नहीं पहुंचे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस पर कई सदस्यों के हस्ताक्षर है मैं इसकी प्रति आपके पास भेज दूंगा सभी माननीय विधायकों के जिनके हस्ताक्षर हैं उनके क्षेत्र के बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, ठीक है, आपके आदेश का पालन होगा ।

श्री बाबू लाल–

मेरे क्षेत्र में तीन शहरी विधायकों ने अपने क्षेत्र से बाहर के प्रस्ताव दिये हैं ताकि निवर्तमान सांसद को फायदा पहुंच सके । सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान ले लेंगे, आप लिख करके दे दीजियेगा माननीय मंत्री जी को अपनी समस्या ।

माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शत-प्रतिशत नौकरी में लिए जाने सम्बन्धी सरकार द्वारा की गई घोषणा का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपका कृपापूर्वक ध्यान चाहता हूं श्रीमन्, इस सदन के अन्दर माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई मर्तबा इस बात की घोषणा की कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने भी बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको शत-प्रतिशत सेवा में ले लिया गया है । दिनांक 14-15 तारीख को माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जो श्रम विभाग से संबधित था, उसमें माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने सदन में बड़े जोर देकर कहा था कि शतप्रतिशत बी०टी०सी० प्रशिक्षित लोगों को नौकरी दे दी गयी । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह एक पुस्तिका है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी की फोटो छपी हुई है इसमें लिखा है कि 13 हजार बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त युवक सेवारत किये गये, शत-प्रतिशत सेवारत हो गये । श्रीमन्, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज इस सरकार ने इस तरह की स्थिति कर दी है कि पर्वतीय क्षेत्र के नौजवानों को यह सरकार विवश कर रही है उनके साथ भेदभाव कर रही है । संविधान के अनुच्छेद 16 के अन्दर यह व्यवस्था है कि लोकसेवा के मामले में समानता होगी ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन्, उत्तराखण्ड के टिहरी, उत्तरकाशी और चमौली के 159 प्रशिक्षकों को आज तक नौकरी नहीं दी गई मैंने सम्पूर्ण पत्रादि संग्लन कर आपको प्रेषित किया है । चूंकि उत्तराखण्ड का जनमानस इकट्ठा होकर दबाव नहीं बना सकता इसलिए उनके साथ यह हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री मुन्ना चौहान को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आप इसका जवाब दिलवा दीजिए । सरकार तो भेदभाव कर ही रही है मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं आपने सभी के उत्तर पर सरकार को कुछ न कुछ कहने के लिए कहा, मुझसे क्या नाराजगी है ।

श्री अध्यक्ष–

निदेश 165-166 में दीजिए, मैं लिखित उत्तर दिलवा दूंगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इसमें सरकार का पक्ष तो आ जाए ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह लिखकर दे दें मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं इसे आपके संज्ञान में लाया हूं ।

चूंकि सरकार के पास जवाब नहीं है, इसलिये मैं आपसे संरक्षण की उम्मीद कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप निदेश 165-166 के अन्तर्गत सूचना बनाकर दीजिये ।

श्री मुन्ना चौहान–

चूंकि हम यहां धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते । पूरे प्रदेश में नियुक्ति करायेंगे लेकिन उतराखण्ड के लोगों को नियुक्ति नहीं देंगे और सरकार जवाब भी नहीं देगी । मुझे इस बात का दुख है कि मुझे आपका संरक्षण नहीं मिल पाया । आप श्रीमन् विज्ञ हैं कि यह विषय सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है । यदि हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया और सरकार सदन के अन्दर इस तरह व्यवहार करेगी तो यह उचित नहीं है । आज पहाड़ के 159 बी० टी० सी० प्रशिक्षार्थी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी सूचना की प्रति शासन को भिजवा दूंगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं सरकार के इस रवैये के विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बहिष्कार कीजिये, मैं शासन को नहीं भिजवाऊंगा ।

देवनागरी इण्टर कालेज में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर समायोजन से उत्पन्न स्थिति तथा प्रदेश में बड़ी-बड़ी फैक्ट्री मालिकों द्वारा बन्द पड़ी फैक्ट्रियों हेतु कोयले पर करोड़ों रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर ब्लैकमेलिंग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है यह दो अलग-अलग विषय हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, नियम 51 के अन्तर्गत सदस्य, विधान सभा के दो अलग-अलग विषय हो सकते हैं लेकिन नियमावली के निदेश 19 का यह बिल्कुल क्लियर अतिक्रमण है, सरकार के द्वारा । नियम–51 की जिन सूचनाओं पर माननीय अध्यक्ष पीठ की तरफ से ध्यान आकृष्ट किया जाता है, उसके सम्बन्ध में नियम

19 में दिया है कि निदेश संख्या 17(ख) के अधीन शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के लिये आशयित सूचनाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जाय उसकी सूचना सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को यथाशीघ्र भेजी जायेगी । इस मामले में हम आपका संरक्षण चाहते हैं । यह दो सूचनायें एक 23-3-98 और दूसरी 12-3-99 की अलग-अलग तो हो सकती हैं लेकिन विधान सभा के समय को नष्ट न किया जाय, इसलिये मैंने दोनों सूचनाओं का संकलन करके नियम 300 के अन्तर्गत आपसे व्यवस्था देने का अनुरोध किया है ।

एक मामला देवनागरी इण्टर कालेज में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर समायोजन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में और दूसरा प्रदेश में बड़े फैक्टरी मालिकों द्वारा बन्द पड़ी फैक्टरियों हेतु कोयले पर करोड़ों रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर ब्लैकमेलिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । मैं विषय में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इस विषय से सरकार की नीयत की पोल खुलने वाली है । मैं जानना चाहता हूं कि मार्च, 98 में जो सूचना दी गई है, उस पर सरकार ने क्या-क्या, इस सम्बन्ध में न तो मुझे और न माननीय अध्यक्ष के कार्यालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया, यह निश्चित रूप से औचित्य का प्रश्न बनता है और उससे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि सरकार नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को गम्भीरता से ले । यह दोनों प्रकरण आपके संज्ञान में हैं, इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पर वक्तव्य मांगा गया है या केवल ध्यान आकृष्ट करने के लिये किया गया है ?

श्री राम औतार शाक्य–

ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम-51 की सूचना, जिन पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, वह किस नियम के अन्तर्गत आयेगी ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, न आपके कार्यालय को सूचना दी गई और न मुझे आज तक अवगत कराया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो उपनियम (5) का उल्लेख किया तो उसमें यह कैसे आयेगी ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, नियम 51 में है कि कोई सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करके ही सूचना सचिव को उपवेशन प्रारम्भ होने से एक घण्टा पूर्व दे सकेंगे । ऐसी सूचना द्विप्रतिक होगी । सचिव सूचना की एक प्रति सम्बद्ध मंत्री को सूचनार्थ भेज देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

शाक्य जी ऐसा है कि जिस पर वक्तव्य मांगा जाता है, उस पर तो वक्तव्य आ जाता है और शेष सूचनाओं पर ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, पीठ को असीमित अधिकार हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप जानते हैं, हमें तो सारे नियमों को देखना पड़ेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

कार्यवाही जो की गयी है, उससे अवगत करा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

अगर सदन को अवगत कराने की बात होती है तब तो बाध्यता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

ये तो पीठ का निर्णय है । पीठ से जो निर्णय दिया जाता है, उस पर सरकार की बाध्यता होती है, तो इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था आ जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं क्योंकि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । (अगली सूचना पुकारे जाने पर)

फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर एक अध्यापक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत कैसे आता है ? किसी अध्यापक की नियुक्ति फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर की गयी है, यह सदन की कार्यवाही के संचालन से कैसे सम्बन्धित है ?

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद, मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । यह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्रीमती गौरी देवी स० वि० स० द्वारा क्षेत्र के बन्धों के जर्जर होने तथा उनके कटने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध से चिन्ता

*श्रीमती गौरी देवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि 3-4 जगहों पर बंधा कट गया है और विगत बाढ़ आई थी उसमें जनता बहुत परेशान हो गयी थी, हालत यहां तक हो गयी थी कि लोग बंधों पर रहने लगे थे, उनके गांव बह गये थे और सारी फसल नष्ट हो गयी थी । मेरे क्षेत्र की समस्या पर इस विधान सभा में कई बार उठाया जा चुका है । यदि समय से पूर्व, बाढ़ आने से पूर्व मलौनी बांध को समय से पूर्व मरम्मत करा दिया जाता तो वहां कटान न होता । उसकी मरम्मत पत्थर से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करा दी जाये ताकि बाढ़ के समय वह बांध टूटे नहीं और दोनों को परेशानियों का सामना न करना पड़े । मान्यवर, कन्हई बांध का ही यही हाल है । यहां का बांध जो बाढ़ के समय टूट जाता है । इसी प्रकार से बेला और मझगांव के बांध भी बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं । बाढ़ आने से वहां के निवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । यही नहीं धन और जन की भारी मात्रा में हानि होती है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, यदि इन क्षेत्रों के बांध को पत्थर से मरम्मत करा दी जाती तो बाढ़ के समय बार-बार क्षतिग्रस्त न होते ।

श्री अध्यक्ष–

आपने दो मिनट का समय मांगा था । आपका समय पूरा हो गया है । कृपया बैठ जाइयें । आप अपनी पूरी बात लिखकर सिंचाई मंत्री जी को दे दीजिये ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, वहां पर बृजेश सिंह हैं जो कि मंत्री के भाई हैं उन्होंने 70 लाख का पेमेन्ट कर दिया है किन्तु वहां पर कार्य पूरा नहीं हुआ है । आप बताइये कौड़ीराम की जनता का भविष्य क्या होगा ?

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1999 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 14 जुलाई, 1999 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 जुलाई, 1999 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,

1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 जुलाई, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

1–उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 जुलाई, 1999 को वापस प्राप्त हो गया, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी, वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 जुलाई, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी, वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 जुलाई, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 जुलाई, 1999 को प्राप्त हो गयी वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में बी०यू०ए० राजमार्ग के किनारे वन विभाग का विश्राम भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कृपा शंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में बी०यू०ए० राजमार्ग के किनारे वन विभाग का विश्राम भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा तथा श्री वासुदेव सिंह, निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर स्थित ग्राम-पाटन में भवन निर्माण, पद सृजन एवं वाहन आदि की स्वीकृति दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कृपा शंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर स्थित ग्राम पाटन में भवन निर्माण, पद सृजन एवं वाहन आदि की स्वीकृति दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर स्थित ग्राम-पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कृपा शंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर स्थित ग्राम पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार चौधरी तथा श्री कृष्ण कुमार, निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पं० सुमेर शुक्ल की आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री वासुदेव सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

*श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पं० सुमेर शुक्ल की आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री वासुदेव सिंह, निवासी जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

विधान सभा की पूर्व सदस्य एवं मंत्री डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेई के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त करने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने आपको पत्र लिखकर दिया है, अगर सम्मानित सदन के किसी भी सदस्य का निधन हो जाए तो उसके सम्बन्ध में निधन के निर्देश किये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज होगी उसमें इस पर विचार किया जाएगा । वहां भी जब तक जिलाधिकारी से पुष्टि नहीं होती है, हम विचार नहीं करते हैं । जिलाधिकारी का पत्र आ गया है, इसलिए हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार करेंगे और यह कल हो जाएगा ।

मद संख्या 12 में कुछ नहीं है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 जुलाई, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 22 तथा 23 जुलाई, 1999 के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन का दिनांक 22 तथा 23 जुलाई, 1999 के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जुलाई, 1999

22 गुरुवार

(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण :–

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–आधा घण्टा ।

(2) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करें कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व वे विघटित न की जायं ।"

(3) "प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर सरकार द्वारा प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की चर्चा–जारी ।

(4) "प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जन-स्वास्थ्य को हानि से उत्पन्न गम्भीर समस्या" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की चर्चा–जारी ।

(5) "उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार तथा श्री राजधारी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सदन में विचार हेतु आधे घण्टे की चर्चा ।

23 शुक्रवार

(1) विधायी कार्य ।

(2) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

(3) श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय ।"

(4) "प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता न दिये जाने के कारण माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

(2) ऐसे प्रस्ताव एवं चर्चायें जिनका समय नियत हो जाये उन्हें भी दिनांक 23 जुलाई, 1999 को विधायी कार्य के उपरान्त रखा जाय ।

(3) दिनांक 23 जुलाई, 1999 को प्रश्नकाल न रखा जाय तथा नियम–56 और नियम–311 की सूचनाएं न ली जायं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश संबंधी प्रस्ताव से जो संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्त विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के बारे में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 व 11 जून, 1999 के क्रम में सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी शासनादेश केन्द्रित रूप से जारी किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य दे रहा हूं ।

वेतन समिति, 1997 के सातवें प्रतिवेदन पर विचार करते हुये समिति की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश के राज्य कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों को नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता का भुगतान पुनरीक्षित दरों पर दिनांक 1-06-1999 से दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया । स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के बारे में भी समिति की संस्तुतियां स्वीकार करते हुये उन्हीं संस्तुतियों के अनुसार शासन ने निर्णय लिया कि संशोधित दरें उनके लिये मार्गदर्शी हैं और संबंधित संस्थायें अपनी वित्तीय स्थिति एवं भुगतान की क्षमता को देखते हुए निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगी ।

मंत्रि-परिषद के उपर्युक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य कर्मचारियों का संशोधित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने विषयक शासनादेश वित्त विभाग द्वारा दिनांक 10 जून व 11 जून, 1999 को निर्गत कर दिया गया । सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की धनराशि का भुगतान सहायता अनुदान के विरुद्ध किया जाता है । अतः सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के लिये वित्तीय वर्ष, 1999-2000 में वेतन एवं भत्तों के मद में सहायता अनुदान के रूप में प्राविधानित धनराशि में मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप संभावित बढ़ोत्तरी का आंकलन करते हुए संबंधित विभागों से शासनादेश निर्गत करने की अपेक्षा थी ।

लगभग 10 वर्ष पूर्व पिछले वेतन आयोग/समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर भी मकान किराया भत्ता संबंधी आदेश वित्त विभाग द्वारा केवल राजकीय कर्मचारियों के लिए 19 सितम्बर, 1988 को जारी किये गये तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 17 दिसम्बर, 1988 को आदेश जारी किये गये । शिक्षण संस्थाओं आदि के लिये अलग आदेश संबंधित विभागों ने जारी किये । वर्तमान में प्रश्नगत अनुदान में अतिरिक्त धनराशि का आंकलन करने में समय लगने के कारण संबंधित विभागों द्वारा उक्त शासनादेश निर्गत नहीं किये जा सके हैं । अतः वित्त विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के बारे में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 जून, तथा 11 जून, 1999 के क्रम में सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी शासनादेश केन्द्रित रूप से जारी कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 †

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 ÷

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

नोटः–† दिनांक 24-7-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 † (जारी)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

विधेयकों के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य-संचालन नियमावली के नियम 123 पुरःस्थापन की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव को देखें । (1) नियम 114 के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गयी हों ।

मान्यवर, यह विधेयक जो है आज ही उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को मिली हैं । आज ही इसको पुरःस्थापित करने की मंत्री जी अनुज्ञा मांग रहे हैं एक दिन बाद इनको अनुज्ञा लेनी थी । या फिर एक दिन पूर्व ही सभी सदस्यों को इसकी प्रतियां उपलब्ध हो जाती । यह औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है कि नियमावली के नियम 300 को आप देखें औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो यह अनुज्ञा मांग रहे हैं आपके संज्ञान में है आपके संज्ञान में यह भी है कि आज ही इसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को दी गई हैं यह प्रतियां एक दिन पूर्व दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी गई ।

आप नियमावली के नियम 123 को देखें इस समय यह संख्या 18 दी गई है नियम 114 के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की [illegible] सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आ[illegible] रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जाएगा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† छापी नहीं गई ।

जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गई हों । इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है । औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा । इस समय सदन के समक्ष जो कार्य है उसी के सम्बन्ध में मैं उठा रहा हूं । उप नियम (1) व (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं है इसलिए नियम 300 की जो शर्तें हैं वह पूरी होती हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

तकनीकी रूप से श्री वर्मा जी ने जो आपत्ति उठाई है यह अनुज्ञा के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पूर्व आनी चाहिए थी । प्रस्ताव मैंने रख दिया है आपके सामने अनुज्ञा प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है । इसलिए औचित्य के प्रश्न का यह तकनीकी रूप है । वर्मा जी सहमत होंगे कल उपवेशन नहीं था पटल पर रखने की बात थी वह सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई सारी की सारी प्रतियां कल भेज दी गईं ।

श्री अध्यक्ष–

अनुज्ञा मांगने के पश्चात् ही इस प्रकार की आपत्ति उठाई जा सकेगी । नियम 114 के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा मांगेंगे । अतः आपत्ति ठीक समय में उठाई गई है यह तो स्पस्ट है । पुरःस्थापन से पूर्व किसी भी समय आपत्ति उठाई जा सकती है । यह औचित्य का प्रश्न भी बनता है क्योंकि यह नियमावली के नियम 123 के निर्वचन का प्रश्न है । मैंने अनुज्ञा दे दी लेकिन शासन को हमेशा अध्यक्ष पीठ से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमेशा नियमों को शिथिल करके कार्य किया जाएगा । पिछले सप्ताह ही यह तय हो गया था कि 22 तारीख को यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना है अतः इस बीच पूर्ण तैयारी हो जानी चाहिए थी ।

श्री हुकुम सिंह–

जो कमी आपने बताई है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आग्रह करता हूं कि इसकी अनुज्ञा दी जाए ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि सत्र में दो दिन ही शेष हैं इसलिए विशेष परिस्थितियों में अनुज्ञा दी जाती है और आशा करता हूं कि भविष्य में नियम 123 का कड़ाई से शासन द्वारा पालन किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–† दिनांक 24-7-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास आज भी पहले की तरह एक ही सूचना पर कई माननीय सदस्यों की हस्ताक्षरित सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एजेण्डे में अभी कई मदें पड़ी हुई हैं, चर्चायें हैं, इसलिये नियम–56 के अन्तर्गत मैं उन्हीं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करूंगा, जिनके हस्ताक्षर सूचना में हैं और जहां पर एक ही सूचना पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उसमें मैं किन्हीं दो सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर दूंगा, मुझे विश्वास है कि अधिक माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने पर बल नहीं देंगे तो इससे अच्छा रहेगा और कार्य भी सुचारु रूप से चलता रहेगा ।

पहली सूचना सर्वश्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, लालजी वर्मा तथा श्री इकबाल महमूद जी की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक में प्रवेश के संदर्भ में जारी आदेशों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 में हमने जो सूचना दी है, वह अविलम्बनीय भी है, लोकमहत्व की भी है और तात्कालिक भी है और प्रदेश के लाखों छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ है । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने एक जनहित याचिका के तहत यह आदेश किया कि माध्यमिक शिक्षा में दर्जा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, एक कक्षा में 35 छात्रों से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं । इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 25-11-1998 को एक राजाज्ञा जारी कर दी कि इसका कड़ाई से पालन किया जाय । इसी विधान सभा में अनेक बार हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि शिक्षण संस्थानों को अनुदान सूची में लिया जाय और नये विद्यालय ज्यादा से ज्यादा खोले जायं परन्तु बार-बार इस विधान सभा में सरकार ने कहा कि हम नये विद्यालयों को अनुदान नहीं देंगे, जिसके कारण आज एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है । मान्यवर, इससे आप भी स्वयं अवगत हैं कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों की फीस माफ है और प्रदेश सरकार ने इण्टरमीडिएट की फीस माफ कर रखी है । अब यदि 35 से ज्यादा छात्र कक्षा में होते हैं तो उन्हें पढ़ायेगा कौन । पद सृजित हैं नहीं । नई कक्षाओं को खोलकर पढ़ाई भी नहीं की जा सकती है । अगर अलग से फीस ली जायेगी तो राजाज्ञा का उल्लंघन होगा और 100, 150 तथा 200 रुपये फीस बहुत से बच्चे दे भी नहीं सकते हैं । आज पूरे प्रदेश में विषम परिस्थिति पैदा हो गई है । आने वाले दिनों में, इसी सत्र में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लाखों छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पायेगा और उनको शिक्षा नहीं मिल पायेगी । इससे ज्यादा तात्कालिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और अविलम्बनीय प्रश्न कोई हो नहीं सकता । इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय । सरकार तो लीपा पोती करती है, इसलिये आपसे अनुरोध है कि अपनी पीठ से सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में छात्रों के पठन-पाठन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । शिक्षा निदेशालय से एक शासनादेश जारी हुआ है । उस शासनादेश के द्वारा पूरे प्रदेश में हाई स्कूल की कक्षा में जितने भी छात्र एक साल में पहली बार अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनका प्रवेश रोक दिया गया है ।

[समय 1 बजकर 30 मिनट]

इसके कारण लाखों-लाख छात्र जो किन्हीं कारणों से अनुत्तीर्ण हुए थे कोई परीक्षा छूटने के कारण से, कोई बीमारी की वजह से आज वे फिर प्रवेश नहीं पा सकते हैं । मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक वर्ष में फेल हुए छात्र को पठन-पाठन से रोकने का काम हुआ हो । प्रदेश में हाई स्कूल का रिजल्ट 35–40 प्रतिशत रहा है और 50–60 प्रतिशत छात्र हैं जो किन्हीं कारणों से अनुत्तीर्ण हुए हैं । बहुत से मेघावी छात्र बीमारी की वजह से या अन्य किसी कारण से अनुत्तीर्ण हो गये । ऐसे छात्रों को प्रदेश में स्कूलों में प्रवेश पाने से रोकने का काम किया जा रहा है । आज छात्र आन्दोलित हैं और इन छात्रों के अभिभावकों में रोष है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह तात्कालिक समस्या है सभी छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है । यह पूरी तरह से नियम–56 के अन्तर्गत आता है । सारे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना माननीय सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार, लोकपति त्रिपाठी, कौकब हमीद जी की है । इस पर जगदम्बिका पाल जी के हस्ताक्षर फर्जी हैं इसलिये मैंने इसको निरस्त कर दिया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं नहीं बता सकता । यह तो पाल साहब ही बता सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

हमको यह सदन निर्देश दे कि जिन माननीय सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर से सूचना आती हैं । यह कोई नई घटना होती तो अलग बात थी । इसलिये मैंने सोचा था कि पूरी सूचना को निरस्त कर दूंगा लेकिन यह विषय महत्वपूर्ण है इसलिये अनुमति दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है । एक तरफ यह भारत सरकार की कोशिश है । घोषणा है, उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा है, कोशिश है कि पूरे जनपद को, प्रदेश को साक्षर किया जाय । केरल के मुकाबले में हमारे यहां साक्षर का प्रतिशत 50% है जो काफी कम है । एक तरह से हमारे प्रदेश की जनसंख्या जिसकी आबादी का आधा भाग अशिक्षित हो वहां यह

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है । उच्च न्यायालय का निर्णय होता है उसके अनुपालन में सरकार शासनादेश निर्गत करती है । जिस वक्त शासनादेश निर्गत करती है मैं समझता हूं उसके सामने सम्पूर्ण प्रदेश की परिस्थिति होती है । आज एक कक्षा में 50-60-70 बच्चे हैं जबकि आपने उसकी संख्या 35 निर्धारित की है । इसमें यह महसूस करना होगा कि जब छात्र संख्या बढ़ेगी तो उसके लिये और कक्षाओं की आवश्यकता होगी, कक्षाओं के लिये भवन की और शिक्षकों की आवश्यकता होगी ।

यह सरकार आयोग के माध्यम से जो नियुक्तियां हो रहीं थीं उस पर रोक लगा दी है । कह रहे थे कि मण्डल स्तर पर नियुक्तियां होंगी । शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं लेकिन आज तक नियुक्तियां नहीं हो रहीं हैं । विद्यालयों को जो अनुदान देते हैं उसमें कमी करते चले जा रहे हैं जो भवन हैं उनको बनाये रखना मुश्किल हो रहा है । ऐसी परिस्थिति में इस कदम को उठाकर इस सरकार ने शिक्षा विरोधी काम किया है और प्रदेश को अंधेरे में रखने का काम किया है । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । इनको पठन पाठन का अधिकार दिया जाय । मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का मामला है । करोड़ों की आबादी इससे प्रभावित हो रही है । इसके लोक महत्व को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा करवा लें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव--

अध्यक्ष महोदय यह प्रकरण अत्यन्त लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है । जहां उत्तर प्रदेश में 41 फीसदी साक्षरता है उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है सबको शिक्षा देने का, लेकिन शिक्षा देने के नाम पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में एक फैसला लिया कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा । इस संदर्भ में विगत दिनों प्रदेश शासन द्वारा एक राजाज्ञा जारी की गई उससे प्रदेश में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रवेश पाने के लिये विद्यार्थी दर-दर भटक रहे हैं और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है । विगत वर्षों में एक कक्षा में 60-65 छात्र पढ़ते थे अब राजाज्ञा निर्गत होने के बाद 30-35 विद्यार्थी ही एक कक्षा में पढ़ेंगे इससे अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा । प्रदेश में जहां इतनी बड़ी आबादी है और लोगों को साक्षर बनाने की आप बात करते हैं वहीं इसके विपरीत शासनादेश जारी कर लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का काम किया जा रहा है । सरकार का जो संकल्प, सबको शिक्षित करने का है फिर उसका क्या होगा । शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है विद्यार्थियों और अभिभावकों में रोष है । इस पर मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोक कर तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें ।

(श्री लोकपति त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर ।)

श्री अम्बरीष कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के कई वरिष्ठ सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया । मैं दो तीन तथ्य आपके माध्यम से, सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । जिस जनहित याचिका की चर्चा के माध्यम से इस प्रकरण पर प्रकाश डाला गया है निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक उच्च शिक्षा अधिनियम 1921 में जो प्राविधान था उसके अनुरूप निर्णय दिया होगा कि उन नियमों और प्राविधानों का कड़ाई से पालन किया जाए, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह अधिनियम, 1921 का बना है अब इस सदी को छोड़कर अगली सदी में जा रहे हैं । 1921 से आज की आबादी की तुलना करें तो कई गुना बढ़ गई है ।

मान्यवर, राजाज्ञा संख्या 8125/158/30185/74 30-11-76 के साथ दूसरी राजाज्ञा है 8125/158/74, 25-5-97 जारी की गई जिसके द्वारा अनुरोध किया गया कि एक सेक्शन में कितने छात्र होंगे । नौवीं, दसवीं क्लास में 11 वीं और 12 वीं क्लास में कितने छात्र होंगे । यह राजाज्ञा द्वारा निर्धारित किया गया इसी राजाज्ञा के माध्यम से यह अनुरोध किया गया कि शिक्षकों का अनुपात क्या होगा, कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं यह संशोधन 1997 और 1976 में हो सकते हैं तो आज की परिस्थिति के अनुरूप जैसा माननीय सदस्यों ने रखा कि छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो क्यों नहीं कर सकते हैं । मा० उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए उसके अनुरूप छात्रों को प्रवेश दिए जाएं तो गत वर्ष जो प्रवेश मिले वह अब 6 वी से 12 वीं तक प्रवेश नहीं दिए जायगे । लाखों छात्र सड़क पर ऐसा करने से आ जाएंगे । कानून व्यवस्था बिगड़ेगी । आप जो कहते हैं कि शिक्षा सबको देने का काम करेंगे तो आपकी भी हंसी उड़ेगी ।

तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजाज्ञा के माध्यम से यह मानक तय किया गया, आज भी सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए यह मानक बढ़ा दें । 35 का 50, 40 का 60 और 50 का 70 कर दें तो अतिरिक्त शिक्षकों की कक्षाओं की और न ही संसाधनों की जरूरत होगी और आप जनता की मांग को पूरा कर सकेंगे और अधिकांश छात्र-छात्राओं को प्रवेश दे सकेंगे । एक चीज और है जो शिक्षण संस्थाएं हैं वह अतिरिक्त सेक्शन खोलना चाहती हैं, धारा 7 (क) जिसका संशोधन 1987 में किया गया था, उसके अनुरूप सेक्शन खोलने की अनुमति मिल सकती है । लेकिन प्राविधान है कि नकद धनराशि अथवा बैंक गारन्टी देनी पड़ेगी । अगर वह फीस लेते हैं तो वह कैसे ले सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी है कृपया समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है सरकार इस पर विचार करे और संशोधन करें ।

* श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, यह लाखों विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मामला है । मान्यवर, कक्षा 7, 8, 10 पास करके जो विद्यार्थी आ रहा हैं उसे प्रवेश नहीं मिल पा रहा है । उसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट का आदेश आया है कि 35 से ज्यादा विद्यार्थी न रखे जायें । यह सरकार के हाथ में है । इसका कानून बनाया है और उसको बढ़ाने की क्षमता भी यह रखते हैं । मान्यवर, आज यह छात्र आन्दोलित हैं । दूसरी तरफ जो हाईस्कूल में फेल हो रहे हैं, यह शासनादेश हो गया है कि उन्हें पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा । बहुत से छात्र जो बीमारी या अन्य किसी कारण से उसमें बैठ नहीं पाये हैं उनका जीवन इस तरह से नष्ट हो रहा है कि उन्हें अगले सत्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां सम्भल में राजकीय कन्या इन्टर कालेज है । वह इस साल इण्टर कालेज हुआ है । वहां पर 70 फीसदी छात्र अल्पसंख्यक हैं । 11वीं और 12वीं कक्षा के अन्दर उर्दू सेक्शन नहीं खोला गया है जिससे जो हाईस्कूल में पास होकर इण्टर में दाखिल लेना चाहते हैं उन्हें उर्दू नहीं मिलेगी । 30 प्रतिशत को संस्कृत दी जा रही है । तो मेरा अनुरोध है कि उर्दू को पढ़ाने के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिक्षक रखे जायें । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–58 के उपनियम (6) की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । उसमें यह है कि "प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के संबंध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की संभावना है ।" मान्यवर, आप यदि अनुमति दें तो आज की कार्यसूची की मद संख्या–33 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह दोनों विषय फर्क हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विषय यह है कि प्रदेश में नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं के प्रवेश में हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । श्रीमन् मेरा दायित्व था अपनी बात आपके सामने रखने का । मान्यवर, शासनादेश दिनांक 25-11-98 में संख्या बढ़ाई गई है ताकि समस्या का कुछ हल हो सके । माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था रिट संख्या–30852/98 में, उसके बाद यह शासनादेश, निदेशक द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि कक्षा–6 से लेकर आठ तक अधिकतम 52 छात्र, 8 से 10 तक अधिकतम 60 व 11 व 12 में अधिकतम 75 छात्रों को प्रवेश दिया जाए । मान्यवर, 12,316 माध्यमिक विद्यालय हमारे यहां हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए इसी वर्ष 1057 अशासकीय विद्यालयों को मान्यता दी गई है । 52 विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है । शासन की ओर से बराबर प्रयास है कि अधिकतम छात्रों को प्रवेश दिया जा सके । स्थानीय स्तर पर विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाचार्य के विवेक पर है कि मेरिट में क्या रखना चाहते हैं, प्रवेश के लिए ।

माननीय श्री लालजी वर्मा ने अनुत्तीर्ण छात्रों के संबंध में कहा है कि कोई प्रतिबन्ध शासन की ओर से लगाया गया है । ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । अगर आपकी जानकारी में कोई बात आयी है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैं उसके बारे में कार्यवाही कर दूंगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, शिक्षा निदेशक के द्वारा इस तरह का आदेश जारी किया गया है कि अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न दिया जाय । अगर उस आदेश को संशोधित कर दिया जाय और स्थानीय स्तर पर विवेक पर छोड़ दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, उत्तर में विरोधाभास है जो अतिरिक्त सेक्शन खोलने के लिए अनुमति दी गयी है तो उसमें शिक्षकों के पद कहां सृजित किये गये हैं, कहां से इसके अभाव में शिक्षक विद्यालय को मिल पायेंगे । कक्षा 12 तक फीस माफ है अतिरिक्त सेक्शन के लिए फीस लेंगे तो वह राजाज्ञा का उल्लंघन होगा ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैंने कहा था कि राजकीय इण्टर कालेज, सम्भल में उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था करा दें। उसका उत्तर आ जाये।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि छठी, आठवीं, नवीं, दसवीं और बारहवीं के छात्रों की संख्या बढ़ा दी गई है लेकिन ऐसा नहीं है। यह तो सुजाज्ञाएं मैंने पहले बताई थीं उसमें है कि छठी से आठवीं तक अगर किसी विद्यालय में एक सेक्शन है तो उसमें 52 छात्रों को प्रवेश देने का नियम है जिस सेक्शन में 53 विद्यार्थी हो जायेंगे तो उसमें एक में 35 और दूसरे में 18 होंगे। नवीं और दसवीं में एक सेक्शन में 60 छात्र रहेंगे और अगर 60 से अधिक होंगे तो 40 एक सेक्शन में और उसे अतिरिक्त जो बढ़े हुए हैं वह दूसरे सेक्शन में होंगे। यही स्थिति ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की है इसमें एक सेक्शन है तो उसमें 75 छात्र रखेंगे और 75 से अधिक हो गये तो 50 एक सेक्शन में रखें और 26 दूसरे सेक्शन में रखेंगे। तो छठी से आठवीं तक में 35 रखें और नवीं से दसवीं 40 रखेंगे और ग्यारहवीं, बारहवीं में एक सेक्शन में 50 छात्र रखे जायेंगे।

इसमें माननीय मंत्री जी का कथन सत्य से परे है कि शासन ने पहले से ही वृद्धि कर दी है। अगर वास्तव में रिकार्ड उठाकर देख ले तो कोई ऐसा सेक्शन नहीं होगा कि जिस में 70-80 से कम छात्राएं पढ़ रही हैं। अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें इन्होंने कितना बढ़ाया है इस आदेश के माध्यम से इनकी संख्या लगभग आधी आ गई है इसलिए प्रवेश पिछले वर्ष की अपेक्षा आधा होगा। मंत्री जी ने जो कहा उसे ऊपर आप देख लें। इन्होंने जो 52,60,75 की संख्या बताई है वह उस स्थिति में है जब एक सेक्शन हो। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल और हाईस्कूल को इण्टर की मान्यता दे दी तो जो बच्चे पांचवां पास करके छठी कक्षा में आये हैं उनका क्या होगा। क्योंकि उसको तो आपने बढ़ाया नहीं है। मान्यवर, हमारे प्रदेश की नीति सबको शिक्षा देने वाली है आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पांचवीं पास करके आने वाले बच्चों को छठी में प्रवेश के लिए परीक्षा का टेस्ट देना पड़ता है। पांचवी पास करने के बाद इसका क्या औचित्य है ? यह सब स्थिति पूरे प्रदेश के सामने साफ करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो तथ्य रखे हैं वह सदन को गुमराह करने वाले हैं। यह प्रकरण उपस्थित कैसे हुआ ? मान्यवर, यह एक याचिका दायर हुई भीम सिंह बनाम राज्य सरकार। यह पूरी तरह से जनहित याचिका थी इसमें उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत रूप से निदेशक को तलब किया। शिक्षा निदेशक जब गये तो न्यायालय ने अपनी इस चिन्ता से उन्हें अवगत कराया कि जो कुछ सरकार कर रही हैं, किस तरह से संख्या बढ़ रही है उसमें कुछ सुधार करिये। यह संभव है कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उससे एक शिक्षक पढ़ाये और सरकार के लिए निर्देश कर दिया कि जिस तरह से छात्र संख्या बढ़ रही है उसके अनुपालन में कुछ व्यवस्था करें। सरकार ने क्या किया, वहां तो स्पष्ट स्वीकार किया कि हम कुछ करेंगे। मान्यवर, 20 जून, 99 का निर्देश है पत्रांक संख्या 216/92 जो उसके अनुपालन में निर्देश निर्गत हुआ उसको पढ़कर सुना दें।

मान्यवर, अनुभागों का कक्षावार आकार जो निर्धारित किया गया है, वह कक्षा 6 से 8 तक 52, कक्षा 9 से 10 तक 60 और कक्षा 11 से 12 तक 75 है। यह स्थिति कब होगी, जब पूरे क्लास में एक सेक्शन होगा। जहां यह संख्या 52 से 53 हो जायेगी, वहां दो सेक्शन करने पड़ेंगे, इसके बाद पहला

35 का होगा, दूसरा 35 का होगा और तीसरा 35 का होगा, अन्तिम सेक्शन जो बचेगा, वह भी 35 का ही रखना पड़ेगा ।

दूसरा जो महत्वपूर्ण बिन्दु है, वह यह है कि सरकार ने तो अपने को पूरी तरह जिम्मेदारी से मुक्त करा लिया । मैं इस जी०ओ० की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं । "उपर्युक्त के प्रसंग में आपसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि आप अपने जनपद के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेजों के प्रबन्धकों को तथा प्रधानाचार्यों को स्पष्ट निर्देश दे दें कि आगामी शैक्षिक सत्र, 1999-2000 में मानकानुसार ही प्रत्येक अनुभाग में प्रवेश दिया जाये और उक्त मानकों के अनुसार छात्र संख्या सीमित रखी जाये । यदि विद्यालयों में अधिक छात्र प्रवेश के इच्छुक हों और प्रबन्धाधिकरण प्रवेश देना चाहता है तो वह उ० प्र० शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 7 (क) के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुभाग हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति प्राप्त कर सकता है ।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है कि प्रबन्धाधिकरण को यह भी ध्यान रखना होगा कि अतिरिक्त अनुभाग के लिये आवश्यक भौतिक एवं मानवीय संसाधन प्रबन्धाधिकरण को अपने निजी श्रोतों से उपलब्ध कराना होगा । मान्यवर, यही हम लोगों की आपत्ति है कि इसमें सरकार क्या करेगी ? अगर छात्र बढ़ गये तो प्रबन्ध समिति अपने पास से क्लास रूम बनवाये और शिक्षकों को रखे, जिसकी उसके पास अनुमति नहीं है । अब प्रबन्धक कमरे तो बनवा सकता है लेकिन शिक्षक कैसे रखे जायेंगे ? शिक्षक के लिये तो आयोग के माध्यम से चयन होगा ।

दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह गलत सूचना दे दी है कि एक-एक सेक्शन में 52 तक रख सकते हैं । वह स्थिति तब उत्पन्न होगी, जब एक ही सेक्शन होगा । जहां दो सेक्शन हो जायेंगे, वहां ऐसे काम कैसे चलेगा । मैं बताना चाहता हूं कि अब इनको करना क्या है, रास्ता बिल्कुल साफ है । हाईकोर्ट कानून नहीं बनाता है, केवल कानून का इन्टरप्रिटेशन करता है । उन्होंने जो अधिनियम बनाया है, आपके अधिनियम के अनुसार इतने छात्र नहीं हो सकते, अतः इसका आंकलन तो आपको ही करना है कि कितने छात्र प्रदेश में उपलब्ध हैं और कितनी शिक्षण संस्थायें उपलब्ध हैं । आप अपने अधिनियम को परिवर्तित कर दीजिये, अधिनियम को परिवर्तित कर देंगे तो हाईकोर्ट का इन्टरप्रिटेशन आपके अधिनियम के हिसाब से होगा । मैं पूरे विश्वास से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरे प्रदेश के छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालना चाहती है । यह सरकार कोचिंग की पद्धति को बढ़ाने की व्यवस्था कर रही है अन्यथा सरकार हाथ उठाकर यह कह दे कि हम छात्रों को नहीं पढ़ा सकते ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के संबंध में कांग्रेस के नेता प्रमोद जी ने जो विचार रखें हैं, यह कार्य-स्थगन आपका है ।

कार्य-स्थगन आपका है, मैं उस पर बल देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह तात्कालिक प्रश्न है और अविलम्बनीय भी है, इसलिये आप इस पर चर्चा करा दें, जिससे इस पर विस्तार से सभी माननीय सदस्यों के विचार इस सदन में आ जायें । श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जनसंख्या बढ़ रही है और उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो स्कूलों में छात्रों के प्रवेश की समस्या तो बढ़ेगी ही । जो पुराने स्कूल हैं उनमें सेक्शन कम हैं और अधिक छात्रों का एडमीशन हो नहीं पा रहा है इसके अतिरिक्त आपने नयी शिक्षा संस्थायें खोलने की कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था नहीं की है और जो पुराने विधायक हैं, उनमें अधिक छात्रों का प्रवेश हो नहीं सकता है, आप अध्यापकों के पदों का सृजन कर नहीं रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा । यही नहीं जो पद हैं वह रिक्त हैं, उन पर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं ।

मैं इस बात से वाकिफ हूं, कई बार डी०आई०ओ०एस० को लिखकर दिया गया और उन्होंने शिक्षा निदेशक को लिखकर दिया और उन्होंने शिक्षा निदेशक को लिखकर दिया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । या तो आप कह दे कि छात्रों की संख्या नहीं बढ़ी है और नये सेक्शन खोलने की आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता है तो आप परमीशन दें और अगर आप नहीं समझते हैं तो न दें । आप दूसरे कालेज खोल दें, मैनेजमेन्ट कैसे अध्यापकों का खर्च वहन कर सकेगा । आप मैनेजमेन्ट को यह अधिकार दें कि वह अध्यापकों की नियुक्ति कर लें, अभी उनको नियुक्ति का अधिकार नहीं है । आप सेक्शन रूम भी बनवा दें और शिक्षकों का वेतन दे दें । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है । जब पंचायती राज विधेयक पर चर्चा उस दिन हो रही थी तो उस दिन शिक्षक मित्र की बात कही जा रही थी, जिनका वेतन बढ़ा दिया गया है, अगर अतिरिक्त छात्र बढ़ेंगे तो कहां पर रखे जायेंगे, जो अध्यापक रखे जायेंगे वह बी०टी०सी० जो रिटायर हो गये हैं, उनके स्थान पर रखे जायेंगे । क्या जो जगह रिक्त होगी, उस स्थान पर बी०टी०सी० रखे जायेंगे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर था कि उनके स्थान पर शिक्षक मित्र ही रखे जायेंगे, आप कार्यवाही को निकलवा कर देख लें । मान्यवर, प्रदेश सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है । इससे छात्रों का भविष्य अंधकार-मय होता जा रहा है । और आदेश दिए जा रहे हैं कि जो छात्र एक वर्ष का फेलियर हो, उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है । इससे पहले तो दो-तीन साल तक ऐसे छात्रों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता था, जिसको अब एक साल कर दिया है इससे फेलियर छात्र को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है । जो विद्यालय हैं, उनमें भी नये सेक्शन नहीं हैं ।

इस बारे में मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं । मान्यवर, सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और प्रदेश के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है । यदि कर रहीं है तो फिर ऐसी सरकार को शासन में रहने का कोई औचित्य नहीं है । श्रीमन् यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाए । ताकि सभी लोगों के विचार आ जाते और जिससे यह पता चल जाता शिक्षा के बारे में किसके क्या विचार हैं, जिससे प्रदेश के छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वह समाप्त हो जाता और उनका भविष्य अंधकारमय होने से बचा लिया जाता ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस मामले में कोई विरोधाभास नहीं है । स्वयं माननीय धनीराम वर्मा जी ने ही इस बात का उल्लेख किया है कि ऐसे छात्रों की संख्या 35 है जबकि मैंने ऐसे छात्रों की संख्या 60 बताया है, इसमें कमी हो जाएगी और इसमें सेक्शन वाली कोई बात नहीं हैं । मैंने जो आदेश 1998 में दिये थे, जो मानक दिये हैं उसमें कोई विरोधाभास नहीं है । यह प्रश्न छात्रों से सम्बन्धित है । सरकार ने कोई उपाय किये या नहीं, यदि प्रश्न उठाया न गया होता, तो कई सरकारी हाईस्कूलों को इण्टरमीडिएट तक कर दिया गया है, कैसे पता चला । सुझाव तो सबके अलग-अलग ही होते हैं, और होंगे । यह तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था । शिक्षा और उसके बारे में विस्तार से बतायेंगे शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा या नहीं, बी०टी०सी० से प्रशिक्षित शिक्षक होंगे या बी०एड० से, कैसे क्या होगा । शिक्षकों की ट्रेनिंग क्या होगी । मान्यवर, सरकार की तरफ से कोई उपेक्षा नहीं की जा रही है और हमने कदम जो उठायें हैं, वे बालकों को प्रोत्साहित करते हैं और न्यायपूर्ण ढंग से 10 लाख का प्राविधान भी किया गया है, मान्यवर, यह प्राईवेट मैनेजमेंट की देखने की बात होगी, अगर इण्टरमीडिएट कालेज में शिक्षक नहीं हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम शिक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस बढ़ती हुई छात्र संख्या को देखते हुए जो विद्यार्थी हैं, उनमें छात्रों की बढ़ोत्तरी पर अतिरिक्त सेक्शन की व्यवस्था करेंगे और अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

शिक्षकों के चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है, हमारी अनुमति लेकर, आप किसी को वहां पर रख लें ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, जब छात्रों की बढ़ोत्तरी होती है तो अतिरिक्त सेक्शन की परमीशन और अतिरिक्त टीचर्स की परमीशन की जरूरत पड़ती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार मैनेजमेंट को परमीशन देगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आप अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, जब शिक्षक के पद वहां पर सृजित हों तो

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह छात्रों की समस्या है, मैं, माननीय मंत्री जी के उत्तर से कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है, इसलिए मैं और मेरा दल सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री धनीराम वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो यह शिक्षा विरोधी सरकार है, शिक्षा के बारे में इसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री बी० आर० वर्मा–

यह प्रश्न अनेक बार विधान-सभा में आया था ....

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, सरकार की मंशा शिक्षा विरोधी है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं उनके दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नील गाय गौवंश की नहीं है, इसकी रिपोर्ट मेरे पास है । मान्यवर, नील गाय का जो चित्र है वह भी गायों से भिन्न होता है, जो नर है उनमें सींगें होती हैं, जो मादा हैं उनमें सींगें नहीं होती हैं और जो गोवंश के हैं उनमें दोनों में सींगें होती हैं । इससे स्पष्ट होता है कि यह गोवंश के नहीं हैं । इसी तरह से वन रोजों के ऊपर एक ही सींग होती है वह भी केवल नर के होती है लेकिन गोवंश के अन्तर्गत गाय और बैलों के दो दो सींग होते हैं और सींग पर कवर होता है । इससे भी स्पष्ट होता है कि वन रोज गोवंश प्रजाति के पशु नहीं हैं । इसी तरह से गाय के 4 थन होते हैं जबकि वनरोजों में मादा के केवल 2 थन होते हैं । इसके अलावा वनरोजों द्वारा जो मल त्याग किया जाता है वह लेंडी की शक्ल में होता है परन्तु गोवंश प्रजाति के पशु जो मल त्याग करते हैं, वह गोबर होता है । इसी तरह से वनरोजों की गर्दन के नीचे बाल होते हैं जबकि गोवंश प्रजाति के पशुओं में गर्दन के नीचे बाल नहीं होते हैं ।

वनरोजों की गर्दन की खाल तनी और शरीर से चिपकी होती है जबकि गोवंश प्रजाति के पशुओं की गर्दन की खाल ढीली और लटकी होती है । इससे भी स्पष्ट होता है कि वनरोज गोवंश प्रजाति के पशु नहीं हैं । इसी तरह से दोनों की आंखों में फर्क होता है । आंख के नीचे जो ग्रंथि होती है उसमें भी दोनों में फर्क होता है । वनरोजों के एक खुर होता है और गोवंश प्रजाति के पशुओं में दो खुर पाये जाते हैं और वह पूरे होते हैं । इसी तरह से वनरोज जंगली पशु हैं जबकि गोवंश प्रजाति पालतू होती हैं । इसलिए दोनों की शारीरिक बनावट को अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि वनरोज गोवंश प्रजाति पशु नहीं हैं और यह गाय और बैलों की तरह नहीं हैं । मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा भी कहा गया है कि वनरोज गोवंश प्रजाति के पशु नहीं हैं । वनरोजों के सम्बन्ध में समय समय पर शासन द्वारा शासनादेश भी निर्गत हुये हैं ।

पहला शासनादेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत जारी किया गया था इसका नम्बर था 736/14/4/94/954/92 दिनांक 9 मार्च, 1994 । इसके बाद दूसरा शासनादेश 9 सितम्बर को

(इस समय 2 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राजनैतिक, प्रशासनिक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मीडिया के माध्यम से जनमानस को प्रचार द्वारा यह बताया जाय कि वनरोज गोवंश प्रजाति के नहीं हैं । परन्तु शासन को लगातार ऐसी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि उपरोक्त निर्देशों के दिये जाने के बावजूद भी जिले स्तर पर उक्त निर्देशों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही हैं । उत्पाती वनरोजों जिनके द्वारा कृषकों की फसलों को क्षति पहुंचायी जा रही है उनको नष्ट करने के लिये वहां की परिस्थितियों के अनुसार उस पर आदेश दिये जा सकते हैं । वनरोजों को नष्ट करने के लिए अधिसूचना संख्या 4 मार्च, 1994 को जारी हुई है । नष्ट करने के लिए अधिसूचना जारी की गयी । इसके बाद जितने भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 है उसके अन्तर्गत अगर कोई भी जानवर, केवल वनरोज ही नहीं उत्पाती हो जाये और उसके द्वारा किसानों की फसल को क्षति पहुंचायी जाय तो उसे मारने की अनुमति मिली हुई है । शासनादेश जारी होने के बाद समस्त जिलाधिकारियों से पूछा भी गया था कि आपके द्वारा वनरोजों को नष्ट करने के लिए अब तक कितने परमिट जारी किये गये हैं, 18 जुलाई, 1998 तक फैक्स द्वारा सूचित करें । जिलाधिकारी, जौनपुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अनुमति दी कि ऐसे वनरोजों को, जो किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं, उन वनरोजों को मारने की अनुमति दी जा रही है और किसान ऐसे वनरोजों को मार सकते हैं । क्योंकि यह गो-वंश प्रजाति का नहीं है । उन्होंने सारे पेपरों में विज्ञापन दिया और उसके माध्यम से अनुमति दी कि मारा जा सकता है ।

पिछली बार यह प्रकरण विधान सभा में आया था। शासन के एक आदेश 26 जून, 1999 के द्वारा यह अधिकार उप जिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर भी दे दिया गया।

मान्यवर, मेरी समस्या जौनपुर की है। अगर आज किसानों की फसल को कोई सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है तो वह वनरोज कर रहे हैं। सारे किसान इनसे परेशान हैं। दलहन की जितनी फसलें हैं किसानों को एक छटांक भी मिलने वाला नहीं है, सब्जी नहीं होने वाली है। यदि उन्हें भगाने के लिए फायर करते हैं या पटाखा छोड़ते हैं तो उनको पकड़कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जबकि सरकार की एवं अध्यक्ष पीठ की मंशा है कि ऐसे वनरोजों को नष्ट किया जाये। इसके लिए माननीय मंत्री जी शासनादेश जारी करते हैं। जौनपुर के तत्कालीन डी०एम० श्री सहगल ने विज्ञप्ति जारी करायी। मान्यवर, मैं एक घटना जिसका जिक्र कर रहा हूं 15-7-99 की है। ग्राम छतौली कोतवाली मड़ियाहूं के श्री बाबू राम यादव पुत्र श्री रघुनाथ यादव, रानीपट्टी तथा कुछ गांव के ही लोग मिलकर वनरोजों को डराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए फायर किया। फायर करने के बाद वहां की स्थानीय पुलिस ने पहले तो कोशिश की कि इसे हिन्दू-मुस्लिम का रंग दिया जाये लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पायी। क्योंकि इन वनरोजों से आज किसान त्रस्त है। इसलिए किसी किसान को कोई आब्जैक्शन नहीं है।

पुलिस ने अपनी मुद्दईत पर मुकदमा अपराध संख्या–257/99 धारा 51–52 वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा 258/99 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मड़ियाहूं थाने के एस० आई० श्री अनिरुद्ध ने इन लोगों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करते हैं। एफ०आई०आर० में क्या लिखते हैं उसकी दो चार लाईनें पढ़कर सुना रहा हूं। एफ० आई० आर० की कापी मैं आपको भिजवा दे रहा हूं। मान्यवर, उन्होंने लिखा है कि विवेचना करने के लिए छतौली नहर पुलिया के पास खड़ा था कि 4 बजे दिन में 6 आदमी नीलगाय के एक झुण्ड जो कि 7-8 की संख्या में थी नहर माईनर कूदकर खेतों की तरफ भाग रही थी तभी एस०बी०बी०एल० गन 12 बोर से पीछे भाग रहे लोगों ने फायर किया जिससे भाग रहे नीलगाय के पैर पर लगी। वहां पर तो नीलगाय को जान से मारने की भी नीयत नहीं थी।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी अब आप समाप्त करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

जबकि नीलगाय को डी०एम० की परमीशन से जान से भी मारा जा सकता है। अगर उसकी जान से नीलगाय को मारने की नीयत रही होती तो वह सिर पर गोली मारता वह पैर पर गोली न मारता। वाइल्ड लाईफ प्रोटक्सन ऐक्ट 1972 के सेक्शन 51 व 52 में कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई किसी को भगाने के लिए फायर करता है तो वह भी इनके अन्तर्गत दोषी होगा। इस मामले को लेकर वहां किसानों में बड़ा रोष है। इस तरह की सूचना अगर किसानों में जाएगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज किसान वनरोजों से त्रस्त हैं उनको नष्ट करने का किसी को साहस नहीं होगा। अगर कोई भगाने के लिए भी गोली चला रहा है तो वह जेल जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें कायम किए गये हैं उनको वापस लिया जाए एवं इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ताकि किसी की इस प्रकार किसानों को परेशान करने की जुर्रत न हो। जब इस मामले की मुझे जानकारी मिली तो मैं संबंधित कोतवाली गया वहां पर एस०आई० जो प्रभारी हैं मैंने उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा भाई आप जो सोचें मैं तो हिन्दू हूं, हिन्दू होकर मैं वनरोज को नहीं मरवाऊंगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी कहते हैं वनरोज नष्ट किया जा सकता है लेकिन एस०आई० कहता है कि मैं हिन्दू हूं क्या वह किसान जिनकी फसलें नष्ट हो रही हैं वह हिन्दू नहीं हैं। जो यादव जी ने अपनी लाइसेंसी गन से फायर किया उस पर यह कहा गया है कि आपके लड़के ने फायर किया है एवं लड़के के पास बन्दूक रही एवं उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। अतः यह जो मुकदमा कायम किया गया है इसको वापस लिया जाए एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ताकि इस तरह से कोई आगे जुर्रत न कर सके।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

श्री वर्मा जी ने विस्तार के साथ राज्य सरकार की वनरोजों के बारे में नीति कि कब उन्हें नष्ट किया जा सकता है, बताई। इसमें संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में वनरोज जिसे नीलगाय कहते हैं उससे कृषि फसलों की भारी हानि होती है। किसानों की फसल की हानि को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मनः स्थिति को साफ करने के लिए कि वनरोज गोवंश की श्रेणी में नहीं आता एक परचा प्रसारित किया विभाग की तरफ से उसका प्रचार प्रसार किया गया उसमें कहा गया कि यह एण्टीलोप है यह किसी भी स्थिति में गोवंश की श्रेणी में नहीं आता यह वनरोज है उसके उत्पाती होने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत पहली परिभाषा यह है कि उत्पाती होने पर किसान की फसल नष्ट करने के लिए वनरोज के संबंध में तीन बातों पर बल दिया गया जो प्रभावित किसान हैं वह अनुमति लेगा। जिलाधिकारी को शासनादेश द्वारा प्राधिकृत कर दिया गया कि आप अनुज्ञा पत्र दे सकते हैं जो प्रभावित किसान हैं वह अनुज्ञा लेगा।

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

इसका और सरलीकरण करने के लिये हमने उपजिलाधिकारी तक को यह अधिकार दे दिया है कि अगर प्रभावित किसान उत्पाती वन रोजों से छुटकारा पाने के लिये अनुज्ञा मांगता है तो आप उसे सूटिंग की अनुमति प्रदान कर सकते हैं ताकि किसान के फसल की रक्षा हो सके। यह प्राविधान है और यह हमारा शासनादेश है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि यह गोवंश नहीं है, इसे नष्ट किया जा सकता है। उत्पाती होने पर। इस सूचना को हमने प्रसारित कर दिया। राजनैतिक स्तर पर, प्रखण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर हमने पर्चा बांटकर यह प्रसारित कर दिया कि सूटिंग के लिये आप परमिट प्राप्त कर सकते हैं। माननीय श्री वर्मा जी ने शासनादेश को समझकर ठीक ही विचार यहां पर रखें। अब जिस घटना का संदर्भ माननीय श्री वर्मा जी ने यहां पर उठाया है, उससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने सूटिंग की परमिट ली थी कि नहीं ली थी। हमारे पास जो सूचना आई है, उसके अनुसार उन्होंने यह अनुमति नहीं ली थी। हमारे शासनादेश में सूटिंग परमिट प्राप्त करना अवश्यम्भावी है। उनके बिना आप 1972 के अधिनियम के तहत उन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं। जिस घटना का संदर्भ आपने यहां पर दिया है, किसान का अहित न हो, हम इस प्रसंग को दुबारा भेज देंगे, इतना ही मैं कहना चाहूंगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, तत्कालीन जिलाधिकारी श्री सहगल जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उन्होंने इस बात के लिये अनुमति दी है कि जहां वनरोज किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं, उन्हें वह मार सकते हैं। अब जितना उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें तो वह लागू होगा ही। दूसरा, यह कि उन्होंने मारा नहीं, एफ०आई०आर० में भी इस बात को कहा गया है कि पैर में गोली मारी। यदि मारने का इन्टेन्शन होता तो वह पेट में मारते, सिर पर मारते और यदि पैर में भी गोली लगी थी तो वह लड़खड़ाकर गिरता, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वाइल्ड लाईफ ऐक्ट, 1972 के सेक्शन 51,52 को आप देखें, उसमें कहीं पर भी भगाने या डराने के लिये यदि कोई फायर करता है तो वह दोषी होगा और उसे सजा मिलेगी, ऐसा कहीं

पर भी नहीं है । मैंने भी उसको पढ़ा है । इसलिये मेरा कहना यह है कि जिन लोगों को फर्जी तरह से फंसाया गया है और आपके एस०आई० ने फर्जी तरह से फंसाया है ।

एस०आई० ने जान बूझकर मेरे व उनके कहने के बाद कहा कि हम हिन्दू हैं । मैं ऐसा नहीं करूंगा । मान्यवर, आप कहते हैं कि डी०एम० को निर्देश गये हैं शासनादेश जारी हो चुका है कि इन वनरोजों को मारने की अनुमति है यदि वे किसान की फसल को नष्ट करती हैं । मान्यवर, यहां पर तो उन्हें मारा नहीं गया है सिर्फ भगाने की नीयत से गोली चलाई है और उनको ले जाकर बन्द कर दिया जाता है । मान्यवर, क्या यही कानून का राज्य होगा । क्या कानून का राज चलेगा या एस०आई० की मर्जी चलेगी । जिसको मर्जी में आये वह बन्द कर दे । मान्यवर, ऐसे लोग जो नामित हैं जेल में बन्द हैं सरकार उनका मुकदमा विवेचना करके समाप्त करायेगी । जिनमें हिन्दुत्व की भावना ज्यादा जाग रही है जंगल राज चला रहे हैं अपना राज चला रहे हैं सारे नियमों को ताक पर रखकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी सरकार ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, शासनादेश तो डी०एम० को चले गये हैं उसी के तहत उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है । जैसा आपने पढ़ा यह कोई शासनादेश के विरुद्ध नहीं है । यह विज्ञप्ति है कि ऐसे वन रोजों को नष्ट करने की अनुमति पत्र हमसे प्राप्त कर लें जो उत्पात करती हैं । मान्यवर, कोई भी अनुमति पत्र नहीं लिया गया इससे क्लीयर नहीं होता है कि अनुज्ञा मांगी कि नहीं मांगी । हमारे पास जो सूचना आई है उसमें शासन से कोई अनुज्ञा नहीं ली गई । इस कारण स्थिति साफ नहीं होती है तो हम इस पर क्या कहें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हमारी फसलों को कोई जानवर खा रहा है हम मात्र उसको भगा रहे हैं । कोई ऐसी चोट नहीं लगी इसके बाद भी हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा । ऐसा कहां शासनादेश है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि शासनादेश इस तरह का हुआ कि उत्पाती वनरोजों को मारने के लिये डी०एम०, एस०डी०एम० से अनुमति प्राप्त करें । डी०एम० ने इसी तरह की विज्ञप्ति दी जिससे आम किसानों को इस शासनादेश की और व्यापक जानकारी हो जाय और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका लाभ उठाकर अनुमति प्राप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है । भगाने की दृष्टि से मारा था यदि कहीं चला था तो उसकी डाक्टरी जांच करवा लेते । इन्होंने तो मुकदमा बनाकर बन्द कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

बात तो पूरी सुन लें । जैसा मंत्री जी ने बताया कि डी०एम० को शासनादेश दिये गये हैं और डी०एम० ने उसका व्यापक प्रसार के लिये यह विज्ञप्ति जारी की ताकि पीड़ित किसान अनुमति पत्र प्राप्त कर लें ।

(व्यवधान)

* श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो कहा जा रहा है कि मुकदमा बनाकर उनको बन्द कर दिया गया कि उन्होंने वनरोज को मारा । मुकदमा तो इस बात पर शायद बना है कि पिता की बन्दूक बेटे के द्वारा इस्तेमाल की गई है ।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई जानवर किसान की फसल को नष्ट करें तो उसे उसको लाठी डंडे से भगाने का अधिकार है कि नहीं ।

(व्यवधान)

जिसकी फसल नष्ट होगी तो वह वनरोज भगाएगा या जिलाधिकारी के पास परमीशन लेने जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी बात को तो पूरी सुन लें । मैं यह कह रहा हूं कि शासनादेश में 'अनुमति लेना' शब्द है कोई अनुमति जिलाधिकारी इस तरह की, आपके कथनानुसार, उस विज्ञप्ति के माध्यम से देता है, मंत्री जी कह रहे हैं कि शासनादेश को प्रचारित किया गया, उस विज्ञप्ति के माध्यम से कि किसानों को शासनादेश की जानकारी हो जाए, अब वनरोज मारने के लिए फायर हुआ था, भगाने के लिए फायर हुआ, जब घटना पंजीकृत हुई तो कहा गया कि फायर से पैर में चोट लगी, यह जांच का विषय है कि इंटेन्शन मारने का था या भगाने का था । जब पंजीकृत मुकदमा हो गया मंत्री जी के संज्ञान में आ गया । पूरी बात सदन के समक्ष विस्तार से आ गई ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कोई भी जानवर जो उत्पाती हो, किसान की फसल नष्ट कर रहा हो उसको भगाने के लिए फायर कर सकते हैं या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

यही तो जांच का विषय है ।

(व्यवधान)

श्री बी०आर० वर्मा–

मंत्री जी बताना चाहते हैं तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा मामला है । यदि किसी माननीय सदस्य के यहां चोरी होती है तो चोर को भगाने के लिए पुलिस से पहले इजाजत ली जाएगी ? यह व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है । किसानों की फसल वनरोज चरें बरबाद कर दें और उनको वहां से भगाने के लिए, मारने के लिए जिलाधिकारी से परमीशन लें यह व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है । तीन महीने दौड़ने पर छोटे से काम के लिए परमीशन मिलती है तीन महीने में तो वनरोज फसल चौपट कर देंगे । माननीय वन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री जी ने अपनी बात रखी है। मान्यवर, जब इन्होंने कह दिया कि फलां-फलां लक्षण से नील गाय नहीं है वनरोज है तो वनरोज को भगाने के लिए किसानों को छूट देनी चाहिए। वनरोज को भगाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मारना चाहिए तभी किसानों की फसल बच सकती है अन्यथा किसान तबाह हो जाएगा। वनरोज की संख्या लाखों में बढ़ती जा रही है यह चिन्ता का विषय है। मैं संरक्षण चाहता हूं आप संरक्षण दें। मंत्री जी इस पर जवाब दें।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 पर वर्मा जी को सुना और मंत्री जी को सुना है। नियम–56 में ग्राह्यता पर सुनने के बाद .....

श्री बी० आर० वर्मा–

आपकी व्यवस्था देने के पहले मैं आग्रह कर रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस घटना को माननीय मंत्री जी ने पढ़ा। आप इस एफ०आई०आर० को पढ़ लें माननीय मंत्री जी पढ़ लें। उसमें एस०आई० द्वारा यह लिखा गया है कि उसके पैर में गोली लगी उसका कोई आई विटनेस नहीं है। जबकि उसने हवाई फायर किया था। तो क्या माननीय वन मंत्री जी वनरोजों को भगाने के लिए कोई ऐसा शासनादेश जारी किये हैं जिसके अन्तर्गत स्थानीय जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। वहां पर किसी वनरोज को मारा नहीं गया है और न ही उसके पैर में गोली लगी है। केवल हवाई फायर किया गया और इस पर उनको जेल भेज दिया है। तो माननीय मंत्री जी किस एजेन्सी से इसकी जांच करायेंगे। उसी एस० आई० से जांच करायेंगे या किसी अन्य एस०आई० से जांच करायेंगे यह मैं जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उसको झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आज वनरोज हमारी फसल को खा जाते हैं और उसको भगाने के लिए वह हवाई फायर करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने ग्राह्यता पर इसको सुन लिया है। पूरी बात आ गयी है।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों दोनों पक्षों के माननीय सदस्य इस समस्या से भली-भांति अवगत हैं कि सारे प्रदेश में वनरोज किसानों की फसल को बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं और खास तौर से जो दलहनी फसलें हैं उनको कहीं नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए दालों का संकट उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में पैदा हो गया है। विदेशों से दालें आयात करनी पड़ रही हैं।

श्रीमन्, यह भी शायद माननीय विधायकगण भली-भांति जानते हैं कि नर वनरोज जो हैं उसे कोई भगा ही नहीं सकता है। अगर भगायेंगे तो मार भी डालेगा। कई घटनायें ऐसी आयी हैं। श्रीमन् अगर भगाने के समय किसी ने अगर लाठी से प्रहार कर दिया तो उसमें अगर वनरोज मर गया तो क्या श्रीमन्

उसको जेल जाना पड़ेगा । जैसे चोर, बदमाश डकैती करते हैं, मौके पर मुठभेड़ हो जाती है तो यह कहीं नहीं कानून में है कि उन्हें मार डालिये लेकिन मर भी जाते हैं तो क्या मर जाने पर 302 का मुकदमा मारे जाने वाले व्यक्ति के सन्दर्भ में उस कर्मी के खिलाफ संभव है ? इसी तरह से अगर वन रोज को भगाने के लिए लाठी से प्रहार किया जाता है या फायर किया जाता है और उससे वह वन रोज मर जाता है तो क्या मंत्री जी नियमों में शिथिलता करेंगे कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

यह जो मामला माननीय श्री बी०आर० वर्मा जी ने रखा है बिल्कुल स्पष्ट है । माननीय मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि यह मुकदमा वापस होगा और जिन लोगों ने झूठा मुकदमा कायम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है इससे यह साबित होता है कि यह सरकार किसान विरोधी है, जन विरोधी है । अपने अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत रिपोर्ट दर्ज करायी है उसको भी सही मान लेती है और आम लोगों को प्रताड़ित करने पर उतारू है । यह आश्वासन आना चाहिए कि अगर भगाने के समय पर कोई वन रोज मरा भी है तो भगाने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए । यह मुकदमा वापस हो ।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकरण पर अपराध पंजीकृत हो चुका है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मुकदमा क्या इसमें वापस होगा ? दूसरे जो आर०ई०ओ० जो पार्टी है वे वहीं पर रहेंगे या दूसरे उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे ।

(व्यवधान)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

मान्यवर, शेर तो मेड़ ही मेड़ चला जाता है शिकार नहीं करता है नुकसान नहीं पहुंचाता है । लेकिन हाथी तो सबको नुकसान पहुंचा रहा है ।

श्री धनीराम वर्मा–

पहले श्रीमन् मेरी बात का उत्तर दिला दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

माननीय नेता विपक्ष की बात आई और अन्य सदस्यों के विचार आ गये मंत्री जी का विचार आ गया है । एक अपराध पंजीकृत हुआ है अगर अपराध पंजीकृत हुआ है तो जांच करके ही कोई निर्णय होगा । बरखूराम जी ने अपनी यह शंका उठाई है कि यह जांच कौन करेगा उस थाने से या उसी के द्वारा जांच होगी वो जांच प्रभावित होगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, यह सरकार चाहे तो मुकदमा बिना जांच के वापस ले सकती है । यह हो सकता है और होता भी है । जब मुकदमा वापस होने का आश्वासन हो जायेगा तो जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है । इसमें मंत्री जी का उत्तर आना चाहिए कि मुकदमा वापस ले रहे हैं या नहीं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, नेता विरोधी दल जी, और बरखूराम जी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं यह दोनों विद्वान लोग हैं और इस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं । यह देखना चाहिए कि मुकदमा हुआ है उसके

पैर में गोली लगी है आप कह ही रहे हैं कि रोज वनरोज भगाये जा रहे हैं, तो कितने रोज मुकदमें लिखाये जा रहे हैं ? इस तरह की बात को इस तरह से कहना, नेता विरोधी दल आप भी शासन में रहे हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, चोट लगी है इसकी जांच कौन करेगा, क्या डाक्टरी मुआयना हुआ अगर डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ तो यह असत्य है कि चोट लगी । डाक्टरी मुआयने की जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन सुन लें । यह सारे बिन्दु जांच के हैं कि डाक्टरी मुआयना हुआ कि नहीं, पैर में चोट लगी की नहीं, हवाई फायर हुआ क्या इसका जो आई०ओ० होगा वह जांच करेगा तो सारी तस्वीर साफ हो जायेगी । केवल निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जांच प्रभावित न हो इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह मुकदमा जिस थाने में पंजीकृत हुआ है उससे अलग थाने को निर्देशित कर दें ताकि निष्पक्ष जांच हो जो जांच रिपोर्ट आये उस पर कार्यवाही हो ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को नियम–56 में सुनने के पश्चात् इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो आपकी व्यवस्था होगी वह सभी माननीय सदस्यों को शिरोधार्य होगी यह किसान की इतनी ज्वलन्त समस्या है और सरकार इसमें कितनी संवेदनशील है वह स्पष्ट हो गया । मान्यवर, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आगे यही होगा कि जो भी दरोगा किसी से क्षुब्ध होगा, दुखी होगा, वह आयेगा, एफ०आई०आर० दर्ज करेगा कि आपने वनरोज को मारा है, गोली चलाई है और उसके बाद वह उसको फंसा देगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह के बहुत केस नहीं है । यदि ऐसी कोई बात होगी तो शासनादेश में परिवर्तन के लिये आप इसे फिर से विषय रख सकते हैं और सरकार तद्नुरूप निर्णय करेगी । अब इस पर व्यवस्था आ गई है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

हुआ यह कि एक भी आई० विटनेस नहीं मिला है ।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरे थाने के लिये मैंने निर्देशित कर दिया है । आप जो कह रहे हैं, यह जांच का बिन्दु है । अब आई०ओ० दूसरे थाने का जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, यह नहीं लिखा जायेगा । आप स्थान ग्रहण करिये, मैंने राम नरेश यादव जी को बुला लिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सरकार के इस किसान विरोधी रवैये के कारण मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, तात्कालिक, अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न को सदन के सम्मुख रखकर, सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं । जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है, इससे महत्व का और दूसरा प्रश्न आज की परिस्थिति में नहीं हो सकता । मान्यवर, आजमगढ़ जनपद में माहुल कस्बा है, वहां 15 तारीख को दिलशाद नाम के कार्यकर्ता को फर्जी मुकदमा करके रात में कई थानों की पुलिस ने इकठ्ठा होकर चालान किया, उसका कोई आपराधिक चरित्र नहीं था, न और कोई दोष था । दोष सिर्फ इतना था कि पुलिस जो वहां गडबड़ियां करती थी, उसके विरुद्ध वह आवाज उठाते रहते थे । उनकी गिरफ्तारी के पश्चात् पूरे बाजार में अत्यन्त असंतोष था और हर वर्ग के लोगों ने 17 तारीख को दुकानें बंद करवाई, धरना दिया ।

धरना देते समय, जब सारे लोग इकट्ठा थे, सी०ओ०, फूलपुर वहां पहुंचे । उन्होंने अपनी जीप को धरना स्थल से कुछ दूरी पर खड़ा किया और बिना किसी बातचीत के, बिना किसी विचार-विमर्श के, बिना कोई इस तरह का प्रयास किये कि धरना समाप्त हो जाय, पूरी पुलिसफोर्स के साथ लाठीचार्ज का हुक्म दिया, लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद फायरिंग भी की गई, गोली चलीं और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं भी अपने सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलाई, उसका परिणाम यह हुआ कि कादिर नाम का एक 14 साल का लड़का मारा गया और काफी लोग घायल हुये, इसके बाद इधर-उधर से कुछ ढेले भी चले । उस घटना के बाद वहां पर डी०आई०जी०, कलेक्टर तथा कुछ अन्य अधिकारी भी पहुंचे । मेरी लोगों से बात हुई, मैं 5 घन्टे वहां पर रहा और मैंने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और वहां पर लोगों की दुकानों को खुलवाने का प्रयास किया और बहुत कहने के बाद प्रभारी अधिकारी चौकी माहुल को निलम्बित कर दिया गया । मान्यवर, वहां पर सी०ओ० ने गोली चलायी, एस०डी०ओ० वहां पर नहीं थे । इस प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध अगर धरना नहीं देगें तो प्रजातंत्र में हमारे पास और क्या हथियार हैं, जनता के ऊपर गोली चलायी जा रही है, यह लोक तंत्र में सबसे बड़ी अवमानना की बात है, यहां तो जंगल राज्य हो गया है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलायी जा रही हैं, मैंने प्रयास किया कि शांति स्थापित हो जाये । जनता की मांग थी कि सी०ओ० के विरुद्ध कार्यवाही की जाये, 14 वर्ष का लड़का मर गया, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसके परिवार वालों को 5 लाख की धनराशि दी जाये । मेरा कहना है कि दोषी लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाये और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । जो घायल हैं, उनके परिवार वालों के सामने खतरा बना हुआ है, उनकी सुरक्षा की जाये, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये और इस मामले की न्यायिक जांच की जाये । घायलों को दस-दस हजार रुपये दिये जाये ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरी सूचना इसी विषय पर है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

आप सुन तो लें । एक ही विषय पर कार्य स्थगन दिया है, तो आप सभी लोगों को सुन लें । पहले ऐसा होता रहा है कि अगर एक ही विषय पर कई कार्य स्थगन होते हैं, तो उन को मिला लिया जाता था । आप सुन लें, उनकी बात आ जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात ठीक है, लेकिन सूचना समय से नहीं आयी है । एक विषय की सूचनायें संग्रहीत होती हैं, लेकिन पत्रावली को देखने से पता चलता है कि आपकी सूचना नहीं आयी है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यदि 4, 6 लोगों ने एक ही विषय पर कार्य स्थगन दिया है । एक-एक और दो-दो लोगों की सूचना यदि इसी प्रकार से आती रही, तो एक ही विषय पर चर्चा होती रहेगी, तो इसे एक ही विषय-माना जाना चाहिये और इन लोगों की बात सुन ली जानी चाहिए, यदि ऐसी ही परम्परा रही तो क्या होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका कहना उचित है, काफी समय से एक ही चर्चा हो रही है, तो एक ही साथ सारी सूचनाओं को एकत्र कर दिया जाता है । पत्रावली को देखने से पता चलता है कि आपकी सूचना आयी ही नहीं है । माननीय अवधेश प्रसाद जी ने अभी दिया है, समय से आयी होती तो मेरे पास होती, आपने तो अभी दिया है,न तो कोई नोटिस या सूचना निकाली गयी है, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव की सूचना अभी आ रही है । इसे अभी माननीय अवधेश प्रसाद ने दिया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैंने यह सूचना स्वयं दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी जांच करवा लूंगा, यदि आपने समय से सूचना दी होती तो, वह मेरे पास अवश्य होती । आपकी सूचना नहीं आयी है, आप ऐसा न करें कि सूचना नहीं आयी है और उस पर चर्चा करने के लिये कह रहे हैं, आप ऐसा न करें, नहीं तो यह परम्परा यहां पर शुरू हो जायेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि मैंने हस्ताक्षर किये हैं । सूचना दी गयी है, वह कहां चली गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

सूची में उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, मैं इसका परीक्षण करा रहा हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मेरे पास फोटो स्टेट कापी है । मैं आपको दिखा सकता हूं ।

(व्यवधान)

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है, उस सूचना को मैंने स्वतः जाकर दिया है और इसका पता भी लगाया कि मेरी सूचना तीसरे नम्बर पर है । मान्यवर, मैं व्यक्तिगत जानकारी दे रहा हूं । मान्यवर, इस सूचना को गायब कर दिया गया और यह सूचना इसी घटना पर आधारित है ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी बात सुन लें, आप लोगों की सूचना अवधेश जी ने अभी दी है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि समय से दी है । इस सूची में इसका कही उल्लेख नहीं है और न पत्रावली में कहीं है । प्रकरण तो राम नरेश जी के द्वारा आया है इसमें इसका उल्लेख नहीं आया है और माननीय सदस्यों ने सूचना समय पर दिया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं जो सूचना दे रहा हूं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं । मान्यवर, मुझे व्यक्तिगत रूप से अधिकारी ने सूचना दी है, मैं नाम ले सकता हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरी सूचना तीसरे नम्बर पर है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सूचना कहीं होगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक प्रकरण सुन रहे हैं इस पर सुनने की आपको क्या आपत्ति है ।

श्री अधिष्ठाता–

सूचनाएं बक्से में पड़ी हैं । जितनी सूचना चयनित हुई, वह ऊपर हो गयीं, प्रकरण एक ही है और यह चयन भी नहीं हुआ है तो चारों माननीय सदस्यों में से कोई एक दो अपने विचार दे दें । सभी को सुन पाना कठिन है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप एक-एक मिनट सभी को सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं हो पायेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला केवल आजमगढ़ का ही नहीं है, केवल आजमगढ़ ही नहीं, इर्द-गिर्द के जनपदों में तनाव और आक्रोश है । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । हमारी पार्टी के माननीय सदस्य जिनके क्षेत्र का यह मामला है वह खुद ही आपको इसके बारे में बतायेंगे । मैं आपसे मांग करता हूं कि इस मामले में 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय और कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा कादिर के परिवार को दिया जाय । यह मामला गंभीर है, तात्कालिक है और लोक महत्व का है इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री आलम बदी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे जनपद के कस्बे माहुल थाना हरौला तहसील फूलपुर का मामला है। 17 तारीख का यह वाकया है। हमारे बड़े भाई राम नरेश यादव जी ने भी इस मामले का जिक्र किया है। मैं 17 तारीख से कल रात 9 बजे कस्बा माहुल और उसके इर्द-गिर्द लोगों को ढ़ाढस बंधाता रहा। वहां लोगों में निराशा है। लोग भयभीत और डरे हुये हैं। सच्चाई यह है कि पुलिस चौकी के इंचार्ज के गलत रवैये के खिलाफ कुछ लोगों ने धरना कर दिया जो 40–50 के करीब रहे होंगे। वहां पर चौकी इंचार्ज, सी०ओ० फूलपुर और पुलिस के सिपाही मौजूद थे। चूंकि चौकी इंचार्ज के विरुद्ध धरना था, इसलिये सी०ओ० और चौकी इंचार्ज ने बगैर नोटिस के लाठीचार्ज कर दिया। हो सकता है कि धरने पर बैठे लोगों ने ढेला चला दिया हो लेकिन सी०ओ० फूलपुर ने अपने रिवाल्वर से फायर किया और गोली एक 12 साल के बच्चे के गले में लगी जिसने वहीं पर तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया।

सिर्फ यही नहीं पुलिस उसकी लाश को ले गयी। पुलिस उसकी लाश को 20 किलोमीटर दूर दूसरे थाने कप्तान गंज ले गयी। उसका बाप शाम तक दौड़ता रहा अधिकारियों ने उससे कहा कि लड़के को इलाज के लिये भेजा है। यह चर्चा पूरे दयार में है कि कप्तानगंज में लड़के को कट्टे से फायर किया गया और ईंटों से मारा गया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह इस्टेब्लिश न हो सके कि लड़का सी०ओ० की गोली से मरा है बल्कि यह इस्टेब्लिश हो सके कि पब्लिक ने मारा। अगर ऐसा होगा तो पुलिस से जनता का यकीन उठ जायेगा और फिर बच क्या पायेगा ?

आज पुलिस जनता के लिए एक मुसीबत बन चुकी है और जनता के लिए शासन के नाम पर कलंक का टीका बन गयी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भयमुक्त समाज कायम करेंगे लेकिन ये पुलिस के लोग अपनी खाकी वर्दियों से उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है। मान्यवर, जो बालक मरा है वह 12 साल का था और बहुत ही गरीब परिवार का था। उसके मां-बाप बेहोशी की हालत में हैं। सी० ओ० और चौकी इंचार्ज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया जाये तो इससे मेरी गरिमा रह जायेगी, आपकी गरिमा रह जायेगी और कप्तानगंज के लोगों की गरिमा रह जायेगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, अभी हमारे भाई राम नरेश यादव जी ने व आलमबदी जी ने जो बातें कहीं हैं उसी सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह जो घटना हुई वह थाना-माहूल अहिरौला, आजमगढ़ में 17 तारीख को हुई। उसमें एक बालक की मृत्यु हुई और एक व्यक्ति घायल है। जो व्यक्ति मरा है वह सी० ओ० की गोली से मरा है। लोग बिजली व पानी की समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन कर रहे थे उसी समय सी० ओ० व चौकी इंचार्ज ने आ करके बिना पूछे लाठी चार्ज कर दिया उसके बाद फायर करना शुरु कर दिया। लगभग 200 राउण्ड फायर हुआ। एक बालक जो पढ़ करके आ रहा था वह मर गया और एक व्यक्ति घायल हुआ। उसके बाद भगदड़ मच गयी। इसमें 29 लोगों को मुल्जिम बनाया गया है। जिस लड़के को गोली लगने से मृत्यु हो गयी उसके पोस्टमार्टम के लिए कप्तानगंज ले गये और उसे पुनः कट्टे से मारा गया। रात के डेढ़ बजे पोस्टमार्टम कराया गया। मान्यवर, हर कत्ल का पोस्टमार्टम दिन में होता है लेकिन पुलिस ने दबाव डालकर रात में पोस्टमार्टम कराया। मान्यवर, सी०ओ० और चौकी इंचार्ज पर 302 का मुकदमा कायम किया जाये और उसकी न्यायिक जांच करायी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाये । पुलिस के लोग इस तरह से फायर करके आन्दोलन को नहीं रोक पायेंगे । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, माननीय राम नरेश यादव, श्री आलमबदी एवं श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने जो बातें रखी हैं उससे आगे मैं आपसे कहना चाहता हूं । जिस तरह से यह बर्बर घटना हुई है उससे इंसानियत कांप उठती है । एक 12 साल के बच्चे को गोली मारी गयी और फिर उसे कप्तानगंज ले जाकर रात में पुनः गोली मारी गई और रात के डेढ़ बजे उसका पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस की संगीनों के साये में डाक्टरों पर दबाव डालकर पोस्टमार्टम कराया गया । उसके बाद जब लाश दी जाती है तो कहा जाता है कि 10 मिनट में इसको दफना दो । पुलिस वालों ने अपने हाथ से कब्र खोदी । जैसी कब्र मुस्लिमों की होती है उस प्रकार से कब्र नहीं बनायी गयी । मान्यवर, वहां पर स्थानीय समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन हो रहे थे । यह सी०ओ० जब लालगंज तहसील में थे, माननीय नरेन्द्र सिंह जी मौजूद हैं

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

लालगंज में भी एक धरना प्रदर्शन में उसने गोली चलाने का काम किया था आज वह फूलपुर माहुल में इस तरह की घटना करता है जिससे इंसानियत कांप उठती है । जो सी० ओ० व चौकी इंचार्ज हैं उसके खिलाफ आज तक एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई है, बच्चे का पिता बराबर भटक रहा है लेकिन उसकी एफ० आई० आर० नहीं लिखी जा रही है व जो लोग मुल्जिम नहीं थे उन 29 लोगो के ऊपर 302 का मुकदमा कायम कर दिया गया है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए । व इस प्रकरण की न्यायिक जांच कराई जाए ।

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह प्रकरण बहुत ही गम्भीर है । इससे प्रशासनिक अधिकारियों के हौसले गलत काम करने को बुलंद हो रहे हैं। डी० एम० लाठी चार्ज कराता है गोरखपुर में यहां का सी० ओ० गोली चलाता है कल कोई बड़ा अधिकारी किसी को गोली मारेगा । यह बहुत ही गम्भीर और विचारणीय प्रश्न है । प्रशासनिक अधिकारी ही अब इस तरह की कार्यवाही करेंगे वह स्वयं ही लाठी, डण्डे और गोली से लोगों को मारने लगेंगे तो क्या होगा । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए अगर सरकार न्यायिक जांच पर न सहमत हो तो सी० बी० आई० से जांच करवा ले । जैसा कि बताया गया है वह बच्चा दर्शक होगा वह स्कूल से आ रहा था उसकी हत्या हुई इसलिए निश्चित तौर पर उसके पिता को उसकी मौत का मुआवजा देना सरकार का प्रथम कर्तव्य है इसकी मैं मांग करता हूं । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसका पोस्टमार्टम रात के डेढ़ बजे किया गया इस गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में जो अधिकारी या डाक्टर शामिल हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए । मैं मांग करता हूं कि इस गम्भीर प्रकरण पर विस्तार से चर्चा कराई जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

अधिष्ठाता जी जैसे ही मुझे जानकारी मिली । ..

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री हुकुम सिंह–

अधिष्ठाता महोदय ने मेरा नाम पुकारा इसमें व्यवस्था का सवाल कहां से हो गया ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो विषय चल रहा है इसी विषय पर बहुजन समाज पार्टी के दो माननीय सदस्य श्री मुराद लारी एवं श्री छोटे लाल राजभर ने भी नोटिस दिया है । जिसमें पूर्वांचल में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को उजागर करते हुए लिखा है 16 जुलाई, 1999 को माहुल कस्बा आजमगढ़ में कादिर नाम के एक बच्चे की मौत पुलिस की गोली से हुई जिसकी लाश उसके पिता को नहीं दी गई और दफन कर दी गई ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना में जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं बहुत सी चीजें थीं जिसको अस्वीकृत कर दिया गया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

सबके साथ एक सी व्यवस्था लागू करनी चाहिए । एक विषय पर कई माननीय सदस्यों ने सूचना दी किसी को आपने सुन लिया किसी की नोटिस को अस्वीकृत कर दिया । एक ही प्रकरण की अनेकानेक सूचनाएं आती रही हैं यह सदन की परम्परा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया और उसका परीक्षण कराया गया । प्रकरण वही है, यद्यपि उनकी सूचना अस्वीकृत हो गयी थी, फिर भी उन्हें सुन लिया गया परन्तु आपकी सूचना में ऊपर कुछ है, विषय कुछ और है परन्तु आगे सूचना में आपने एक लाईन यह भी जोड़ी हुई है । इससे तो सूचनायें अलग-अलग हो गई । स्पेशिफिक विषय आना चाहिये । वैसे भी यदि किसी सूचना पर 10–15 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हों तो सबको सुना नहीं जा सकता । आप तो स्वयं इस पीठ पर बैठे हैं । मैंने इस प्रकरण पर माननीय सदस्यों को तथा माननीय नेता विरोधी दल को सुन लिया, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अपना उत्तर देने दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पूर्वांचल में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में दो उदाहरण देते हुए अपनी बात कही गई है कि पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है । एक उदाहरण बलिया का है और एक उदाहरण इसी प्रकरण से संबंधित है । अब यदि आप चाहें तो हमें भी सुन सकते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, जैसे ही मुझे वह सूचना प्राप्त हुई मैंने जिलाधिकारी, आजमगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से जानकारी प्राप्त की । विस्तृत रिपोर्ट मेरे सामने है । मैं संक्षेप में घटना का ब्यौरा बता देता हूं । 17 जुलाई, 1999 को दिलशाद नामक व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध 252, 1999, धारा 354, 504, 506 पंजीकृत है, यह अभियुक्त जमानत पर आया था । स्वयं अपनी गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया और यहां तक कि एक ट्रक ट्राली को खड़ा कर दिया और भीड़ इकट्ठा कर दी । क्षेत्राधिकारी फोर्स लेकर आये तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी । पुलिस के कांस्टेबल श्री विजय राम यादव के पैर में गोली लगी और दूसरे चक्खू यादव के दोनों हाथों में गोली लगी, इसके अलावा 9 पुलिसकर्मी और घायल हुए, तब आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाने की बात कही है । सी०ओ० की गाड़ी में आग लगा दी गई । जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो तब पुलिस ने 10 राउन्ड गोलियां चलाई, जिसमें कादिर नामक बच्चा मर गया । अब स्थिति यह है कि एक आदमी 354 में गिरफ्तार होता है और जमानत पर आता है तो किसी को यह

लाईसेन्स तो नहीं मिल सकता है चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग का हो या बहुसंख्यक वर्ग का, कि वह सारे जनमानस के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दे । रास्ता जाम कर दिया । प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है रास्ता खुलवाने की । क्षेत्राधिकारी वहां पर आते हैं और पुलिस पर गोली चलाई जाती है । दो पुलिस के लोगों को गोली मार दी जाती है और 9 अन्य पुलिस कर्मी घायल हो जाते हैं, तब भी पुलिस आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाती तो कहां पर फायर करती । इसलिये मान्यवर, कुछ लोग अतिरंजित करके राजनैतिक लाभ हेतु इस मामले को यहां पर उठा रहे हैं । यह नियम–56 में नहीं आता है, इसलिये आप इसे अग्राह्य करने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि उधर से गोली चलाई गई तब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई । जीप जला दी गई । सत्य तो यह है कि यह जो पुलिस की रिपोर्ट आई है वह अपने को बचाने के लिये मनगढ़न्त कहानी की तरह बनाई है । ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फर्जी एफ०आई०आर० करके मुकदमा कायम करते हैं । वहां पर कोई भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की बात नहीं है । सब तरह के लोग थे चाहे किसी भी वर्ग के हों । वहां पर उत्तेजना इतनी थी क्योंकि 12 बजे रात को पकड़ा गया था तो वहां के लोगों ने स्वतः दुकानें बन्द कर दी थीं और धरना देने का काम किया था । सी०ओ० वहां पहुंचते हैं । सी०ओ० 100 गज की दूरी पर गाड़ी खड़ी करते हैं और उनके आगे पुलिस होती है कैसे उनकी जीप को जलाया गया ? जब ऐसा समझा गया कि गोली चलाई है पुलिस ने । एक मारा गया है तीन घायल हैं और अन्य भी घायल हुए हैं तब अपने बचाव के लिये जरूर कार्यवाही की गई । पुलिस के जरिये ही जीप जलाने का काम हुआ है ।

यह जो रिपोर्ट आई है कि उधर से गोली चली यह बिल्कुल गलत है । फर्जी तरीके से बनाई गई है कि अपने डिफेंस के लिये गोली चलाई । श्रीमन्, इसीलिये इसमें न्यायिक जांच की जरूरत है । स्थानीय पुलिस से जांच कराने पर जो सत्य है वह सामने नहीं आ पायेगा । जैसा इस समय स्थिति पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है जांच के समय भी किया जायेगा । इसलिये हम चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच करायें । एक आदमी मरा है और कई घायल हुए हैं । उनके परिवार के लोग एफ०आई०आर० लिखाने के लिये घूम रहे हैं लेकिन लिखी नहीं जा रही है । माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी रिपोर्ट दर्ज की जायेगी कि नहीं । जांच न्यायिक होगी कि नहीं । स्थानीय पुलिस ने इस तरह का बर्बर काम किया है वह पुलिस जांच से नहीं आ पायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

राम नरेश जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और मुख्य मंत्री रह चुके हैं । मैंने कहा कि दो पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और उनके नाम भी बताये हैं । विजय राम यादव और छुटकू राम यादव । एक के पैर में गोली लगी है और एक के दोनों हाथों पर लगी है । गोली लगने के बाद में इधर से फायर हुआ । सी०ओ० सहित 9 लोगों को घायल कर दिया गया । अगर इस तरह से प्रशासन चलेगा कि पुलिस और सिपाहियों को गोली लगेगी और वे क्या आत्मरक्षा के लिये कुछ नहीं करेंगे ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

न्यायिक जांच करवा लें दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । इसमें आपको आपत्ति क्या है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी का पक्ष तो आने दीजिये ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । अम्बिका जी इनको समझाइये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है और सूचना की ग्राह्यता पर बल देते हुए जो माननीय सदस्यों ने कहा है उसमें न्यायिक जांच करा लेने में बाधा क्या है । अगर उनकी कहानी सच है तो न्यायिक जांच से दूसरी नहीं हो जायेगी । इतना बड़ा अनर्थ हुआ है पूरे प्रदेश की जनता विचलित हो सकती है । माननीय सदस्यों ने और नेता विरोधी दल ने भी न्यायिक जांच के लिये कहा है आखिर इसमें कठिनाई क्या है । पुलिस ही पार्टी है । हत्या की अभियुक्त है उसमें कैसे पुलिस से न्याय की उम्मीद करेंगे । इतनी गम्भीर घटना है इसकी न्यायिक जांच की मांग सरकार को स्वीकार करनी चाहिए । आप सरकार को निर्देशित करें, सरकार इस प्रकरण की न्यायिक जांच करायें ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

न्यायिक जांच का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

पुलिस के अलावा और किसी मशीनरी से जांच करा लें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्रा–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है इसकी न्यायिक जांच कराई जाए ?

(श्री भीम प्रसाद सोनकर, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री वसीम अहमद, श्री गोपाल कृष्ण, श्री अम्बरीष कुमार, श्री अम्बिका चौधरी एवं विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और न्यायिक जांच की मांग करने लगे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 4.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 04 बजे तक स्थगित कर दी । 04 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया हैं ।)

(4 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम नरेश यादव जी द्वारा नियम 56 में रखे गये प्रकरण पर विस्तार से दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मैं शासन को निर्देशित करता हूं कि इस केस में प्राथमिकी दर्ज करा दें और मण्डलायुक्त से इस प्रकरण की शीघ्रातिशीघ्र जांच करा दें। ग्राह्यता पर सुनने के बाद मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(अगली सूचना पर सदस्यों के नाम पुकारे जाने व उनके अनुपस्थित होने पर)

अब मैं अगली सूचना लेता हूं, सूचना संख्या–6 लेता हूं।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, इस पर पहले श्री ज्वाला प्रसाद यादव जी को सुन लें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मेरी सूचना थी।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपका नाम पुकारा था। अब मैं आगे बढ़ गया हूं।

श्री कौकब हमीद–

माननीय चन्द्र नाथ जी के बाद सुन लें।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में ग्राम तिलौरा थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर में 16/17 जुलाई की रात्रि में अज्ञात हमलावर ने एक यादव परिवार के यहां रात में हमला कर दिया। राम दुलारे यादव 55 वर्ष उनकी हत्याकर दी गयी उनके लड़के विजय बहादुर 22 वर्ष उनकी हत्या कर दी गयी पत्नी सरस्वती 53 वर्ष की थी और उनके लड़के राजेश 15 वर्ष को घायल कर दिया गया। इसके पश्चात् एक साइकिल और कुछ गहने लेकर वे लोग चले गये। वहीं से एक कि० मी० पर एक मौर्य परिवार पम्प सेट पर रहता है, वहां हमला किया गया काशी राम मौर्य 50 वर्ष, उनकी पत्नी चमेली देवी 48 वर्ष, माता विपदा देवी 70 वर्ष को धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल किया गया। और उनके यहां से कुछ कपड़े और गहने लेकर चले गये। मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि इस घटना से पूरे क्षेत्र में आतंक और भय व्याप्त है। अभी तक 5-6 दिन बीत गये लेकिन स्थानीय पुलिस इस घटना का पर्दाफाश नहीं कर सकी है इसमें 2 मृतक के अलावा बाकी सभी 5 लोग गम्भीर रूप से घायल हैं और वह लोग इलाहाबाद के अस्पताल में और नर्सिंग होम में भर्ती हैं तथा जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि मृतक आश्रित को 5-5 लाख रुपये तथा जो घायल हैं उनको एक-एक लाख रुपये देने का निर्देश दें और साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय तत्कालिक घटना पर सदन की कार्यवाही रोक चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय ज्वाला प्रसाद जी ने एक बहुत ही अविलम्बनीय, अतिमहत्वपूर्ण बिन्दु उठाया है। मान्यवर, इस सरकार के कार्यकाल में पिछड़े और गरीबों के ऊपर निरन्तर अत्याचार हो रहा है। केवल एक यही घटना नहीं है, मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र में कुछ ही महीने में 18 हत्याएं हुई और यह सारे पिछड़े और गरीब लोगों की हत्या हुई है और मुलजिम को सब जान रहे हैं कि कौन मुलजिम है लेकिन इस शासन में पुलिस राजनैतिक दबाव के कारण उन मुलजिमों पर हाथ डालने से कतरा रही है। मान्यवर, यह यादव परिवार इतना गरीब परिवार है कि उसके पास खाने तक को नहीं है।

इस तरह से उनका सर कुचला गया है जैसे भर्ता बना दिया जाता है और तीन लोग इलाहाबाद के नर्सिंग होम में एडमिट हैं उनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है । और 2 मौर्या परिवार के लोग एडमिट हैं उनके पास भी दवाई के लिए पैसा नहीं है । यह ऐसी सरकार है जो गरीबों की मदद करने की इच्छा नहीं कर रही है इसको भय नहीं लग रहा है । पूरे मछलीशहर में इससे आतंक व्याप्त हो गया है लोग भयभीत हैं । ये लोग मान्यवर, गरीब लोग हैं मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि उनके इलाज के लिए एक-एक लाख रुपया अविलम्ब दिया जाय क्योंकि उनका इलाज वहां नहीं हो सकता है उनको पी०जी०आई० या दिल्ली भेजना पड़ेगा ।

मान्यवर, दूसरी बात मेरी बहुत महत्वपूर्ण है । मान्यवर, प्रतापगढ़ में लकड़बग्घे का आतंक शुरू हुआ था और वह एक-एक माह तक के बच्चों को ले गया । इस बात को आपका प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष जानता है और इससे जौनपुर भी प्रभावित था । उस समय एक प्रकार से 100 बच्चे उठ गये । मान्यवर, इस यादव और मौर्य परिवार की हो सकता है किसी ने हत्या कराई हो । मेरा क्षेत्र बघेसरा में एक गरीब आदमी जो पिछड़ी जाति का था उसका सर कुचल दिया गया । मान्यवर, एक माह के अन्दर 45 हत्या की घटनाएं हो गयीं ।

[समय 4 बजकर 25 मिनट]

यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय भी है । पिछले एक महीने में पिछड़ी जाति के ही 45 लोगों की हत्यायें की गई हैं । यह सरकार पिछड़ी जाति के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय । यह सारे ही लोग एक-दो बीघे के काश्तकार हैं, इनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं । इसके साथ ही जो मछली शहर के दो लोग मारे गये हैं, उनके आश्रितों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाय और जो घायल लोग अस्पताल में है, उनका इलाज चाहे इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो या दिल्ली में हो, कराया जाय मैं एक बार पुनः सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री चन्द्र नाथ सिंह और श्री ज्वाला प्रसाद यादव के विचारों को मैंने सुना और मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस उत्तर प्रदेश का किसान बहुत अभागा है । अभागा इस मायने में है कि जब पानी नहीं बरसता तो वह आकाश की ओर अपनी निगाहें करता है । जब बाढ़ आ जाती है तो उसके सामने उसकी लहलहाती फसलें तबाह हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और जब भूकम्प आता है तो वह अपनी फसलों को बेरहमी से बरबाद होते देखता है । यह कुदरत का ऐसा खेल है कि उसे अपना मस्तक कुदरत के आगे नीचे करना पड़ता है और मजबूरी में अपने बच्चों को भूखा रखना पड़ता है । आज इस प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालत बहुत खराब है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पहले 25 जून तक मानसून आ जाया करता था । इस बार समूचे प्रदेश में 2-4 जगह को छोड़कर ढंग से मानसून नहीं आया । उत्तर प्रदेश के इटावा, एटा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद सहित मध्य जिलों की स्थिति यही है, वहां न के बराबर पानी बरसा है, इसका नतीजा यह हुआ है कि किसान की फसलें सूख रही है, नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, वाटर लेविल बिल्कुल नीचे चला गया है और पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जानवरों को चारा तक नहीं मिल पा रहा है, जानवर भूख-प्यास से मर रहे हैं, किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है ।

पिछले मई-जून में इतनी गर्मी पड़ी और लू चली कि उसके कारण प्रदेश में लगभग 45 लोगों की जानें चली गई, लेकिन फिर भी यह सरकार नहीं चेती । यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, राजस्व मंत्री बैठे हैं, अगर कुछ किया होता तो यहां प्रस्तुत कर देते । पहले जब यहां अंग्रेज हुकूमत हुआ करती थी, तब भी यदि 25 जून तक मानसून नहीं आता था तो राजस्व विभाग किसानों को सुविधायें मुहैया करना शुरू कर देता था लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इस प्रदेश के मुखिया किसान हैं और किसान होते हुये भी किसान विरोधी नीति अख्तियार कर रखी है । यही स्थिति राजस्व मंत्री की है । यह विषय तात्कालिक है और जनजीवन से जुड़ा है और करोड़ों किसानों से जुड़ा है । इस प्रश्न पर आज की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं तथा आपसे चाहता हूं कि पीड़ित किसानों को तत्काल सुविधायें मुहैया कराने हेतु सरकार को [illegible]श देने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं श्री राम औतार शाक्य को सुनने के बाद शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं [illegible] हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना की ओर आपका [illegible] आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, अभी तक तो ऐसा होता था कि [illegible] उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं सामने आती थी लेकिन इस घटना से यह [illegible] विदित होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह भी बुद्धिजीवियों को अपमानित तथा अत्याचार करने लगे हैं । मान्यवर, 20-7-99 की घटना है । पुरवा के एस० डी० एम० ने अधिवक्ता श्री त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव को अपने चैम्बर में बुलवाया और उनको अपमानित किया । यही नहीं मान्यवर, उनके ऊपर रिवाल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी । मान्यवर, बात केवल इतनी थी, कि श्रीवास्तव द्वारा स्टेट बैंक पुरवा के बैंक से लोन लिया था और उनके खिलाफ आर० सी० जारी हुई थी और अधिवक्ता महोदय ने आर०सी० के विरुद्ध सिविल कोर्ट–उन्नाव के कोर्ट से स्टे ले आये थे, इसी से वह एस० डी० एम० नाराज हो गये और ऐसी हरकत कर दी । उनको हवालात में बन्द कर दिया गया । इससे पुरवा तहसील का जनमानस बहुत ही आतंकित है । पुरवा के सभी अधिवक्ता धरना दे रहे हैं मैं मांग करता हूं कि एस० डी० एम० पुरवा के खिलाफ जांच की जाये और उनको दंडित किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसी के साथ इसको निरस्त करता हूं ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, इस पर आप सरकार का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह चयनित सूचना नहीं है । मैंने आपको सुन लिया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मेरी यह सूचना रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की जा रही घोर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं एवं गैर कानूनी गतिविधियों से [illegible] के बारे में है । मान्यवर, वहां के कुलपति द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है । वहां [illegible] लाखों रुपये के

अनियमित तरीके से व्यय किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गैर कानूनी तरीके से विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर्स के साथ निजी विद्वेष कर अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है और उनका मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां के कुलपति द्वारा अपने चहेते लोगों को अनियमित तरीके से नियुक्तियां दी जा रही हैं और शासनादेशों का खुले रूप से उल्लंघन किया जा रहा है । और माननीय न्यायालयों की खुली रूप से अवहेलना की जा रही है । जो प्रवेश परीक्षा फार्म हैं तथा उसकी ब्राशर में उल्लेख किये गये प्राविधानों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे इन सभी परीक्षाओं के परिणामों की सत्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है । इस प्रकार से वर्तमान समय में विश्वविद्यालय अराजकता के माहौल में है और गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, जिससे वहां का वातावरण दूषित हो रहा है । मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां के इस प्रकार के माहौल को देखकर उसका निरीक्षण किया जाये । स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट में इस प्रकार का प्राविधान है कि सरकार निरीक्षण कर सकती है, मेरे पास अंग्रेजी में है, इसका मैं हिन्दी कर दूंगा ।

दि स्टेट गर्वनमेन्ट शैल हैव दी राइट टू काज ऐन इन्सपेक्शन टू बी मेड बाई सच परसन आर परसन्स ऐज इट मे डाइरेक्ट, आफ दी यूनिवर्सिटी आर एनी कांस्टिट्यूएन्ट कालेज आर ऐनी इन्स्टीट्यूट मेन्टेन्ड बाई दि यूनीवर्सिटी इन्क्ल्यूडिंग इट्स बिल्डिंग्स, लाइब्रेरीज, लैबोरेट्रीज वर्कशापस एण्ड इक्यूपमेन्ट एण्ड आलसो आफ दि इक्जामिनेशनस टीचिंग एण्ड अदर आर कन्डक्टेड आर इन बाई दि यूनिवर्सिटी आर सच कालेजेज आर इन्स्टीट्यूट आर टू काज ऐन इनक्वारी टू वी मेड इन दि लाइक मैनर इन रेस्पैक्ट आफ एनी मैटर कनेक्टेड विद दि एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड फाइनेन्सेस आफ दि यूनीवर्सिटी आर सच कालेज आफ सच इन्स्टीट्यूट ।

मान्यवर, इसी प्रकार से सेक्शन 13 में वाइस चान्सलर की शक्तियों का उल्लेख किया गया है । इसको भी आप देख सकते हैं सेक्शन 13– ए में प्राविधानित है–

दि वाइस चान्सलर शैल बी दि प्रिंन्सिपल एक्जीक्यूटिव एण्ड ऐकेडेमिक आफिसर आफ दि यूनीवर्सिटी एण्ड शैल (ए) एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन एण्ड कन्ट्रोल ओवर दि अफेयर्स आफ दि यूनीवर्सिटी इन्कल्यूडिंग दी कान्स्टीट्यूएन्ट कालेजेज एण्ड दि इन्स्टीट्यूट्स मैन्टेन्ड बाई दि यूनीवर्सिटी एण्ड इट्स एफीलिएटेट एण्ड एसोसिएटेड कालेजेज ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुलपति आवास पर 95.97 लाख रुपया व्यय किया गया, जो निर्धारित धनराशि से काफी अधिक है । इसी प्रकार की मान्यवर, बहुत सी अनियमिततायें है, जो वहां पर हो रही हैं । उसके खर्च पर आपत्ति की गयी, लेकिन फिर भी कुलपति का निर्माण जारी है । इसको माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा के संचालन के कार्य हेतु जो कदम उठाये गये हैं या कार्यवाही की जा रही है, उसमें भी बहुत सी अनियमिततायें हैं । यह कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा के सभी गोपनीय कार्य विश्वविद्यालय की अन्य प्रवेश परीक्षाओं की केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा सेल द्वारा कराये जायें । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां के जो कुलपति हैं वह अपनी मनमानी कर रहे हैं और यहां तक मनमानी कर रहे हैं कि वह हाई कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान जी, अब आप अपनी बात को समाप्त करें । माननीय मंत्री जी को अपना उत्तर भाषण देना है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें । बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

मान्यवर, परीक्षाओं के सम्पादन हेतु श्री एम० डी० शर्मा, को मानदेय पर नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन से पत्र गया है, और यह कहा गया है कि उनकी अनियमित नियुक्ति की गयी है। अगर चाहे तो मैं शासन का पत्र आपके पास भेज सकता हूं। मेरा अनुरोध है कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो इस बात को जरूर बता दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा समय और दे दें।

(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व के विषय पर आप चर्चा करा दें। आप से अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करा कर चर्चा कराने की कृपा करें। श्रीमन् मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 16(6) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जो रजिस्ट्रार होगा वह किसी काम के लिये अतिरिक्त भुगतान नहीं लेगा। लेकिन वाइस चांसलर द्वारा रजिस्ट्रार को इम्तिहान का काम करने के लिये अतिरिक्त मानदेय दिया गया है। यू०पी० यूनीवर्सिटीज ऐक्ट के सेक्शन 16(6) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध है कि किसी तरह का आनरेरियम नहीं ले सकते हैं लेकिन आनरेरियम लिया गया। परीक्षाओं का कन्डक्ट करने के लिये एक सेवा निवृत्त श्री एम०डी० शर्मा को वाइस चांसलर ने नियुक्त किया और 4 महीने के लिये 60 हजार रुपये का आनरेरियम दिया गया और 40 हजार रुपये प्रतिमास सुविधाओं पर खर्च किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया है। और उन खर्चों को अननुमोदित किया है। अननुमोदित खर्च की लायबिलिटी रजिस्ट्रार के ऊपर फिक्स की जाये लेकिन आज तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गयी।

जिस तरह से विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर काम कर रहे हैं उससे यह विश्वविद्यालय गर्त की तरफ जा रहा है, वह विश्वविद्यालय को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि विश्वविद्यालयों के लिये निर्देश हैं कि वह स्वयं संसाधन जुटाने का काम करें उस नीति का उल्लंघन हो रहा है। यह गम्भीर जांच का विषय है। चूंकि विश्वविद्यालय की जांच साधारण स्तर पर नहीं हो सकती इसलिये मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करायें या हाईकोर्ट के जज के माध्यम से जांच करायें या शासन के सर्वोच्च अधिकारी के माध्यम से जांच करायें ताकि आज शिक्षण संस्थाओं में जो निरन्तर अराजकता का माहौल बनता चला जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें। मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण सदन की जिज्ञासा होगी कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आटोनामी के नाम पर जो गलत कार्य हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाय।

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, माननीय मुन्ना चौहान ने रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की अनियमितताओं के बारे में जो चर्चा उठायी और अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में अराजकता है तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों के अन्दर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र नियमित हुये हैं। इस सरकार बनने के पहले शिक्षा सत्र अनियमित थे। पिछले 2 वर्षों में 14 विश्वविद्यालयों में से 12 विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित हो चुके हैं। 2 विश्वविद्यालयों के सत्र 21 वीं सदी में जब देश और प्रदेश पहुंचेगा तो वह सत्र भी नियमित होंगे। मैंने पूर्व में कहा है, विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है

एकेडेमिक एजूकेशन के मामले में हैं जहां तक वित्तीय अनुशासन की बात है हमारी सरकार ने विश्वविद्यालयों के ऊपर वित्तीय अनुशासन कड़ाई से लागू करने के लिये निर्देश दिये हैं ।

कई विश्वविद्यालयों में कठोर कदम भी उठाये गये हैं । जैसा कि मुन्ना चौहान जी ने अभी कहा उनकी बात में विरोधाभास है । एक तरफ उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अन्दर अनियमितताओं की चर्चा की, मैं बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन अनुदान नहीं दिया है । प्रदेश के जो तीन विश्वविद्यालय चुने जाते हैं उनमें से प्रथम स्थान वाले को डेढ़ करोड़ रुपये दूसरे स्थान वाले को 1 करोड़ रुपये और तीसरे स्थान वाले को 50 लाख रुपये उ०प्र० शासन द्वारा दिये जाते हैं । रुहेलखंड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान पाने के कारण डेढ़ करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान दिया जा चुका है । जहां तक परीक्षाओं का सवाल है, चाहे परीक्षा के लिये हो या प्रवेश के लिये, परीक्षा समिति और प्रवेश समिति जो होती है उसके तहत निर्णय लिया जाता है और कार्यवाही की जाती है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ।

अभी तक कोई लिखित शिकायत रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के बारे में नहीं थी । माननीय मुन्ना चौहान जी ने सूंचना दी है । मैं चाहूंगा कि वह विस्तृत जानकारी लिखकर दे दें । उसका परीक्षण कराकर जो भी समुचित कार्यवाही होगी करूंगा, जिससे रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के अन्दर किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके । यह सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी ।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन्, मैं सिर्फ इसमें यह प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई विरोधाभासी बयान नहीं है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जो अनुदान दिया गया है वह यू०जी०सी० ने नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन अनुदान दिया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

आपने अच्छे कार्य के लिए विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित किया । मेरा आशय है कि जब से वर्तमान वाइस चांसलर वहां पर गये हैं जिनको तकरीबन 7-8 महीने हुये हैं तब से इस विश्वविद्यालय के अन्दर निरन्तर अराजकता का वातावरण बनता चला गया है । वर्तमान वाइस चांसलर के कार्यावधि के दौरान वित्तीय, प्रशासनिक और एकेडमिक गड़बड़ियां हुई हैं । यही नहीं मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह से यूनिवर्सिटी ऐक्ट को रिपेल करने के लिए एक इन्क्वायरी कमेटी कांस्टीट्यूट की गयी । यू०पी० यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्तर्गत इन्क्वायरी कमेटी कांस्टीट्यूट करने का अधिकार वाइस चांसलर को नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी विस्तार से आपका इस विषय पर विचार आ गया । माननीय मंत्री जी ने भी अपने विचार रख दिये । मंत्री जी ने परीक्षण कराने की बात कही है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, यह स्पष्ट कर दें कि किससे जांच करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आप जांच की दृष्टि हेतु पूरा प्रकरण शासन को दे दीजिए । कुलपति के विरुद्ध प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता का आरोप है । आप पूर्ण विवरण दे दीजिए । मैं निर्देशित करता हूं कि उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव से जांच करा लेंगे और एक महीने में रिपोर्ट दे देंगे । इसी के साथ मैं इसे नियम–56 में अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की है ।

* श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद बांदा के बड़ोखर खुर्द में प्राइमरी पाठशाला फतपुरवा के प्रधानाध्यापक व प्रधान ने छात्रों के छात्रवृत्ति में से 50 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से काट लिया था । जिसका विरोध उनके अभिभावकों ने किया था । उससे नाराज होकर के ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक ने धमकी दी कि अगले वर्ष न तो तुम्हारे बच्चे पढ़ पायेंगे न वजीफा ही मिलेगा । इस साल प्रधानाध्यापक ने उन 50 छात्रों को अनुत्तीर्ण करके उनका नाम काटकर स्कूल से भगा दिया है । वह अपने दाखिले के लिए तथा आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए इस बरसात में जनपद बांदा के अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं । परन्तु अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है । दो-तीन बार मिलने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है । न ही जिस अध्यापक ने 50 रुपये के लिए उन मासूम बच्चों का भविष्य बरबाद कर दिया है । जिनके बच्चों को केवल ईर्ष्यावश अनुत्तीर्ण कर दिया गया है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है न ही उनको आगे पढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है । जबकि घोर बरसात है घोर बरसात में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है । यदि बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इस जिले की स्थिति भयावह हो सकती है ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे प्रधानाध्यापक के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश देने की कृपा करें तथा सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इसे नियम–56 में अस्वीकृत करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मेरी सूचना पर जब हमारा नाम पुकारा गया उस वक्त मैं नहीं था इसलिए अब मुझे दो मिनट सुन लिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

हमने सबके नाम पुकारे थे जिनके सूचना पर हस्ताक्षर थे लेकिन आप लोग उपस्थित नहीं थे । अब केवल एक माननीय सदस्य दो मिनट में अपनी बात रख लें ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने इस लोक महत्व की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है । पर यह आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को इसलिए दिया गया है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं जो लोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर सुधारा जाए और वह दूसरों के स्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक पहुंच जाएं । लेकिन 27 प्रतिशत आरक्षण जो दिया गया है उसका लाभ केवल पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां ही उठा रही हैं । अधिकांश जो पिछड़ी जातियां हैं वह उस सुविधा से वंचित हैं । इस पर सरकार का ध्यान अनेक बार आकर्षित करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मुस्लिम जनसंख्या कुल आबादी का 18 प्रतिशत है और जितने मुस्लिम जाति के लोग हैं उनमें से लगभग 65-70 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं जैसे कुरैशी अंसारी,अववासी, नाई आदि इनको 27 प्रतिशत आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है । पिछड़े वर्ग के लोग 54 प्रतिशत हैं उनमें से लगभग 17 प्रतिशत लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं । सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिशत मात्र 2.34 है । सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को कुल हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है ।

जहां 17 प्रतिशत की आबादी है वहां पर उनकी एक प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी है । लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत 27 प्रतिशत का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है । कई राजनैतिक और गैर राजनैतिक संगठन मांग करते आ रहे हैं कि 27 प्रतिशत आरक्षण जो पिछड़े वर्ग को दिया गया है उसमें से 8.44 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाय लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है । बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है आज सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है । इसके लिए कोई अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है केवल एक शासनादेश के माध्यम से ही यह सुविधा अल्पसंख्यक समुदाय के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल सकती है ताकि उन्हें भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर उठने का मौका मिल सके जो हजारों साल से पिछड़े हुये हैं और देश के विकास में वह अपना योगदान दे सकें । इसलिए मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण में से 8.44 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाय । इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आरक्षण मजहब या किसी जाति-पाति के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत का जो आरक्षण दिया गया है उसमें जो भी हो वह आयेगा । आप समाज को तोड़ने के लिए तरह-तरह का आडम्बर खड़ा कर रहे हो । कुछ तो आपको सोंचना चाहिए । यह तो आपकी राष्ट्र विरोधी भावना है, समाज तोड़ने की भावना है । मान्यवर, ये लोग तो देश के अन्दर समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं । किस आधार पर यह आरक्षण मांग रहे हैं । हिन्दू मुस्लिम के आधार पर । इस आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया गया है । सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है । मान्यवर, तमाम उम्र तो ये नवाब रहे और लोगों का शोषण करते रहे, किसी को उठाया नहीं, आज भी हजारों बीघा के बाग इन लोगों के पास हैं । यह सबसे बड़े शोषक रहे हैं । इसलिए मान्यवर, इस सूचना को अस्वीकार किया जाय ।

(श्री समरपाल सिंह तथा श्री कौकब हमीद आदि के सदन के वेल पर आने से–घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग स्थान ग्रहण करें । श्री समरपाल सिंह जी तथा इस पर शासन को सुनने के बाद में नियम–56 के अन्तर्गत इसे अग्राह्य करता हूं और जिस माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई, उनके नाम हैं–सर्वश्री रामजग, भोला शंकर मौर्य, मुराद लारी, छोटे लाल राजभर, राम अचल राजभर, श्याम किशोर यादव, राम स्वरूप सिंह, श्रीमती गौरी देवी, विनोद मणि, विजयपाल सिंह, हरदेव सिंह, रामललित चौधरी, विजय कुमार, चन्द्रेश पासवान, मुख्तार अन्सारी, राम प्यारे सिंह, विजय कुमार, आलमबदी, अवधेश प्रसाद, वसीम अहमद, दुर्गा प्रसाद यादव, अकबर हुसैन, हरदेव सिंह, कैलाश यादव,

दद्दू प्रसाद, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्रीराम पाल, बनारसी दास चांदना, प्रमोद कुमार, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, जगदम्बिका पाल, लोकपति त्रिपाठी, कौकब हमीद, बनारसी दास चांदना तथा जगन प्रसाद गर्ग ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 †

* नियोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(व्यवधान)

विधेयकों के पुरःस्थापन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–22, 123 और 228 मान्यवर, इनको आप देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

किस सन्दर्भ में आप बता रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह जो विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है वह उसकी कापी दिये बगैर प्रस्ताव रखा जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पिजन होल में रखी हैं ।

(व्यवधान)

---

† दिनांक 24-7-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलेगा । आपकी व्यवस्था आ जाय । इस सरकार की इस सदन के भीतर और बाहर चलने वाली [× × ×] से यह सदन नहीं चलेगा । अगर इस तरह से चलेगा तो फिर कोई दूसरी परिभाषा बनानी पड़ेगी । मैं आपकी अनुमति से खड़ा हूं और व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें । आपकी क्या व्यवस्था का प्रश्न है बता दें ?

(सदस्यगण अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, आप इनके आचरण को नियंत्रित करें । मैं आपकी अनुमति से अपना निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं उसके बाद भी इस सदन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, उनकी छेड़खानी देखिये ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह इनका बड़ा गंभीर आरोप है छेड़खानी वाली बात के ऊपर । अगर आरोप लगाना होता तो कुंवर साहब के ऊपर लगाते जिन्होंने सारी उम्र यही किया है ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 22–(2) देखें–जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हों, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना किसी उपवेशन में कोई ऐसा कार्य न लिया जायेगा जो उस दिन की सूची में सम्मिलित न हो ।

(3) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न करें ऐसा कोई कार्य जिसके लिये सूचना की आवश्यकता हो, अपेक्षित सूचना की अवधि पूरी होने से पहले साधारणतया किसी दिन की कार्य सूची में नहीं रखा जायेगा ।

नियम–228 भी देख लें इसमें दिया है–"सदन द्वारा विनिश्चित समय सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि सदन नेता द्वारा प्रार्थना न की जाए और उस दशा में, वह मौखिक रूप से सदन को अभिसूचित करेंगे कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामान्य सहमति है और अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जानकर उस परिवर्तन को प्रवर्तित करेंगे ।" इसमें स्पष्ट दिया गया है नेता सदन के लिए नेता तो तमाम लोगों में से हो सकते हैं लेकिन इसमें स्पेसिफिक नेता सदन के लिए दिया गया है, अगर ऐसा न होता तो स्पेसिफिक तौर पर न कहा जाता । विशिष्ट तौर से एक ही व्यक्ति मात्र इसके लिए अधिकृत है जो इस पीठ से अनुरोध कर सकते हैं कि कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित करने हेतु अनुमति दी जाए, मान्यवर, नेता सदन द्वारा निवेदन नहीं किया गया है इसलिए किसी भी स्थिति में आप

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अनुमति न दें। नेता सदन द्वारा अनुमति नहीं मांगी गई है इसलिए मेरा निवेदन है कि कार्यसूची में रखे जाने के लिए जो प्रस्ताव इनका आया है उसको स्वीकार न करें। आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर अनुज्ञा मांगी गई है और माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अनुपूरक सूची में इसको स्थान दिया गया है। इसलिए यह प्रस्ताव पारित माना जायेगा। मैं आपके इस व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(व्यवधान)

अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में यह कर दिया है कि कोई विधवा या ऐसी महिला जिसके बच्चों ने उसे निकाल दिया है या परित्यक्ता है...

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के कई अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

इनको दिए जाने वाला भरण-पोषण भत्ता जो पांच सौ रुपये था उसको बढ़ाकर पांच हजार कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर जाएं।

श्री हुकुम सिंह–

महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह सदन इस विधेयक को पास करेगा।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहते रहे जिससे घोर व्यवधान रहा।)

(घोर व्यवधान के मध्य कार्यवाही चली)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं?

(किसी सदस्य के विचार न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड –2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 125 का संशोधन

2–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 125 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(6) जहां इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि भरण-पोषण के लिए दावा करने वाले व्यक्ति को उसके आलम्ब के लिए और कार्यवाही के आवश्यक व्यय के लिए तत्काल राहत की आवश्यकता है वहां मजिस्ट्रेट उसके आवेदन पर उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के लिए दावा किया गया है, आदेश दे सकेगा कि वह कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसा मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय जैसा मजिस्ट्रेट युक्ति-युक्त समझें भरण-पोषण के लिये दावा करने वाले व्यक्ति को संदत्त करे और ऐसा आदेश भरण-पोषण के आदेश की भांति प्रवर्तनीय होगा।"

3–मूल अधिनियम की धारा 127 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 127 का संशोधन

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह, विधेयक, विधि और व्यवस्था तथा अन्य समस्याओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया गया था। उसके बाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी लेकिन नियुक्ति नहीं होगी। इसमें जो पांच हजार व्यक्तियों की भर्ती की गयी थी वह अभी तक लम्बित है। अब यह अनुभव किया गया है कि राज्य में ऐसे बल की आवश्यकता नहीं है अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर कोई अन्य माननीय सदस्य अपना विचार रखना चाहते हैं।

(किसी सदस्य द्वारा विचार न रखे जाने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न वह है कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड –2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 को निरसित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह 5 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1994 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन

3–उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अध्यादेश, 1999 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1999

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन में आये हुए सदस्य सदन का बहिष्कार करके चले गये)

''यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करें कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इससे पूर्व वे विघटित न की जाय।'' के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा †

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। ''यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करें कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इससे पूर्व वे विघटित न की जायं।''

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। आज इस राजनीतिक संक्रमणकाल में प्रदेश में और देश में चुनावों से स्पष्ट हुआ है कि पिछले दिनों में लगभग एक दशक में जो वातावरण देश और प्रदेश में बना है जिस तरह जनता ने अपनी मानसिकता का परिचय अपने वोट के माध्यम से इस चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से दिया है, वह स्पष्ट करता है कि जो आज के वातावरण में चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक है। जो स्थिति प्रदेश में बनी और लोक सभा के स्तर से देश में बनी उनका कार्यकाल उनकी प्रक्रिया उस तरह से स्थिरता नहीं ला पायी है। जहां तक उनके कार्यकाल की बातें थीं निश्चित रूप से उसमें पूर्णतः नहीं प्राप्त करता। सदन का सीमित काल जो पांच वर्ष का होना चाहिए लेकिन इस अस्थिरता के वातावरण में दो साल ढाई साल के अन्तर्गत चुनाव हो रहे हैं वह प्रदेश के लिए और देश के लिए कहीं से भी हितकर नहीं हैं।

1989 और 1999 के बीच जहां पर दो चुनाव होने चाहिए थे वहां बार-बार चुनाव हुये हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह कार्यकाल 1989 से 1991, 1991-1992, 1993-1995 और 1996 से अभी सदन चल रहा है यह प्रदेश की स्थिति बनी है और इसी तरह से लोक सभा में भी चुनाव जल्दी से जल्दी हुये हैं। श्रीमन् जल्दी चुनाव होने से अनेक कठिनाइयां होती हैं, वित्तीय कठिनाइयां होती हैं। चुनाव के समय प्रदेश को राष्ट्र को एक वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चुनाव जल्दी होने का परिणाम यह होता है कि जहां विकास के कार्य में वित्तीय प्रबन्धन को लगना चाहिए वह विकास के कार्य उस कारण अवरुद्ध होने लगते हैं। बार-बार चुनाव के कारण वित्तीय प्रबन्धन चुनावी व्यवस्थाओं में लग जाता है और करोड़ों रुपये का खर्चा इस तरह से चुनाव में झोंक दिया जाता है। हमारा प्रदेश अभी अपने विकास की तरफ उनमुख है पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। बहुत सी आवश्यकताएं विकास की–जैसे अस्पताल, सड़क, पेयजल और अन्य सारी सुविधायें जिन पर धन खर्च होना चाहिए था वह सारा पैसा चुनाव की इस आग में झोंक दिया जाता है। हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि बार-बार चुनाव जनता के ऊपर एक बोझ सा प्रतीत होने लगता है और हमारे सारे विकास के कार्य अवरुद्ध होने लगते हैं। बार-बार चुनाव से जनता में निराशा का वातावरण बनने लगता है और चुनाव के प्रति जो जनता में आकर्षण रहता है वह अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। चूंकि बार-बार चुनाव होने से हम विकास के कार्यों को नहीं करा पाते हैं।

---

† दिनांक 26 फरवरी, 1999 की कार्यवाही से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनाव के समय जनता के बीच जाकर हम वायदे करते हैं और जल्दी चुनाव के कारण उन वायदों को पूरा करने का हमें वक्त नहीं मिल पाता है और जब फिर जनता के बीच जाना पड़ता है तो उनके आक्रोश का सामना करना पड़ता है । बार-बार विधान सभा भंग होने से राष्ट्रपति शासन लग जाता है जिसमें नौकरशाही को बल मिलता है जब कि जो चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि होता है वह जनता के प्रति जवाबदेह होता है और वह विकास के कार्यों को कराने की अपनी जिम्मेदारी समझता है । राष्ट्रपति शासन ने नौकरशाही प्रभावी होती है वह जनता के हितों की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान रखती है जिससे बहुत सारे धन की बर्बादी होती है और विकास कार्य प्रभावित होता है । किसी भी तरह की सरकार हो राष्ट्रपति शासन से अच्छी होती है, लोक प्रिय सरकार की व्यवस्थायें अच्छी होती हैं, सबसे बड़ी कठिनाई निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायकों या सांसदों के सामने होती है ।

मान्यवर, चाहे पक्ष में बैठे हुए लोग हो या प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग हो उन सबकी एक ही दिक्कत होती है । जब हम चुनाव के लिए जनता के बीच जाते हैं तो कुछ वायदे करके आते हैं । उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए लेकिन वह समय 5 वर्ष का होना चाहिए लेकिन उसके बीच में ही डेढ़ साल, दो साल, ढाई साल में हम चुनाव की आग में झोंक दिये जाते हैं और जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है जो भी कार्य जनता की जनता हमसे अपेक्षा करती है, वह नहीं कर पाते हैं और जब जनता के बीच जाते हैं तो उनके आक्रोश को झेलना पड़ता है आज जनता पूर्ण रूप से जनप्रतिनिधियों से काम चाहती है विकास के साथ-साथ व्यक्तिगत काम का भी रूझान हमसे होता है । लेकिन वक्त कम होने के कारण हम खरे नहीं उतर पाते हैं ।

इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम सदन के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से, अपेक्षा करते हैं और अपने सम्मानित सदस्यों से चाहते हैं कि अपने बहुमूल्य विचारों को रखते हुए निश्चित रूप से एक व्यवस्था दें और सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करे । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 में देश की समस्त विधान सभाओं और अनुच्छेद 83 में लोक सभा का कार्यकाल वर्णित है । उक्त दोनों अनुच्छेदों में समान प्राविधान हैं जिनके अनुसार यदि लोक सभा या विधान सभा यदि पहले विघटित न कर दी जाये तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जिसकी गणना उसकी प्रथम बैठक की तिथि से होती है । उक्त अनुच्छेदों में एक परन्तुक भी है जिसके अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा प्रवर्तित रहने पर संसद द्वारा बनायी गयी विधि के आधार पर एक बार में एक साल के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है परन्तु ऐसा बढ़ा हुआ कार्यकाल आपातकाल समाप्त होने के छः माह के बाद जारी नहीं रहेगा । लेकिन आज की राजनीतिक स्थिति सर्वथा भिन्न हो गयी है । मान्यवर, 5 साल का कार्यकाल तो होना ही चाहिए लेकिन वह सिमटकर एक वर्ष, डेढ़ वर्ष या ढाई वर्ष का रह गया है और जो जनता ने निर्णय देना शुरू किया है उससे ऐसा लगता है कि आज के वातावरण में इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए । इसमें हम माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों को आमंत्रित करना चाहते हैं और मेरा अनुरोध है कि सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो भावनाएं माननीय सदस्य ने प्रकट की है बहुत महत्वपूर्ण है और जहां तक भावनाओं का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष रहना भी चाहिए । नहीं रह पाते हैं तो उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना भी पड़ रहा है । एक साल, दो साल या तीन साल के बाद चुनाव में जाना यह देश के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक

सिद्ध हो रहा है । सारे विकास कार्य ठप हो जाते हैं लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको समझकर चलें । अगर संवैधानिक व्यवस्था यह है पार्लियामेन्ट्री फार्म आफ डेमोक्रेसी अगर उसको सोचकर चलें तो एक नेता सदन होगा, सरकार होगी जो सदन के प्रति उत्तरदायी है । सरकार कोई हो नही, नेता सदन कोई हो नहीं तो 5 वर्ष तक यहां करेंगे क्या, 5 वर्ष तक इसकी उपयोगिता क्या रहेगी । इसलिए भावनाओं के होने के बावजूद यह संभव तब तक नहीं होगा, या तो आप संविधान में आमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था करें कि एक सरकार चुनी जाय, भले ही बहुमत न रहे, वह 5 साल तक चलती रहे ।

[समय 5 बजकर 30 मिनट]

वह भी शायद लोकतांत्रिक नहीं होगा । अभी आपने हरियाणा में देखा होगा कि कल हरियाणा के मुख्य मंत्री का इस्तीफा हुआ । उनसे विश्वासमत प्राप्त करने के लिये कहा गया था, वह इस स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने अपना त्याग-पत्र दे दिया । सदन रहेगा, काम कुछ करेगा नहीं, यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा, बिना उत्तरदायित्व के कोई सदन कायम रहे, यह ठीक नहीं है । माननीय सदस्य की भावना बहुत पुनीत है, बहुत पवित्र है, यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय तो आदर्श होगी, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, उसमें यह संभव नहीं हो पायेगा । विश्व में कहीं भी आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी कि बिना सरकार के सदन चलता हो । हमारे यहां कल्पना यह की गई है कि मेजारिटी की सरकार होगी, उसी का नेता होगा और सरकार बनाने की पूरी व्यवस्था संविधान में दी गई है और वह सरकार इस सदन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लिये जिम्मेदार होगी । इसलिये उत्तरदाई सरकार के अभाव में लोकसभा या विधान सभा के गठित रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । माननीय सदस्य की भावना आ गई, मैंने ऽ.सा भी कर दी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं रहेगा ।

* श्री रामजग–

अधिष्ठाता महोदय, मैं भी अपना कुछ विचार इस विषय पर रखना चाहता हूं । हमारे सम्मानित साथी का जो प्रस्ताव है, वह विचारणीय विषय है । उनका प्रस्ताव है कि सरकार 5 साल तक चले, इसी के साथ संविधान में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जनता के बीच जाते हैं और जनता हमको चुनकर भेजती है, लेकिन चुनकर आने के बाद व्यक्ति किसी दूसरे दल में जाता है तो उसे इस्तीफा देकर दुबारा जनता के बीच में जाना चाहिये और तब जनता जिसके साथ उसे भेजे, उस पर उसे जीतकर आना चाहिये । सरकार 5 साल तक चले, अच्छी बात है लेकिन चुनकर आने के बाद जनता की भावना के विपरीत दूसरे दल में चले जाते हैं, ऐसी सरकारों के 5 साल चलने से बेहतर है कि हम जनता के बीच दुबारा जायें । अगर उत्तर .देश से बाहर केरल की तरफ देखें तो आप पायेंगे कि वहां एक-दो विधायकों की संख्या कमी के कारण सरकारें बनती-बिगड़ती हैं । वहां सिद्धान्तों के आधार पर लोग चुनकर आते हैं और उसी आधार पर सरकार बनती हैं और वहां ऐसी ही सरकारों को अच्छा समझा जाता है । यहां हम लोग दूसरे दलों से तोड़कर सरकार बनाते हैं, इससे तो बेहतर है कि सरकार न बनावें, भले ही 5 साल तक चले या न चले ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार 5 साल तक चले, इसके लिये यह भी जरूरी है कि समानुपातिक प्रभुत्व की व्यवस्था होनी चाहिये । अगर इस आधार पर प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो इससे दलबदल समाप्त होगा और तब सरकारें भी 5 साल तक चलेंगी । हमारे साथी का जो प्रस्ताव है, उनकी भावना अच्छी है, परन्तु दलबदल को रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिये, यदि कोई दलबदल करता है तो उसे इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव में जाना चाहिये ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह प्रस्ताव लोकहित में है और जनता के हित में है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी भावनाओं को केन्द्र तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डे जी क्या आप इस प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं या वापस ले रहे हैं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मैं इसको वापस ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय श्री गोरखनाथ पान्डे जी ने रखा है, उसे वापस करने की अनुमति दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर सरकार द्वारा प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा †

श्री अधिष्ठाता–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा जारी ।

क्या कोई माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार रखना चाहते हैं ।

(किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

* परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री रंग नाथ मिश्र)–

मान्यवर, जनसंख्या नियंत्रण पर माननीय बाजपेयी जी ने अपने विचार रखे, मैं उनका आभारी हूं । मान्यवर, जनसंख्या वृद्धि देश और प्रदेश के लिये एक भारी समस्या है । इससे न केवल विकास की गति कम होती है, बल्कि और तमाम सारी समस्यायें उठ खड़ी होती है । हम जो भी काम करते हैं, वह इससे प्रभावित होती हैं । हमारी योजनायें प्रभावित होती है, उनका विकास नहीं होता है । जनसंख्या को सीमित करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं । लेकिन ऐसे तमाम कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि रुक नहीं पा रही है । तमाम कारणों में से कुछ कारण है कि बच्चों का विवाह कम उम्र में हो जाता है, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती है, महिलाओं को उपेक्षित किया जाना, उनकी आर्थिक स्थिति का ठीक न होना है और लोगों को पुत्र प्राप्ति की लालसा रहती है । महिलाओं को शिक्षित करने के लिये और महिलाओं को डिग्री प्राप्त कराने के लिए, डिग्री तक की शिक्षा उनके लिए निःशुल्क शिक्षा

---

† दिनांक 22-7-99 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का प्राविधान किया गया है । प्रत्येक ब्लाक में कन्या इण्टर कालेज को 20 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये गये हैं । परिवार में पुत्र प्राप्ति की लालसा के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है । जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाये हैं । शिशु मृत्यु दर 85 प्रतिशत है इसको रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं । सरकार ने विशेषकर टिटनेस के टीके लगाने का अभियान चलाया है । टिटनेस से बच्चों की मृत्यु हो जाती है । इसको कम करने के लिए सरकार ने प्रयास किये हैं बच्चों की मृत्यु दर अपने उत्तर प्रदेश में जो है उसमें कमी करने के लिए पल्स पोलियो टीके का अभियान चलाया गया है जो एक परिवार नियोजन कार्यक्रम है । उसमें हमने अपनी रणनीति को बदला है ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कहें कि आगे बढ़ें ।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, मंत्री जी का वक्तव्य पूरा हो जाने दें । मैंने पूछा था कि कोई माननीय सदस्य है तो नहीं । पूछने के बाद ही मैंने माननीय मंत्री जी को पुकारा था ।

श्री मुन्ना चौहान–

कृपया माननीय मंत्री जी से कहें कि वह अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । माननीय मंत्री जी की बात को पूरा होने दें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

पहले परिवार नियोजन करने के लिए नसबन्दी के कार्यक्रम चलाये जा रहे थे, लेकिन हमारी रणनीति बदल गयी है । इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है जनसंख्या वृद्धि के जन्म दर में शिशु जन्म दर है । इस वृद्धि दर में नियंत्रण किया गया है । अब शिशु जन्म दर लगभग 85 प्रतिशत है । भारत में शिशु मृत्यु दर 71 प्रति हजार है । उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं । पिछले दिनों गर्भवती माताओं को टिटनेस का टीका लगाया गया था । इसके अतिरिक्त डायरिया और निमोनिया आदि के टीके भी लगाये गये थे ताकि गर्भवती माताओं की मृत्यु दर में भी कमी हो, इसके लिए भी टीका अभियान चलाया गया था । इन माताओं के लिए प्रसव केन्द्र भी खोले गये हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे । मान्यवर, आदेश दे रखे हैं, जो नसबन्दी कराते हैं, 2.50 पैसे महिलाओं पर खर्च और 2.30 पैसे हर पुरुष वर्ग में खर्च किया जा रहा है । पुरुषों में इतना उत्साह नहीं आ पा रहा है, इसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है । पुरुष वर्ग में उसको दूर करने के लिए प्रचार-प्रसार के माध्यम से कोशिश की है पुरुष वर्ग आगे आये, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके ।

(व्यवधान)

मान्यवर, ऐसा लगता है कि विपक्ष के लोगों ने परिवार नियोजन स्वीकार कर लिया है, यह उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिखायी दे रहा है, मैं अपने माननीय सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, इसमें अभी तक आर०एच० के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें जो सब सेन्टर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या है, लेकिन इस संख्या को देखते हुए बहुत कम है । हम भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कुछ अनुमति हमें दें, जिससे और व्यवस्था करा सकें और सब सेन्टर स्थापित करा सकें । इसके लिए हम विचार-विमर्श कर रहे हैं, इसके कारण कुछ कठिनाई हो रही है ।

मान्यवर, 7 हजार सब सेन्टर, 13 हजार सब सेन्टर किराये के मकान में चल रहे हैं, फिर भी आर०एच० के माध्यम से हम पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं । दूसरी जो समस्या है, इसमें सबसे बड़ी यह है कि इसमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है और इसमें विपक्ष की तरफ से माननीय रेवती रमण सिंह ने जो सुझाव दिया है कि ऐसे लोगों को नौकरियों में न रखा जाय और उन्होंने प्रोमोशन में सुझाव रखा था । किन्तु जब हम नीति बनायें और इस प्रकार के कार्यक्रम लागू करेंगे, तब अपनी पुरानी आदत के अनुसार विपक्षी विरोध करना शुरू कर देंगे । किन्तु जब सुझाव आया, बहुत अच्छा सुझाव है । हम चाहते हैं कि उसको मंत्रि-परिषद् में प्रस्तुत करने के लिए रखा जाय और उसमें जनसंख्या नीति घोषित होगी । उसमें जो नियम बनेगा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी । सम्मानित विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का सहयोग होना चाहिए, वैसे इस प्रकार की बातों पर हंसी होती है लेकिन यह देखने में आया है कि भारत के जो दूसरे प्रदेश हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण हुआ है, केरल, तमिलनाडु वहां के विधायक और सांसद जहां किसी प्रोग्राम में जाते हैं वहां पर वह जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा करते हैं । जनसंख्या वृद्धि आज विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गयी है । बिजली नहीं मिल रही है, पर्यावरण की जो समस्या है, उसका कारण जनसंख्या वृद्धि है । इसलिये जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वह समाज में, जनता में जागरूकता लायें तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को जनता स्वीकार करेगी । 1975 में जबरदस्ती नसबन्दी की गयी और उसका परिणाम जो निकला उससे यह हुआ कि विगत 10 साल तक इस पर चर्चा नहीं हुई । राजनीतिक दलों ने इस पर बात करना भी बन्द कर दिया था । लेकिन माननीय कल्याण सिंह की सरकार ने इस पर दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्त की । पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 6 करोड़ जो आज बढ़कर 16 करोड़ हो गयी है । इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्त की है भविष्य में निश्चित रूप से उनकी इच्छा शक्ति के कारण सुधार होगा जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा और देश तरक्की करेगा । धन्यवाद ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनसंख्या वृद्धि वैसे तो विश्वव्यापी है लेकिन जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या की रफ्तार निरंतर बढ़ती जा रही है वह गम्भीर चिन्ता का विषय है । जब जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होती है तो जो लक्ष्य सामने रखकर चलते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति जनसंख्या वृद्धि के कारण सम्भव नहीं हो पाती । जनसंख्या के बारे में हम लोग बात तो करते हैं लेकिन व्यावहारिक धरातल पर कोई कार्यवाही न होने से कदाचित जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना सम्भव नहीं है । जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया जायेगा तब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता है । जैसा कि माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा एक बार एक प्रयास किया गया था लेकिन उसका राजनीतिक परिणाम अच्छा नहीं निकला । जो जोर जबरदस्ती की गयी उसका नतीजा जो निकला उसको देखकर एक लम्बे अर्से तक लोगों ने इस पर बातचीत बन्द कर दिया । यदि हम देश और प्रदेश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं और लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए इन्तजाम करना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण लगाना पड़ेगा । चीन जैसा मुल्क जिसकी जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक थी उस देश ने जीरो ग्रोथ रेट एचीव करके साबित कर दिया है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है । आज जरूरत इस बात की है कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जनसंख्या नियंत्रण को अंजाम दें ।

श्रीमन्, जनसंख्या की बढ़ोत्तरी का कारण देखें तो एक बात निकलकर सामने आती है कि जो पापूलेशन का ग्रोथ रेट है वह गरीबी और अशिक्षा के कारण है । कुल मिलाकर यदि हम इन तथ्यों पर जहां अशिक्षा है, गरीबी है यदि यह जो इन्ग्रोडियन्स हैं इनको ले करके चलते हैं तो जाहिर तौर पर इनके समाधान के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं । पुराने समय में देखा जाता था कि शिशु मृत्यु दर इतनी

ज्यादा थी बच्चे सरवाईव नहीं करते थे तो लोग अनजाने और अनचाहे भी बच्चों को जन्म दिया करते थे क्योंकि उस समय की स्थितियां ठीक नहीं थी और प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाता था। तमाम कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाये गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि जनसंख्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं तो चीन के उस उदाहरण को पेश करना चाहते हैं जिसके अन्दर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से, रोजगार से, सामाजिक सुख-सुविधाओं से जोड़ने का काम किया। जब तक हम यह नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक योगदान करेगा उसे एमिनिटीज के हिसाब से सुविधायें देकर प्रेरित करें सम्मानित करें। जब तक हम ऐसे लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे तब तक हम इस ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पायेंगे।

अभी हम लोग इस सम्मानित विधान सभा के अन्दर चर्चा कर रहे हैं, इस सम्मानित विधान सभा के अन्दर पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को दूसरे लोगों के ऊपर लादने की बात करें क्यों नहीं जनप्रतिनिधि इस बात का संकल्प ले करके चर्चा करें, किसी प्रदेश में सम्भवतः राजस्थान में इस बात की चर्चा हुई थी कि जिस व्यक्ति के 3 से अधिक बच्चे होंगे, लोकल बाड़ीज के इलेक्शन में पात्र नहीं रह जायेगा और वह डिस्क्वालीफाई हो जायेगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर बड़ा भारी नेटवर्क है, पंचायतों के पदाधिकारी हैं इसी से जोड़ते हुए विधान सभा और पार्लियामेन्ट की सीढ़ी है। सरकार की तरफ से जो सुविधायें है, समाज में जो एमिनीटीज हैं, यदि उससे रिलेट करके चलें तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर डा० बाजपेयी जी ने चर्चा शुरू की मैं उनका आभारी हूं। मैं आशा करता हूं कि इस सदन में चर्चा के माध्यम से निश्चित रूप से हम किसी अच्छे रास्ते पर जाने का काम करेंगे।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि जनसंख्या प्रदेश की और देश की बढ़ती जा रही है। 1951 की जनगणना में देश की आबादी मात्र 36 करोड़ थी। 1991 की जनगणना में 87 करोड़ हो गयी। 1951 की जनगणना के जो आंकड़े थे उसमें 32 करोड़ हिन्दू, 3 करोड़ मुस्लिम और एक करोड़ ईसाई आबादी थी। आज जो वोट की राजनीति है होड़ लगी है कि जाति और सम्प्रदाय की कि हमारी संख्या कितनी है, हमारी जाति के कितने लोग हैं तथा जाति में गोत्र और सम्प्रदाय कौन सा है। कुछ राजनीतिक दल विशेष के लोगों में होड़ लगी है कि सम्प्रदाय विशेष के वोट कैसे मिलें जब इस प्रकार की होड़ होगी तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या पर रोक लगने के स्थान पर जनसंख्या सत्ता पाने का हथियार बन जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि वास्तव में इस सदन के माध्यम से जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उ० प्र० है यह गरिमा पूर्ण उसका सदन है। इस दृष्टिकोण से निवेदन है कि सभी राजनीतिक दल के नेताओं की एक बैठक बुला ली जाए और सर्वसम्मति से एक विधेयक का प्रारूप बना लिया जाए इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश और देश के हित में देखने की जरूरत है तभी इस समस्या का हल होगा अन्यथा चर्चा मात्र चर्चा रह जाएगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही हैं। मैं मात्र दो सुझाव देना चाहता हूं। यह एक सुविदित तथ्य है कि विकास और जनसंख्या वृद्धि यह एक साथ नहीं चल सकते। यदि विकास और समृद्धि हमको चाहिए, प्रदेश को चाहिए, प्रदेश की जनता को चाहिए तो यह बात सही है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक है और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मंत्री जी अभी बता रहे थे कि जनसंख्या नीति बन रही है श्री केशो मेहरा जी ने सुझाव

रखा मेरा पूरा विश्वास है कि जब सरकार विपक्ष का भी सहयोग लेना चाहती है और विपक्ष सहयोग देने को तैयार भी है तो शासक पार्टी का, सरकार का यह दायित्व भी बनता है कि विचार विमर्श में भी विपक्ष का हिस्सा हो मेहरा जी ने भी सुझाव दिया मेरा पूरा विश्वास है कि मंत्री जी इस पर अमल करेंगे । जब जनसंख्या नीति को अन्तिम रूप दें उससे पूर्व सभी दलों की बैठक बुलाकर इस पर विचार विमर्श करके सर्व सम्मति से नीति बनाने का प्रयास करें जिससे समग्र उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ सके ।

मैं दो सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं । उनमें पहला सुझाव है कि जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के नाम कितनी भूमि हो इस कानून द्वारा अधिकतम सीमा निर्धारित है अगर हम मान लें कि किसी के एक ही लड़का है तो उसकी भूमि सीलिंग में चली जाएगी और किसी के दो बच्चे हैं तो उसकी भूमि सीलिंग में नहीं जाएगी दूसरी तरफ जिन लोगों के अधिक बच्चे हों उनको भूमिहीन मानकर भूमि देने का काम करते हैं अतः जिनके अधिक बच्चे होते हैं वह भूमि सुधार कानून से लाभान्वित होते हैं और जिनके एक बच्चा होता है उससे भूमि ले ली जाती है । अतः निश्चित रूप से इससे हम जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं । इसमें भी कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि इससें जनसंख्या वृद्धि पर जो नियंत्रण है उसमें सहायता मिल सके ।

दूसरा सुझाव यह है कि भारत के संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि वयस्क मताधिकार हमको प्राप्त है एक वोट देने का सबको अधिकार है और जब हम अपनी पार्लियामेन्ट्री कांस्टीटुएंसी या एसेम्बली कांस्टीटुएंसी या नीचे के स्तर पर सीमांकन का कार्य करते हैं तो एक हजार से कम आबादी जहां होती है उसको ग्राम पंचायत नहीं मानते तो इससे हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं । यह प्रजातन्त्र का युग है । जब सन् 2001 की जनगणना के बाद पुनर्सीमांकन का काम होगा तो ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इस दिशा में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की दिशा में अधिक काम किया है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम किया है, जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने का काम किया है जब अगली बार पार्लियामेंट्री सीट का निर्धारण होगा, एसेम्बली सीट का निर्धारण होगा तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों को हानि होगी जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है ।

मैं प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर भी यह सुझाव केन्द्र सरकार को भेज सकें कि वोट का अधिकार हमारे संविधान में हर व्यक्ति को दिया है लेकिन कांस्टीटुएंसी की पुनर्सीमांकन, क्षेत्रों का निर्धारण आबादी के आधार पर न करें तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है । यह सीमांकन क्षेत्रों के आधार पर कर दें । इससे लोगों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं । श्री मेहरा जी ने बहुत ठीक बात कही कुछ दल ऐसे हैं जो यह अफवाह फैलाकर कि एक धर्म विशेष के लोगों, एक जाति विशेष के लोगों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है इसलिए दूसरों को भी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए यह काम यह लोग प्रदेश और देश में कर रहे हैं मैं उन दलों से अनुरोध कर रहा हूं वह ऐसी हरकतों से बाज आयें । धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जनसंख्या की समस्या न जोड़ें जैसा श्री मेहरा जी ने कहा है उसी भावना के अनुरूप सभी लोग मिलकर प्रयास करें । ताकि जिस लक्ष्य के लिए हमने स्वतन्त्रता हासिल की, जिसकी स्वर्ण जयन्ती हम मना भी चुके हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश और देश के लिए चिन्ता का विषय है । इस गम्भीर विषय पर हल्के-फुल्के ढंग से हम विचार करें, कोई अच्छी बात नहीं है । चीन हमसे एक साल पहले आजाद हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है । किसी भी देश में बीमारी का इलाज करने

से पहले उसकी सही डाइगोनोसिस करना आवश्यक है, अन्यथा इलाज नहीं हो सकता है । जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसका एक कारण है गरीबी और अशिक्षा ।

भारत सरकार ने कई योजनायें चलायी, इमरजेंसी में नसबन्दी का कार्यक्रम चलाया, बूढ़ों की भी फर्जी नसबन्दी करायी गयी, ऐसा लगने लगा कि इससे आबादी बढ़नी रुक जायेगी । अगर वास्तव में ईमानदारी से जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो अशिक्षा और गरीबी को दूर करना होगा । गांवों में रहने वाले लोग गरीब हैं, यदि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ईमानदारी से इसे रोकना चाहते हैं तो भूमि सुधार कानूनों को नये ढंग से लागू करना होगा, जोत हदबन्दी कानून को नये ढंग से लागू करना होगा । जोतने वाले के हाथ में जमीन नहीं है । जब तक हम कृषि क्रान्ति नहीं लायेंगे और जोतने वाले के हाथ में जमीन नहीं देंगे तब तक हम जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं । जोतने वाले के हाथ में जमीन देने से उसका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और उसका शैक्षिक स्तर ऊंचा उठेगा तो वह जनसंख्या के प्रति जागरूक होगा । आज भी भू-स्वामियों के हाथ में जमीन है जो चोर दरवाजे से जोत हदबन्दी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं । जब गरीब के हाथ में जमीन ही नहीं होगी तो वह खाली घर पर बैठा रहेगा और उसके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं होगा तो जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम जग–

इसके पीछे एक व्यवस्था काम कर रही है वह है पूंजीवाद के आधार पर, लूट के आधार पर, आधारित व्यवस्था । चन्द मुट्ठी भर लोग सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं, गांव में रहने वाले लोग इन सुख सुविधाओं से वंचित हैं । उनके पास मनोरंजन के साधन नहीं हैं, रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं है तो इसका असर जनसंख्या पर पड़ेगा ही जनसंख्या में वृद्धि होगी । मेरा सुझाव है कि केरल में आबादी के सवाल पर वह हिन्दुस्तान का एक ऐसा प्रदेश है जहां आबादी कम है जनसंख्या वृद्धि कम हुई है । वहां पर वामपंथी मोर्चे की सरकार है । वह शिक्षा के क्षेत्र में भी इस देश का पहला प्रदेश है । हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, सबसे पीछे है । हां गरीबी के नाम पर और जनसंख्या वृद्धि के नाम पर यह हिन्दुस्तान का पहला प्रदेश है और हिन्दुस्तान दुनिया में गरीबी और जनसंख्या के नाम पर पहला देश है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम जग–

आप देख लें चीन को । वहां कम्युनिस्ट हुकूमत है । वहां पर जनसंख्या वृद्धि कम है । भारत सरकार के मुखिया और प्रदेश सरकार के मुखिया को चाहिए कि एक प्रतिनिधि मण्डल बनाकर चीन अध्ययन करने के लिए जायं और वहां की व्यवस्था को इस मामले में यहां पर भी लागू करें । अगर सही मायने में विकास करना चाहते हैं तो जो गरीब हैं उनके लिए जमीन की व्यवस्था करें, रोजगार की व्यवस्था करें, उनको शिक्षित करें तो निश्चित तौर पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक होंगे । इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य विचार करते हुए प्रदेश के अन्दर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए जो बुनियादी काम हैं, वे किये जायं तब ही ईमानदारी से कहेंगे कि काम हो रहा है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकारी प्रयासों के बावजूद भी उस पर प्रभावी नियंत्रण पाने के कारण इस सदन ने बड़ी गम्भीर चर्चा की । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी माननीय सदस्यों को, डा० सरजीत सिंह डंग, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राम तेज यादव, श्री लाल जी वर्मा, डा० वी० पी० सिंह चौहान, डा० राम बाबू हरित, केशो मेहरा, मुन्ना सिंह चौहान जी, अम्बरीष जी, राम जग जी और स्वयं आपका भी । आज तो आप इस कुर्सी पर बैठे हैं परन्तु 31 मार्च, 1999 को जब चर्चा हुई थी आपने इसमें भाग लिया था और अपने सार्थक सुझाव भी दिये थे । मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं । एक कष्ट सरकार की तरफ से है कि 31 मार्च, 1999 को जब इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसकी सर्वाधिक कठिनाई सरकार को आती है जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उसके विकास के संसाधन सीमित होने के कारण विकास की इच्छा शक्ति होते हुए भी सरकार विकास नहीं कर पा रही है ।

ऐसी कठिन परिस्थिति में होते हुए भी सरकार ने 31 मार्च, 99 को माननीय मंत्री जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए मंत्रि-मण्डल की उप समिति बनायी है । जनसंख्या नीति बनाने के लिए 28 जनवरी, 99 को यह उप समिति बनायी गयी थी लेकिन आज 6 महीने बीतने के बाद भी आज फिर मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए सरकार का पक्ष रखते हुए उसी रटे रटाये वाक्य को दोहराया कि जनसंख्या नीति बनाने के लिए उप समिति मंत्रि मण्डल की बनायी है । इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी तक आप कोई नीति का निर्माण नहीं कर पाये । सरकार ने इस बीच में इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कई नीतियां घोषित की हैं लेकिन वह सारी नीतियां इस जनसंख्या वृद्धि के ज्वालामुखी की भेंट चढ़ जाने वाली हैं और 6 महीने बीत जाने के पश्चात् मैं तो श्रीमन् यह अपेक्षा कर रहा था कि आज शायद सरकार इस चर्चा के दौरान अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा करेगी, लेकिन खेद है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए तमाम नीतियों के बारे में तो कहा लेकिन सरकार ने जनसंख्या वृद्धि नीति की घोषणा नहीं की । इसके दुष्परिणामों के बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, विकास की गति अवरुद्ध होने की चर्चा की है, आज की तारीख में जो परिस्थिति है आबादी के बराबर बढ़ने से सभी विकासशील देश थक रहे हैं जमीन का जल स्तर एक मीटर से तीन मीटर तक प्रतिवर्ष घट रहा है इसी तरह जल स्तर नीचे गिरता रहा तो वह भयावह स्थिति आ जायेगी कि कुछ वर्षों के बाद भू-गर्भ से पीने का जल नहीं मिले और इसके लिए हमें वैकल्पिक व्यवस्था ढूढ़नी पड़ेगी ।

जनसंख्या की दृष्टि से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है । कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि की रोक में बाधक हैं । चार प्रमुख धर्म हैं । तीन प्रमुख धर्म संप्रदाय हैं । आश्रम पद्धति के अनुसार औसतन मानव जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए 25-25 वर्ष के चार भागों में बांटा गया है । द्वितीय भाग में प्रजनन भी सीमित है जैसे राम और सीता के दो पुत्र लव एवं कुश तथा भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र प्रद्युम्न । मनु ने कहा है -" कि प्रथम शिशु कर्तव्य का बोध है और शेष वासना के प्रतीक । " ऋग्वेद में एक ही शिशु होने की सलाह दम्पति को दी गई है । प्राचीन भारत के महान स्वास्थ्य आदर्श वैज्ञानिक ऋषि चरक के अनुसार 21 वर्ष से पहले पुरुष और 18 वर्ष से पहले कन्या का विवाह नहीं होना चाहिए । अनचाहे गर्भ धारण से छुटकारा पाने के भी चरक सदैव हितैषी रहे हैं । जनसंख्या वृद्धि के कारण 45 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है । साढ़े पांच करोड़ बच्चे गुलामी का जीवन जी रहे हैं और पांच करोड़ बालिग बेरोजगार हैं ।

यह स्थिति बहुत ही दुखद है । अरब देश में परिवार नियोजन हेतु "अजल" की विधि का प्रयोग किया जाता था जिस पर कोई धार्मिक प्रतिबन्ध कभी नहीं लगा । इस्लाम में विवाह किये जाने एवं बच्चे पैदा किये जाने की जरूरी शर्तें या नियम नहीं बने हैं । कुरान मुस्लिमों की संख्या के आधार पर नहीं

वरन् उनके तत्व को महत्व देता है। "हदीथ" में कहा गया है कि थोड़े परन्तु योग्य अनेकों अनचाहों से ज्यादा उत्तम है। गर्भधारण पर प्रसिद्ध दार्शनिक एवं सूफी अल घजाली का कहना है यदि किसी को ये महसूस हो कि बच्चे होने पर उसे जीवनयापन के लिए बुरे मार्ग पर चलना पड़ेगा, उसे बच्चे नहीं होने देने चाहिये ताकि उससे भविष्य में पाप न हो पायें। यदि किसी पुरुष को यह महसूस हो कि उसकी पत्नी के बच्चे होने पर उसके स्वास्थ्य या सुन्दरता पर प्रभाव पड़ेगा और उसके सम्बन्ध अपनी स्त्री से बिगड़ सकते हैं, तो उसे अपनी पत्नी को गर्धधारण हेतु रोकने का प्रयास करना चाहिए। इस्लाम के नियमों के तहत गर्भधारण करने के 120 दिन तक गर्भपात की इजाजत है। किसी सम्प्रदाय में परिवार नियोजन की बात नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस, वर्ष फरवरी, 1990, स्थान जकार्ता में एक घोषणा करी गयी जिसमें कहा गया कि विश्व के सभी मुस्लिम समुदायों को जनसंख्या एवं नीतियों के लिए सहायता एवं सहभागिता करनी है। जहां तक चर्च-कैथोलिक चर्च सोच का सवाल है उसमें ज्यादातर लोगों को सोच के अनुरूप कैथोलिक चर्च भी परिवार नियोजन के विरुद्ध नहीं हैं। उनका भी मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि कम बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए हम उचित व्यवस्था कर सकेंगे। मान्यवर, इस चर्चा में दो सुझाव आये हैं उनको मैं दोबारा रखना चाहता हूं। माननीय मुन्ना चौहान श्री अम्बरीष जी ने कहा, कि भूमि सुधार और इस प्रकार के प्राविधान करना चाहिए कि वह जनसंख्या वृद्धि के प्रेरक न बनने पायें। माननीय श्री राम जग जी ने भी कहा कि भूमि सुधार कानून जनसंख्या वृद्धि के प्रेरक बन रहे हैं इसमें संशोधन करना चाहिए।

माननीय केशो मेहरा जी ने कहा कि सम्पूर्ण सदन की एक राय बनाकर सभी दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर एक राय से इस पर एक विधेयक लायें और कानून बनायें ताकि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सके। मान्यवर, मैं इन सबके सुझावों का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी यह सरकारी तंत्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह हमारी कपोल कल्पना है जब तक हम इसमें जन चेतना नहीं लायेंगे इसमें जन सहभागिता नहीं करेंगे तब तक यह नियंत्रित होने वाली नहीं है। आज हम विकेन्द्रीकरण की चर्चा कर रहे हैं। हमें पंचायत स्तर पर यह जिम्मेवारी डालनी चाहिए वे इस कार्यक्रम को चलायें और एक-एक ग्राम को जनसंख्या नियंत्रण करने की इकाई बनायें तो जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है यदि हम वहां की परिस्थितियों के अनुरूप घुटने टेक देंगे तो यह नियंत्रित नहीं हो सकती है। मान्यवर, मैंने 31 मार्च, 1999 को यह कहा था और माननीय श्री राम जग जी ने भी अभी कहा है कि केरल में जनसंख्या वृद्धि को रोकने का कारण वहां की महिलाओं की शिक्षा है। मंत्री जी ने बीच चर्चा में कहा कि हमने भी डिग्री कालेज तक शिक्षा मुफ्त कर दी है।

प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि किसी भी प्रकार से महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बनायें कि उनके लिए अनिवार्य शिक्षा कर दें। अगर यह हो जायेगा तो निश्चित रूप से जो सरकार की मन्शा है, जो परिणाम आना चाहिए वह पूरा हो जायेगा। स्वैच्छिक सरकारी संगठनों के माध्यम से, सेवा निवृत्त अध्यापकों, सेवा निवृत्त सैनिकों के माध्यम से हम उनका सहयोग लें। इसे हम एक जन अभियान के रूप में लें तभी इस पर नियंत्रण हो सकता है। एक खतरे की ओर में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। एन० जी० ओ० के माध्यम से जो काम प्रारम्भ किया जा रहा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेना चाहिए लेकिन उनके कुछ मानक निर्धारित होने चाहिए कुछ शर्तें होनी चाहिए जो उन शर्तों को पूरा करते हों, जो दो चार छः साल की संस्था हों उनकी नियमित मीटिंग होती हो उनका सहयोग लें, इससे अच्छे परिणाम आयेंगे। मान्यवर, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण में प्रभावी कार्यवाही के लिए सरकार को अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी सरकार को, जनप्रतिनिधियों को माफ नहीं करेगी। मैं इस प्रश्न पर सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और

अपेक्षा करता हूं कि सरकार सब पर समान रूप से लागू होने वाली नीति और कानून बनाकर उसको लागू करके जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण लाने का प्रयास करेगी ।

श्री जटाशंकर सिंह–

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश 1999 की पुस्तिका सामने है, उसके अनुसार जो महिलाओं की जन्म दर है, उसमें 1981 और 1991 के जो आंकड़े हैं उसमें कुल 21,85,088 महिलाओं की कमी आयी है । क्या महिलाओं में ही परिवार नियोजन होगा, इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी । कन्याओं का भ्रूण हत्या करके परिवार नियोजन करते चले आ रहे हैं । इसको ध्यान में रखकर हम अपनी नीति बनायें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेकर माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इस सदन के पटल पर सामने रखा है इसके लिए हम उनके आभारी हैं । माननीय केशो मेहरा जी ने कहा कि एक सर्वदलीय समिति बनायी जाय उनके सुझाव पर सरकार अमल करे और एक विस्तृत विधेयक लाकर जनसंख्या नीति पारित करे । पिछले दिनों भी इस पर विचार सदन में रखे गये थे और उस पर सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है और निश्चित रूप से जो भी नीति बनेगी उसमें सभी दल के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए उनका समावेश किया जायेगा । माननीय अम्बरीष जी ने और माननीय रामजग जी ने कहा कि जोतने वाले के हाथ में जमीन नहीं है भूमि सुधार के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है ।

मान्यवर, आज इतनी जमीन लोगों के पास नहीं है कि दूसरों से उसे जुतवाने का प्रयास करे । जनसंख्या की वृद्धि ने ही भूमि सुधार लागू कर दिया है । जिस घर में कभी 100 बीघा रही होगी, आज 5–10 बीघा ही रह गयी है । माननीय रामजग जी ने कम्युनिस्ट पार्टी शासित प्रदेशों और देशों की चर्चा की । आप पश्चिम बंगाल में देखें, वहां जो भुखमरी, बेरोजगारी और ज़नसंख्या वृद्धि की स्थिति है, शायद ही किसी अन्य प्रदेश में हो ।

[समय 6 बजकर 30 मिनट]

उत्तर प्रदेश की सरकार कदम उठा रही है । भूमि सुधार तो शायद जनसंख्या वृद्धि ने कर दिया बाकी जो कारण हैं जनसंख्या वृद्धि में माननीय राम जग जी को बताना चाहता हूं कि 1975 के बाद 1996-97 तक जनसंख्या नीति पर, जनसंख्या नियंत्रण पर बात करें, परिवार नियोजन पर बात करे । आज यह पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह जानते हुए कि इसके राजनीतिक कुप्रभाव पड़ सकते हैं, यहां बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि सन् 75 में जनसंख्या नियंत्रण में जो प्रयास हुआ, कुछ गलतियां हुई और उसका असर उस समय सत्ता में बैठे हुए लोगों पर पड़ा था ।

आज हम नीति लागू करेंगे तो कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी और उसके भी परिणाम किसी से छिपे नहीं हैं । लेकिन उस बुजदिली वाली सरकार की तरह हमारी सरकार नहीं है जो जनसंख्या विस्फोट की विभीषिका देखने के बाद हिम्मत नहीं जुटा पाये लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर लायें और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े वह देनी चाहिए । यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाय । पिछली सरकारों ने गलतियां कीं कि इस पर साहस नहीं जुटा पाये वोट का लालच या कोई लालच रहा हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे जो भी परिणाम हो इसको लागू करेगी । आप इन्तजार कीजिये हम उसकी नीति बना रहे हैं इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी दी जायेगी और इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

डा० बाजपेयी जी ने कुछ महत्वपूर्ण बात उठायी उसमें उन्होंने एक बात कही कि पिछले मार्च में इस पर चर्चा हुई थी और माननीय मंत्री जी ने यह बात कही थी कि जनसंख्या नीति बना रहे हैं । उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि इतने दिन में जनसंख्या नीति नहीं बन पायी । समिति में चर्चा चल रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि समय से वह नीति बनकर पास होकर आ गयी है समिति से अब नीति को मंत्रि - परिषद् के सामने रखने के लिए, उसकी संस्तुति के लिए विचाराधीन है । इतने दिनों तक 75 से लेकर

98-99 तक हो गया उस नीति का निर्माण नहीं हुआ अब थोड़ा इन्तजार कीजिये वह बहुत जल्दी आपके सामने आ जायेगी । कुछ ऐसी शंकायें व्यक्त की गयीं कि धर्म के कारण भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है । निश्चित रूप से आज ऐसी कठिन स्थिति है । कोई सूफी ने कहा है, कोई धार्मिक गुरू ने कहा है, कोई कैथोलिक ने क्या कहा है लेकिन दूसरे प्रदेशों की स्थिति से हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति में अन्तर है । आज स्थिति यह है कि जो हमारे वर्कर हैं, वह एक सम्प्रदाय विशेष की बस्तियों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वहां जाकर उनको प्रेरित करें लेकिन इस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम उनके अन्दर भी इस बात को ले जायेंगे और उन्हें बतायेंगे कि बच्चे ज्यादा पैदा कर देने से सिर्फ पड़ोसी ही परेशान नहीं होता, बल्कि स्वयं उनका जीवन नारकीय बन जाता है । हमारे जो प्रचार के साधन, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया हैं, उनके माध्यम से हम इस बात को उन तक ले जायेंगे । देखने में आया है कि ऐसे लोग, जिनके बच्चे अधिक हैं, जो धार्मिक अनुमति न होने के कारण ऐसा प्रयास नहीं करते, जिन्होंने अभी तक हमारे कार्यक्रमों में सहयोग नहीं दिया है, वह जब छोटे परिवार को देखते हैं तो उन्हें शर्म आती है और उन्हें अपनी कमजोरी महसूस होती है, ग्लानि होती है ।

ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि जब हम लोग बातों में कह देते हैं कि अरे बन्द करो, तो जवाब मिलता था कि ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की देन है, सब अपने भाग्य से खायेंगे, भाग्य से जियेंगे । आज वही लोग कहते हैं कि बड़ी कठिनाई आ रही है, एक चारपाई नहीं मिल पा रही है, खाने के लिए अन्न नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और अब वह सीमित परिवार के लिए सोच रहे हैं । आज हर चीज की कमी होती जा रही है, हर चीज घट रही है, इसको जनसंख्या नियंत्रण करके ही ठीक किया जा सकता है ।

श्री राम जग–

चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वहां से भी कुछ सीखेंगे ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

हम अपने देश से ही सीखना चाहते हैं, हमें विदेशों से सीखने की जरूरत नहीं है । बाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि केवल सरकार के बल पर नियंत्रण करना सम्भव नहीं है । सिर्फ सरकार ही जनसंख्या नियंत्रण करेगी, उसी की सारी जिम्मेदारी है तो यह काम सम्भव नहीं हो पायेगा, जब तक कि सभी लोग चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा वर्ग हो, चाहे हम आप इस सदन में बैठे लोग हों, यह सभी की जिम्मेदारी है । केरल तमिलनाडु जो हमारे ही देश के प्रदेश हैं, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कर लिया है, ऐसे प्रदेशों के विधायक और सांसद, जहां कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सारी बातों पर चर्चा करने के बाद अथवा उसके पहले जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर जरूर चर्चा करते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं ।

हमारे यहां भी इस प्रदेश में विधायक, सांसद, पढ़े-लिखे लोग, व्यवसायी आदि इस बात की चर्चा करेंगे । आज इस प्रदेश में, देश में जो भी कठिनाई आ रही है, चाहे यातायात की हो, शिक्षा की हो, पेयजल की हो, मकान की हो इन सभी का निराकरण तभी हो सकता है, जब हम अपने परिवार को सीमित करें । जब हम आप इस बात को कहेंगे तो जन सामान्य पर इस बात का ज्यादा अच्छा असर होगा और वह भी इस काम में आगे आयेंगे और निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफल होगा । एक बात बाजपेयी जी ने और अच्छी कही है, एन०जी०ओज० के सम्बन्ध में । निश्चित रूप से हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं कि एन०जी०ओज० ठीक से काम नहीं कर पा रही है । मैंने भी जो विभागीय मण्डलीय समीक्षा की है उसमें इस बात को पूछा है कि जहां पर एन०जी०ओज० हैं और जहां नहीं हैं, वहां दोनों जगहों पर परिवार नियोजन की सफलता में क्या फर्क है, उत्तर यही आया है कि एक सी स्थिति है, कोई अन्तर नहीं है । एन-जी०ओ० के लोग नियंत्रण में नहीं हैं । उन पर नियंत्रण

करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो विदेशी पैसे से संचालित होते हैं, जैसे शिक्षा है, शिक्षा को अमेरिका से पैसा मिलता है। यह काम हम अपने डाक्टरों से करायेंगे। मान्यवर, बात तो यह है कि लोग निरोध इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन वह मांग नहीं सकते हैं। इसलिए हमने यह व्यवस्था की है जब नव दम्पत्ति दवा लेने के लिए आयें तो उनको वह मुफ्त दे दिये जाये। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह पहला अवसर है जब कि जनसंख्या वृद्धि पर इस सदन में चर्चा हुई है, चर्चा यहां पर पहली बार हुई है। 1975 के बाद से पहली बार चर्चा यहां पर इस विषय पर हुई है। आप हमारा सहयोग करें, हमें जनसंख्या नियंत्रण पर सफलता अवश्य मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा समाप्त हुई।

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जन स्वास्थ्य की हानि से उत्पन्न गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजयेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज सिन्थेटिक दूध की बड़ी भारी समस्या है। इस प्रकार के दूध से आज जन मानस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे मान्यवर, मनुष्य के शरीर में धीरे-धीरे जहर दिया जाता है। मान्यवर, इसकी जड़ में कई कारण हैं। एक तो यह कारण है कि लोग बहुत जल्दी रईस बनना चाहते हैं और इसी कारण इस प्रकार का दूध बना कर लोगों के शरीर में जहर दिया जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। इस दूध के प्रयोग से लोगों में तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। जो भी दूध लिया जा रहा है उससे मनुष्य के शरीर को हानि पहुंच रही है। इसके चार फारमूले हैं, जिनके द्वारा सिन्थेटिक दूध बनाया जाता है। इनमें यूरिया, निरमा, कास्टिक सोडा नमक आदि पदार्थ मिलाये जाते हैं।

(इस समय 6 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा० राम बाबू हरित पीठासीन हुए।)

सिन्थेटिक दूध में मसाला, कास्टिक सोडा, यूरिया, डिटरजेंट और टी०एच०पी० आदि मिलाकर बनाया जाता है। मान्यवर, इस प्रकार के घटकों को मिलाकर सिन्थेटिक दूध तैयार किया जाता है। यदि 100 लीटर दूध बनाना है तो उसमें 20 लीटर असली दूध में सिन्थेटिक दूध मिलाकर बनाया जाता है। जो कृत्रिम दूध बनाया जाता है तो उसे देख कर ऐसा लगता है यह शुद्ध दूध है। इस मामले में तो दिन दुगुने रात चौगुने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सिंथेटिक दूध के व्यवसायी कम धन और परिश्रम से अधिक धन कमा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तथा उससे लगे अनेक राज्यों में दूध से बनी वस्तु पाउडर दूध, घी और मावा ये दोनों वस्तु कृत्रिम दूध से बनी हैं। सिंथेटिक दूध के कारण समाज के सामने और स्वास्थ्य के सामने गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, शुद्ध दूध तो स्वादिष्ट, चिपचिपा रहित होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कृत्रिम दूध चिपचिपा होता है। गर्म करने पर पीलापन लिए हुए होता है। इस तरह के दूध को गर्म करने पर फैट अलग ही दिखायी देने लगता है इस सिंथेटिक दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड, विटामिन्स और मिनिरल्स आदि पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है। शुद्ध दूध के नाम पर जो चीजें बनाकर बेची जाती हैं उनकी वृद्धि के लिए सिंथेटिक दूध का प्रयोग किया जाता है। जबकि सिंथेटिक दूध निरमा, कास्टिक सोडा, यूरिया, मैदा, सोप और नमक आदि चीजें मिला कर बनाया जाता है। दूध में गाढ़ापन दिखाने के लिए चावल मांड सिंघाड़े का आटा आदि मिला दिया जाता है। दूध में वसा के लिए मूंगफली और नारियल आदि का तेल मिला दिया जाता है। मिनिर्सल आयल भी मिलाया जाता है। मिनिर्सल तेल

22 रुपये में मिलता है यह लोहा कण आदि में डाला जाता है । यह दूध हमारे जनता के लिए बहुत ही हानिकारक है । दूध में पौष्टिकता को दिखाकर हमें और हमारी जनता को छला जा रहा है । मान्यवर, इसकी शुरुआत प्रदेश में सबसे पहले सहारनपुर में पकड़ी गयी । इसी प्रकार से कई अन्य क्षेत्र हैं जहां पर सिंथेटिक दूध बहुत बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है और उसे मनमाने ढंग से लोगों को बेचा जा रहा है । मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से विचार करें तो सबसे पहले हरियाणा में सिंथेटिक दूध पकड़ा गया था । गांव क्षेत्र में बड़े-बड़े लोग छोटे-छोटे दूधिया दूध को शहरों में बेचते हैं और उसका असर समाज में धीरे-धीरे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है । मान्यवर, यह दूध जो सिंथेटिक दूध के रूप में बनाया जा रहा है, वह बाजार में 12 रुपये और 13 रुपये में लोगों को मिल रहा है । मान्यवर, इसमें डेढ़ किलो यूरिया, डेढ़ किलो नमक और अन्य चीजों को मिलाने के बाद दूध बनाकर समाज में भेजा जा रहा है । मान्यवर, आज की तारीख में सारी प्रक्रिया को देखें तो सिंथेटिक दूध के माध्यम से हमारे बच्चों के बीच उपलब्ध हो रहा है, लेकिन हम इसका परीक्षण नहीं करा पा रहे हैं ।

मान्यवर, सिंथेटिक दूध का कारोबार बहुत तेजी से चल रहा है । पैसे के लालच से हजारों लोग सिंथेटिक दूध का कारोबार कर रहे हैं । सिंथेटिक दूध जनता की जानकारी में आया, सरकार की जानकारी में आया । मान्यवर, मेरे पास 96 की कटिंग है तत्कालीन दुग्ध आयुक्त से मैने स्वास्थ्य विभाग से जांच कराने का अनुरोध किया है, इसकी बातचीत की गयी है और केन्द्र सरकार को पत्र भेजा गया है । मान्यवर, सिंथेटिक दूध पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिये गये थे । सिंथेटिक दूध के कारण घरों में बहुत तेजी से बीमारी पहुंच रही हैं, जिससे लोगों के आंखों की रोशनी खराब हो रही है और हृदय में बीमारी होती है । मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग सिंथेटिक दूध के खिलाफ अभियान उस समय छेड़ रखा है । मान्यवर, खेद की बात है कि सरकार के दूध आयुक्त ने इसकी जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अभियान छेड़ने की बात की थी मान्यवर, आज मैं 96 का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सहारनपुर में सिंथेटिक दूध पकड़ा गया था वही रिपोर्ट आयी थी, दूध खारा है उसमें चार मरे हुए जानवरों की चर्बी और खाद की मिलावट की रिपोर्ट लगी है और उस पर भी पुलिस ने कोताही बरती । मान्यवर, भारत वर्ष की संसद में 19 जुलाई, 1996 को सिंथेटिक दूध के सम्बन्ध में मामला उठा था । कांग्रेस के रमेश चन्द्र पैवीथैला ने यह मामला उठाया था । सरकार ने कहा था कि हानिकारक और स्वास्थ्य के लिये खतरनाक इस दूध के उत्पादन पर सरकार प्रभावी रोक लगाने पर विचार कर रही है । 1 अगस्त, 1996 को संसद में भारत सरकार के पशुधन डेयरी राज्य मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में सिंथेटिक दूध का पता लगाने के लिये एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है । उसके बाद करनाल स्थित डेयरी ने सिंथेटिक दूध को टेस्ट करने के लिये किट की व्यवस्था की ।

यदि इस किट की व्यवस्था दूध का व्यवसाय करने वालों को करा दी जाय तो चाहे वह 10 लीटर दूध का व्यापारी हो या 50 हजार लीटर दूध का व्यापारी हो वह अपने दूध का टेस्ट कर सकेगा और उसको यह कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि हमें सिंथेटिक दूध की पकड़ नहीं है और अनजाने में यह अपराध हुआ है । जब करनाल डेयरी ने किट का विकास कर दिया गया तो डेयरी का व्यवसाय करने वालों के लिये इस किट को अनिवार्य क्यों नहीं कर दिया गया । पराग डेयरी ने 5 सौ रुपये की किट विकसित की है । 5 सौ रुपये की किट इतनी मंहगी नहीं है उसे दूध का व्यवसाय करने वाले खरीद न सकें और जो दूध वह बेच रहे हैं उसको टेस्ट करके आत्म विश्वास के साथ जनता को बेच न सकें । मेरा कहना है कि यह जो 5 सौ रुपये की किट है इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके डेरी वालों को देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, यह 2 घंटे की चर्चा है । इस गम्भीर विषय पर चर्चा होने दीजिये । मान्यवर, मुझे अपने विचार इस पर रखने दीजिये । मान्यवर, 14 जुलाई को इसी विषय पर एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा गया था । माननीय दुग्ध विकास राज्य मंत्री श्री जयपाल सिंह जी ने सिंथेटिक दूध की बिक्री जारी रहने की बात स्वीकार किया है । उन्होंने कहा है कि सिंथेटिक दूध के व्यवसाय को रोकने के लिये सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी । इसके बाद एक अन्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में सिंथेटिक दूध की बिक्री हो रही है, यदि हां, तो सिंथेटिक दूध की बिक्री पर रोक लगाने की कार्यवाही की जायगी ।

स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है कि सिंथेटिक दूध की बिक्री के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं है लेकिन अपमिश्रित दूध के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं । मैं इस विरोधाभास पर सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की निगाह में सिंथेटिक दूध की परिभाषा क्या है ? अगर यूरिया, कास्टिक सोडा, इजी डिटरजेंट दूध में मिला है तो क्या वह अपमिश्रित या सिंथेटिक दूध नहीं है ? हमारे दुग्ध विकास राज्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सिंथेटिक दूध के व्यवसाय को रोका जायगा जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि सिंथेटिक दूध की बिक्री के बारे में कोई सूचना नहीं है । इसी तरह से पी० एफ० ए० ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने दूध के सेम्पुल लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में पूछे जाने पर सरकार की ओर से यह कहा गया है कि 15 अप्रैल, 1999 से 5 जुलाई, 1999 तक विशेष अभियान चलाया गया और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के नेतृत्व में दूध का सैम्पुल लेने की कार्यवाही की गयी । सिन्थेटिक दूध जानलेवा बीमारियों को जन्म दे रहा है, इसके बारे में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है । एक तरफ दुग्ध आयुक्त का संसद में स्वीकार करना कि इससे जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं और इससे सूजन और कैंसर जैसे रोग फैल सकते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कल्पना कीजिए कि 6 महीने के बच्चे की किसी वजह से यदि उसकी मां का निधन हो गया है या उसकी मां की स्तनों से दूध नहीं उतर रहा है । उसे कास्टिक सोडा, यूरिया और डिटरजेंट से बना हुआ दूध मिल जाये तो उसके मुलायम तन और पेट की क्या स्थिति होगी ? इससे कितने बच्चों की जानें चली गयी होंगी । यदि शैशव काल से ही बीमारी लग जायेगी तो उनकी जवानी और बुढ़ापा कहां जायेगा ?

मान्यवर, जब एक तरफ हमारी सरकार ने स्वीकार किया कि सिन्थेटिक दूध की बिक्री जारी है । दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि सिन्थेटिक दूध का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । हमारी सरकार के दुग्ध विकास राज्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हम नकली दूध का व्यवसाय करने वालों को पकड़ेंगे और उन्हें रासुका में जेल भेजेंगे । सिन्थेटिक दूध की जांच का अधिकार स्वास्थ्य विभाग को है या दुग्ध विकास विभाग को इन दोनों विभागों के बीच में मामला फंस गया है । अब सरकार ने दुग्ध विकास के इन्सपेक्टरों को भी जांच का अधिकार दे दिया है । परन्तु दुग्ध विकास के इन्स्पेक्टर सी० एम० ओ० के अन्दर काम करेंगे । तनख्वाह दुग्ध विकास देगा । इस प्रकार से मान्यवर, सरकार जो प्रभावी कार्यवाही करना चाहती है उसका परिणाम आयेगा इस पर प्रश्नचिन्ह लगता है । कुछ ऐसा महसूस होता है कि थोथा चना बाजे घना या गरजने वाले बरसते नहीं । यह बात कम से कम समझ में आती है कि स्वास्थ्य विभाग में सुधर्मा होंगे तो दुग्ध में विधर्मा होंगे, यदि दुग्ध में सुधर्मा होंगे तो स्वास्थ्य में विधर्मा होंगे । इस वक्त सिन्थेटिक दूध का नमूना लेने की आड़ में ऐसे कर्मचारी लाखों में खेल रहे हैं ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं पिछले दिनों सरसों के तेल में मिलावट की बात आयी थी और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया था। मान्यवर, ऐसे लोगों को किसी कानून का लाभ देना या किसी कानूनी प्रक्रिया का लाभ देना मैं समझता हूं कि इस समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मान्यवर, 55 प्रतिशत सरसों के नमूने फेल हुये थे लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति जेल गया हो ऐसा नहीं हुआ। सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उन मुकदमों को ठेल दिया गया। यह सरकार गवाह है गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान न करने के लिए गन्ना मिल मालिकों को इस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते जेल जाना पड़ा था।

माननीय अधिष्ठाता जी, आज सिन्थेटिक दूध नन्हे-मुन्हे बच्चों को पिलाया जा रहा है। ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा ? यह बात हमारे मन को कचोटती है। यदि सिन्थेटिक दूध बनाने व बेचने वालों को एक बार हथकड़ी लगाकर उसके शहर में निकाल दिया जाये तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत असर पड़ेगा जब लोग यह कहेंगे कि जहर पिलाने वाला धनपशु जा रहा है, सामाजिक निन्दा होगी तो शायद वह दुबारा ऐसा नहीं करेगा। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा जहां मैंने सुझाव के रूप में कहा है कि प्रयोगशाला अनिवार्य करनी चाहिए वहीं अब 500 रुपये की किट उपलब्ध हो गयी है तो प्रत्येक डेरी वाले के यहां यह किट उपलब्ध होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं कि दूध के टैंकर जाते हैं, रास्ते में दूधिया जाता है दूध देने तो उस समय केवल फैट की टेस्टिंग होती है उसमें यूरिया है, ग्लूकोस है, डिटर्जेंट है, इन सारे तथ्यों की जांच होनी चाहिए वह नहीं होती। आज जांच के नाम पर अधिकारियों/कर्मचारियों की लाटरी खुल गई है मैं मेरठ का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरठ में छोटे-छोटे दूधियों को पता रहता है कि कब उनके यहां सैम्पल टेस्ट के लिए आ रहे हैं। एक दूधिये ने मुझे फोन कर बताया कि कल हमारे यहां टेस्ट करने आ रहे हैं आप कुछ मदद करें। मैंने कहा कि आपको जब पता है कि कल सैम्पल टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं तो आप मिलावट ही क्यों करेंगे। मुरादनगर में जानबूझ कर एक व्यक्ति के यहां राजनीतिक आधार पर 11 बार सैम्पल उसके यहां लिया जा चुका है। एक बार उस व्यक्ति को दूसरी डेयरी पर बुलाया गया और नमूना तो दूसरी डेयरी का लिया गया लेकिन नाम उस व्यक्ति का डाल लिया गया बाद में यह भी लिख दिया गया कि उस व्यक्ति ने दस्तखत करने से मना कर दिया।

आज सिन्थेटिक दूध के नाम पर समाज के सामने संकट खड़ा हुआ है। आज मांए बच्चों को दूध देने से डरने लगी हैं दूसरी तरफ परीक्षण करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लाटरी खुल गई है उन्होंने इसकी आड़ में पैसा बनाना शुरू कर दिया है। सिन्थेटिक दूध के बारे में मंत्री जी ने स्वीकार किया कि इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है तो ऐसे लोग उनको क्यों सूचना देंगे ? इस चर्चा के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भीर होकर इस समस्या के निदान का प्रयास करें। मैं तो मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री जी के सचिवालय में ही एक सेल बनाकर इस सिन्थेटिक दूध का धंधा करने वालों के खिलाफ कहर बनकर टूट पड़ा जाए। उनको जेल के सीखचों के पीछे भेजा जाये। समाज के सामने उनको अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत न पड़े यह प्रयास हो। सिन्थेटिक दूध के कारोबार पर मैं रोक लगाने की मांग करता हूं।

श्री मुन्ना चौहान–

अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर सदन के अन्दर चर्चा हो रही है एवं डाक्टर लक्ष्मीकान्त बाजपेई ने सिन्थेटिक दूध के ऊपर तमाम पहलुओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जो आज समाज के अन्दर स्लो प्वाइजन के रूप में विकसित होता जा रहा है एवं जाने अनजाने समाज का बड़ा हिस्सा उसका सेवन कर रहा है। यह सिन्थेटिक दूध का प्रचलन किस तरह से हुआ यह अलग विषय है। लेकिन सही मायने में पूछा जाए तो इसे सिन्थेटिक दूध कहना भी अपने आप में बहुत उचित

नहीं है क्योंकि अभी मैंने सी० डी० आर० आई० के डायरेक्टर का एक मामले में वक्तव्य पढ़ा उनकी एक रिपोर्ट पढ़ी जिस तरह से सिन्थेटिक ब्लड नेचुरल ब्लड के अल्टरनेटिव के रूप में विकसित किया गया उसी प्रकार सिन्थेटिक मिल्क दूध का विकल्प है । मानव शरीर जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है जिस प्रकार मैंने कहा कि सिन्थेटिक ब्लड नेचुरल ब्लड का एक विकल्प है उसको मानव शरीर एक्सेप्ट करता है लेकिन आर्टिफिशियल दूध में जो अवयय हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, जिसे हमारा शरीर स्वीकार करता हो । दूध के अन्दर जो जहरीले अवयय जैसे कास्टिक सोडा, शम्पू तथा अन्य डिटर्जेंट और चर्बी आदि का मिश्रण किया जा रहा है, वह अडल्ट्रेशन की श्रेणी में आता है । काफी लम्बे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि अडल्ट्रेशन का जो समय होता है वह गर्मियों में होता है जब दूध की मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम हो जाती है । मान्यवर, मुझे याद है कि जब गर्मियों का समय आता था तो लोकल स्तर पर जिला प्रशासन यह आदेश करता था कि मिल्क द्वारा जो बाइ प्रोडेक्ट जैसे मिठाई, पनीर आदि बनते हैं, उन पर रोक लगाई जाती है । यह आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है, जनमानस से जुड़ा हुआ है परन्तु 2-3 वर्षों से गर्मियों के दिनों में दूध से बनने वाले बाई–प्रोडेक्ट पर लगने वाले प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप कृत्रिम दूध का प्रचलन बढ़ता ही चला गया । अब आप इनफोर्समेंट एजेन्सीज की हालत को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि शासन स्तर पर भी इसकी तिलांजलि दे दी गई है । स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत सी०एम०ओ० के अधीन फूड एण्ड सीनेटरी इन्सपेक्टर होते थे जो दूध आदि चीजों का शैम्पुल लेते थे आज भी कुछ जिले में फूड एण्ड सीनेटरी इन्सपेक्टर हैं । आज पूरे प्रदेश में 1100 के लगभग सीनेटरी इन्सपेक्टर के पद हैं परन्तु उसमें साढ़े सात सौ पद खाली हैं इससे आप पता लगा सकते हैं कि इनफोर्समेंट एजेन्सी की, हमारी क्या हालत है ।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या हुई । हमारे जनपद में भी रेड हुई। सरकार के निर्देश गये । मैं नहीं कहता कि नहीं गये । यह बात अलग है कि मंत्रियों के बयानात में विरोधाभास हो सकता है । एक का कहना है कि सिंथेटिक दूध नहीं बिक रहा है, दूसरे ने कहा कि विक रहा है । शासन ने निर्देश दिये लेकिन हुआ क्या ? जिनके दूध के सैम्पुल फेल हुए जांच में, जिनके दूध में खतरनाक तत्व मिले उनके खिलाफ आपने क्या किया ? आज सवाल यह है कि आप उन्हें कानून की किस परिधि में लेकर उनको सजा दिलाने का काम किया जाय । ऐसे समय में हमारी कानून व्यवस्था बहुत लुंज पुंज साबित हुई । प्रिवेन्शन आफ फूड ऐक्ट 1954 के तहत एक इन्तजाम है और सरसरी तौर पर अतिरंजित होकर न कहूं तो उसमें यह तरीका है कि दूध में मात्र पानी मिला देने से सजा मिलनी चाहिए ।

आज वही सजा दूध में जहरीले पदार्थ पेंट, सोडा, डिटरजेंट, यूरिया, शैम्पू आदि मिलाकर कोई बेचे तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले को । कुल मिलाकर 3 वर्ष का कारावास । यह इंतजामात उस ऐक्ट के अन्दर है । हम यह कहते हैं कि हम विधान सभा में बैठकर इसकी चर्चा कर रहे हैं । हम लोग इस बात का तमगा लगाते हैं कि हम कानून बनाने वाले हैं, विधान सभा के अन्दर बैठकर कानून बनाने का काम करते हैं लिहाजा इस बात की भी जरूरत महसूस की जाती है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधी इस ऐक्ट को अप डेट किये जाने की आवश्यकता है । इसको एक तरीके से ऐसा बनाये जाने की आवश्यकता है कि इसके दांत हों कि यह किसी को काट सके । जो समाज में प्वाइजन फैलाने का काम कर रहे हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम हो सके । इस विषय पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि इस कानून को किस तरीके से अप ग्रेड किया जाय ।

यह बहुत ही गम्भीर और चिन्तनीय विषय है आज समाज के सामने । उसके स्वास्थ्य के लिये । इससे कैसे पार पाया जा सकता है । कुल मिलाकर हम यह कहना चाहते हैं कि जहां तक इनफोरस्मेंट के स्तर पर है उससे जो ज्यादा जरूरत यह है कि जिलास्तर पर । मुझे मालूम है कि पूरे प्रदेश में मात्र दो

जगह इसकी प्रयोगशालएं हैं । एक लखनऊ में और एक सम्भवतः मेरठ में है । मैंने उत्तर प्रदेश के एक चीफ सेक्रेट्री का बयान पढ़ा जिसके अन्दर उन्होंने कहा था कि मेरठ के अन्दर जो प्रयोगशाला है उसे 10 जुलाई तक चालू कर दिया जायेगा । लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि यह प्रयोगशाला 10 तारीख तक चालू हुई कि नहीं । आज एक तरीके से क्या स्थिति हो रही है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं बगल में अम्बरीष जी बैठे हैं । मेरी हरिद्वार के अन्दर एक प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात हुई ।

मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सदन के अन्दर नाम लेने की परम्परा नहीं है । बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार के पास मंगलौर एक जगह है कहा जाता है कि वहां पर इसके कारखाने लग गये हैं । उस सिटी मैजिस्ट्रेट ने सिंथेटिक दूध से भरे हुए दो ट्रकों को पकड़ा लेकिन स्थिति क्या बनी । स्थिति यह बनी कि जब यह सवाल उठा कि इसका विश्लेषण कराया जाय तो एक प्राइवेट एनालिस्ट से करवा दिया गया । इतना गम्भीर अपराध करने वाले लोग जिनके पास से दो ट्रक सिंथेटिक मिल्क मिला कोई सजा नहीं हुई क्योंकि सेशन अदालत द्वारा उन्हें जमानत दे दी जाती है क्योंकि दूध का परीक्षण प्राइवेट एनालिस्ट से करवाया गया जिसको अदालत स्वीकार नहीं करती । कुल मिलाकर कहना यह है कि जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम जांच की जो किट्स डेवलेप की गई हैं । आप सब जगह से सैम्पल लेकर एक जगह सेन्टर बनाकर उनको एनालाइज करिये ।.

मैं बिना आरोप-प्रत्यारोप के कहना चाहता हूं आप विशलेषण करवा लें और उसके परिणाम देख लें क्या होंगे । आप कुछ ऐसे इंतजामात करा दें कि जो सैम्पल जनपद में भरे गए हैं उनकी जांच एक दो सप्ताह में हो जाए.। अभी थोड़ी देर पहले जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे उसी क्रम में कहना चाहता हूं कि कृत्रिम दूध एक सामाजिक विकृति के रूप में विकसित हो गया है । हम लोग पालीथिन के प्रयोग को कम करने की चर्चा करते हैं जिस तरह से गांव मोहल्लों में जन जागृति के कार्यक्रम चलाते हैं, बताते हैं कि इसके प्रयोग से क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं पिछले दिनों पोलियो अभियान चलाया गया, पोलियो के लिए रैलियां निकालकर कार्यक्रम कराये गए । जन जागृति पैदा करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को जागरुक बनाने के लिए, स्वास्थ्य विभाग और दुग्ध विकास विभाग से अभियान चलाए जाए । कृत्रिम दूध के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर हम एक्सपेरीमेंट करना चाहें तो छोटा सा एक्सपेरीमेंट हम घर में ही कर सकते हैं कृत्रिम दूध में अगर हम नीबू डालेंगे तो वह फटेगा नहीं, यदि सही दूध में नीबू डाला जाए तो वह फट जाएगा, तो यह हम घर में ही करके देख सकते हैं । डा० बाजपेयी जी ने आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू कराई यह बहुत ही लाभप्रद रही । आप ऐसे इंतजामात करें कि कृत्रिम दूध के कारोबार में लिप्त व्यक्ति को रासुका में निरूद्ध करें, और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए और डा० बाजपेयी जी के प्रति जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करवाने का काम किया, आभार प्रकट करता हूं । दूध को अमृत माना गया है और गाय को गऊ माता माना गया है । क्योंकि उसका दूध मां के दूध के समान होता है । समाज में नैतिकता का अधोपतन हो रहा है यह जहर के सौदागर जैसा माननीय सदस्य चौहान जी ने कहा सिन्थेटिक दूध के नाम पर जहर बेच रहे हैं उसको दूध का नाम देना गलत है । खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 जो बना था उसके अनुसार मिलावट में दो हजार का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्राविधान था, तो जो इस तरह का विष बेच रहे हैं, जहर के सौदागर हैं उनको, जिस तरह से आई०पी०सी० की धारा में मृत्यु की योजना बनाने वाले को आजीवन कारावास की सजा है उसी तरह से इनको सजा मिलनी चाहिए धीरे-धीरे जो जहर देकर हत्या करने का काम है और इसलिए इस अधिनियम में निश्चित रूप से वहीं प्राविधान किया जाना आवश्यक है ताकि इस प्रकार

का दुस्साहस न किया जा सके । मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकार का संशोधन इसमें करेगी । विभिन्न विधाओं में तालमेल वर्तमान में दुग्ध और स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है कि भिन्न-भिन्न सूचनाएं कहां से आयीं । मैं आगरे से विधायक हूं । उत्तर सदन में यह दिया गया कि सिंथेटिक दूध की जानकारी नहीं है । आगरे में ऐसे सात लोगों को एन०एस०ए० में बन्द किया गया है जो इस प्रकार का मिलावटी दूध बेचते थे । प्रश्न यह है कि कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो गलत जानकारी सरकार को दे रहे हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने गलत सूचना देकर शासन को गुमराह किया है उसकी सेवा समाप्त की जाय । मेरा विनम्र निवेदन है कि जो-जो वस्तुओं को मिलाकर यह दूध बनता है उसके बारे में जानकारी रखी जाय । जिस प्रकार के आइटम हैं उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सके । जन चेतना की बात कही गयी तो यह सही है कि जन चेतना होनी आवश्यक है । अधिनियम में संशोधन तो किया ही जायेगा इस पर भी हमको ध्यान देना है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

* श्री जगदीश सिंह राणा–

माननीय अधिष्ठाता जी, बाजपेयी जी ने मिलावटी दूध पर चर्चा की इसके लिए मैं उनका आभारी हूं । मान्यवर, सहारनपुर जिले की बात कही गयी है । यह मानते हैं कि सहारनपुर जिले में सिंथेटिक दूध और मिलावटी दूध पाया गया लेकिन उन दूधियों को सजा नहीं मिल पायी । इसमें सरकार का ही दोष है । 155 सैम्पुल वहां से लिए गये जिसमें से 23 सैम्पुल में मिलावट है । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दूध में यूरिया की थोड़ी बहुत मात्रा पायी जाती है । चाहे वह चारे से हो । बाजपेयी जी ने कहा कि जो बड़े-बड़े धनपशु है, माफिया हैं.....

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवम् रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सहारनपुर की गाय और भैंस में ही यूरिया होता होगा ।

श्री जगदीश सिंह राणा–

मान्यवर, कोई ऐसी गाय, भैंस नहीं है जिसके दूध में थोड़ी बहुत यूरिया की मात्रा होती है । मान्यवर, जो 23 आदमियों का चालान किया गया और जो उन्होंने यह कहा कि एन०एस०ए० में बन्द कर दिया है तो ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । जो किट करनाल डेरी ने पांच सौ रुपये दूधिया देने की बात कही है तो शासन द्वारा ट्रेनिंग कैम्प लगाया जाय । जो 10 लीटर, 20 लीटर या 30 लीटर दूध बेचते हैं और मिलावट पायी जाती है उन्हें तो एन०एस०ए० में बन्द करने का काम कर रहे हैं लेकिन जो 10 हजार का टैंक भेज रहे हैं और 6000 में मिलावट के दोषी हैं ऐसे लोगों को, धनपशुओं का आप उनका कोई चालान नहीं कर रहे हैं । आप उन लोगों का चालान करते हैं जो

[समय 7 बजकर 30 मिनट]

20 किलो, 50 किलो लेकर आते हैं । पहले यह प्राविधान था कि 3 बोतलें सैम्पुल के लिए ली जाती थीं जो दूधिया को तीसरी बोतल मिलती थी अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती थी तो वह टेस्ट करा लेता था लेकिन पिछले एक महीने से दो बोतलों में ही सैम्पुल लिया जा रहा है । दूधिया को बोतल नहीं दी जा रही है । इसी तरह से पराग डेरी के सैम्पुल सहारनपुर में नहीं लिए जा रहे हैं । मान्यवर, जो छोटे-छोटे दूधिया हैं उनको जानबूझ कर फंसाया जा रहा है और बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है । मान्यवर, शासन स्तर से किट शीघ्र जारी किये जायं और उसके बावजूद भी दूधिया मिलावट करता है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बरीष कुमार–

श्रीमन्, इस समय सदन में सिंथेटिक दूध का प्रकरण चल रहा है। मान्यवर, दरअसल इसका मूल कारण क्या है जो लोग इसका प्रयोग करने लगे हैं। सिंथेटिक दूध बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को और डेरियों को सप्लाई होता है जहां 10-12 टैंकर दूध जाता है उसमें एक टैंकर सिंथेटिक दूध का मिला देते हैं वहां पर मक्खन, क्रीम निकालने के बाद जो शेष बचता है उसका पाउडर बनता है और उस पर आई०एस०आई० मार्क लग जाता है उस पाउडर का प्रयोग अधिकांशतः डेरी वाले करते हैं उसमें वह देशी विधि का प्रयोग करते हैं।

मान्यवर, ऐसे दूध का शैम्पुल लेने में अधिकांश में यूरिया आयेगा जिस कारण लोग पकड़े भी जायेंगे। मान्यवर, जो पब्लिक एनलिस्ट की रिपोर्ट आयी है उसमें यह कहते हैं यूरिया कार्बोनेट आदि उपस्थित हैं। जिसकी दूध में मिलावट खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के 1955 के नियम 44 (एल) के अन्तर्गत वर्जित है। मान्यवर, हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ये काम करते हैं वे दण्डित होने चाहिए। आप जेल भी भेज देंगे और एन०एस०ए० लगा देंगे लेकिन जब पब्लिक एनलिस्ट लिखता नहीं है कि यूरिया मिलने के बाद भी सिंथेटिक है तो जब कचेहरी में चर्चा होगी तो इसका लाभ दोषी व्यक्ति को मिल जायेगा। मैं शासन से कहना चाहता हूं कि डा० आर० के० कश्यप, विशेष कार्याधिकारी, चिकित्सा अनुभाग–8 की ओर से एक शासनादेश जारी हुआ 26 जून को, जिसमें लिखा है कि सिंथेटिक दूध का आशय उन नमूनों से है जिनमें यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटरजेंट, सैम्पू, विजातीय फैट, फार्मेलीन आदि हैं। आप पब्लिक एनलिसिस को निर्देशित करें कि किसी शासनादेश के द्वारा कि जिन नमूनों में यह चीज पायी जाये उसमें यह उल्लेख रहे कि यह दूध सिंथेटिक दूध की श्रेणी में आता है ताकि कल उनके विरुद्ध प्रौसीक्यूशन की कार्यवाही करने में कोई कठिनाई शासन को न हो और कानून की कमी का लाभ उठाकर वह बचने न पाये। इस पर शासन को विचार करना चाहिए। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात जिस शासनादेश का मैंने उल्लेख किया यह चिकित्सा अनुभाग–8 द्वारा जारी किया गया है। अभी बाजपेयी जी बता रहे थे चूंकि मेरा ही वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यहां पर अपमिश्रण की शिकायतें हैं लेकिन सिंथेटिक दूध की बिक्री का कोई मामला नहीं आया है। अगर यह मामला नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग को यह शासनादेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसा भाई जगदीश जी ने कहा, जो लोग सीधे गांव से दूध लेकर आते हैं उनके ऊपर 272 आई०पी०सी० के इस्तेमाल का भी एक निर्देश जारी हुआ है लेकिन 272 एडल्ट्रेशन आफ फूड आर ड्रिंक इन्टन्डेड फार सेल, इसमें स्पष्ट व्याख्या है कि खाद्य पदार्थों में ऐसी मिलावट जो मानव जीवन के लिए नुकसानदेह हो तो ऐसे मिल्क पर उसे आजीवन कारावास तक की सजा है। तो मान्यवर, कानून में उसका प्राविधान है। आई०पी०सी० 272 के अन्तर्गत उसको दण्डित कर सकते हैं लेकिन उस मिलावट का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो।

दूध में पानी मिलाने पर इस धारा में कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन आज एन०एस०ए० का डर दिखाकर, धारा 272 आई०पी०सी० का डर दिखाकर जो छोटे-छोटे दूध वाले हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके एक भ्रष्टाचार का नया क्षितिज हमारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिल गया है। इस पर शासन का स्पष्ट निर्देश जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो कठिनाई है कि फूड इन्स्पेक्टर नगर क्षेत्र में हैं उनके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण नगर निगम का है और दूसरी तरफ वह सी०एम०ओ० के भी नियंत्रण में हैं यह दोहरी व्यवस्था है इस पर भी शासन को विचार करना चाहिए। वह किस तरह से काम कर सकते हैं दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण में, इस पर विचार करें। जो बड़ी फैक्ट्री सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल कर रही हैं, पिछले वर्ष हमने सरसों के तेल का प्रकरण देखा उसमें बड़े लोग नहीं पकड़े गये छोटे लोग प्रताड़ित हुए, इसमें भी यही हो रहा है।

मैं शासन से कहना चाहता हूं कि इसमें हड़बड़ी का सबूत न दे । एक गृह विभाग ने निर्देश जारी कर दिया कि पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी, कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक सिपाही को यह अधिकार है, यह ज्ञान उसे है कि वह किसी दूध को सिंथेटिक करार दे सकता है, जिला मैजिस्ट्रेट के लोग कर सकते हैं तो हड़बड़ी में कोई कार्य न करें । एक मंत्री जी ने कहा कि सिंथेटिक दूध नहीं बिक रहा है दूसरे कह रहे हैं कि सिंथेटिक दूध बिकता है । तो मेरा कहना यह है कि इस पर ठण्डे दिमाग से सोच विचार कर जो कानूनी प्राविधान उपलब्ध है उसका सही प्रयोग करते हुए इसका सही समाधान निकालने का प्रयास करें । जो सरकारी डेरी में, गोकुल डेरी में, ज्ञान डेरी में जो अपमिश्रित पायी गयी हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है । उनमें ग्लूकोज मिला है, दूसरे पदार्थ मिले हैं और यदि साधारण दूध में ग्लूकोज ज्यादा मिल जाता है तो यह दोहरा मापदण्ड सरकार द्वारा क्यों अपनाया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तथा दूध विभाग को इस पर विचार करना चाहिए । आज पराग डेरी के तमाम बूथ कांवर मेले के लिए खोले जा रहे हैं यदि पराग का दूध भी अपमिश्रित है तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा, जो इस मेले में आयेंगे । शासन को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर पराग दूध, गोकुल और ज्ञान दूध में मिलावट क्यों पायी गयी है, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए, जैसे निजी विक्रेताओं के खिलाफ हुई है । मैं चाहता हूं कि इस मामले में हड़बड़ी का वातावरण न फैले, आज हर जगह बड़ी संख्या में दूध वाले इकट्ठा हैं, वह लोग भय और आतंक से परेशान हैं । सरकार को चाहिए कि सिंथेटिक दूध बनाने की समस्या का समूल नाश करने के लिए एक समन्वित योजना बनावे और इस काम को सामंजस्य से करें यही निवेदन मैं करना चाहता हूं, धन्यवाद ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, अधिष्ठाता जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, दूध एक पौष्टिक पदार्थ है, बाजपेयी जी ने अपने उद्बोधन के समय सारी बातों पर प्रकाश डाला है, मुझे सिर्फ 2-3 बातें ही कहनी हैं । दूध गांव से लेकर शहर तक जीवन यापन के साथ ही सभी के उपयोग की चीज है, गांव का गरीब किसान, मजदूर इस उद्योग के माध्यम से जीवन यापन के साथ ही समाज को दूध की आपूर्ति करता था लेकिन आज कुछ धन पशु लोगों ने एक नई व्यवस्था, नया आयाम देकर समाज को जहर पिलाने का काम किया है, यह अत्यन्त जघन्य अपराध है, इसको रोकने के लिए जितने कड़े कदम उठाये जायें, वह कम हैं । इसके पूर्व कई बार यह बात उठ चुकी है और प्रश्नों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में इसे लाया गया है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सम्बन्ध में कड़े कदम नहीं उठाये गये, इन लोगों को रासुका के अन्दर बन्द करना चाहिए ।

अभी पिछले दिनों 15 तारीख को अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से भी यह बात रखी गयी थी, लेकिन सरकार की तरफ से उसका उत्तर मिला कि सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है या उसका उपयोग हो रहा है । जबकि पिछले वर्षों में अनेक स्थलों पर दूध का जो परीक्षण हुआ, उसमें ऐसे लोग पकड़े गये । हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को पकड़ा गया तथा छोड़ दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में लगे हुए लोगों का समूल नाश करने के लिए इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय । आज पूरे प्रदेश में भयंकर बीमारियां फैल रही हैं और दूध का व्यवसाय नष्ट होने के कगार पर है और लोगों में दूध के प्रति शंका का भाव उत्पन्न हो रहा है । अभी तक हम लोग किसी भी डेरी से, किसी भी दुकान से दूध लेकर जाते थे और अपने नौनिहाल बच्चों को पिलाते थे, वृद्धों को पिलाते थे, लेकिन अब ऐसी बीमारियां देखी गयी हैं, जिसके लिए बड़ा वितंडावाद पैदा हुआ, गरीब-अमीर सभी के उपयोग की यह वस्तु है, युवक-वृद्ध सभी इसका सेवन करते हैं लेकिन जो स्थिति बन रही है, उससे समाज में लोग सशंकित हो रहे हैं । दूध हमारी आवश्यक आवश्यकता है, हर आदमी के घर में जानवर नहीं हैं, हर आदमी घर में दूध पैदा नहीं कर सकता ।

लोगों को बाजार से दूध लेना होता है । लोग विषाक्त वातावरण फैला रहे हैं, जो लोग अपनी जीविका चला रहे है, उनका इससे बहुत नुकसान हो रहा है, उनको ही परेशान किया जाता है, जो बड़े-बड़े लोग इस व्यवसाय में है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है । मान्यवर, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी ने जो इसकी रूपरेखा बतायी है और यह भी बताया है कि यह सिन्थेटिक दूध 4 रुपये में बन जाता है और 13 रुपये में बिक जाता है, तो इससे इस कारोबार में लगे हुये लोगों को बहुत फायदा होता है । असली दूध से यह दूध सस्ता मिलता है और इस कारण लोग इसको खरीद लेते हैं । इससे मान्यवर, कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, जिसका पता लोगों को नहीं लग पाता है । मेरा आपसे निवेदन है कि जो इस प्रकार के कारोबार में लिप्त पाये जायें, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर रासुका लगाया जाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और डा० बाजपेई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर माननीय बाजपेई जी ने चर्चा की है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दूध के नाम पर लोगों को जहर दिया जा रहा है और इसके प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है । मान्यवर, जो बातें माननीय सदस्यों ने दुहरायी हैं, उनको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सामने एक संकट है । खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, उससे जन मानस के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है । जो खाने वाली चीजें हैं, उनमें मिलावट हो रही है, अभी कुछ समय तेल के मिलावट का प्रश्न यहां पर आया था और इसी प्रकार से तमाम खाने की चीजों में मिलावट हो रही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मिलावट करने वाले लोग कौन हैं । मान्यवर, मिलावट करने वाले बड़े-बड़े आदमी है, जो राजनैतिक दलों को चन्दा देते हैं और इसी कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और वह धड़ल्ले से इस कारोबार में लगे हुये हैं और धन कमा रहे हैं और सरकार उन पर हाथ नहीं डाल पा रही है । मान्यवर, सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और इसी कारण इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप विषय से बाहर जा रहे हैं ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में कड़े से कड़े कदम सरकार को उठाना चाहिये और उनको मात्र जेल में ही नही डालना चाहिये और मैं तो यह चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून बनाया जाये और मिलावट करने वाले लोगों को आजन्म कारावास की सजा ही न दी जाये, बल्कि उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिये । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसमें केवल व्यापारी ही नहीं सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं । उनको सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, उनका पैसा बंधा है । ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये और उनके खिलाफ एफ०आई०आर० लिखायी जानी चाहिये और मुकदमा कायम किया जाना चाहिये और उनको जेल में डालना चाहिये । मान्यवर, जब तक इस प्रकार के कठोर कदम नहीं उठाये जायेंगे । इस प्रकार के कारोबार चलते रहेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सख्त कदम उठाये तो एक महीने में यह सारे काम समाप्त हो जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है कि दूध को अमृत कहा जाता था और आज भी अमृत कहा जा रहा है । मान्यवर, दूध में मिलावट का काम नया नहीं है, पहले भी दूध में मिलावट होती थी मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 बनाया गया और उसके अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति मिलावट का काम करता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । अगर मिलावट पायी जाती है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है और फिर न्यायालय पर होता है कि वह किस प्रकार का दण्ड उसको दे । मान्यवर, पहले भी यहां पर प्रश्न के माध्यम से यह कहा गया था कि सिन्थेटिक दूध से लोगों के जनमानस को खतरा पैदा हो गया है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, वह उसकी परिभाषा देना चाहते है, लेकिन सरकार उसकी परिभाषा नहीं देना चाहती है ।

मान्यवर, इसमें यूरिया, कास्टिक सोडा, ग्लूकोज आदि की मिलावट होती है । मान्यवर, दूध में मिलावट के पदार्थ बनाकर दूध का भरोसा देना चाहते हैं । सिन्थेटिक दूध एक प्रकार का केमिकल्स पदार्थ है इसमें चीनी डालकर कुछ यूरिया डालकर, कुछ तेल डालकर और कुछ सर्फ डालकर दूध की तरह बना देते हैं, इस प्रकार बनने वाले सिन्थेटिक दूध को बनाने वालों की सूचना हमको नहीं प्राप्त हुई है । दूध में अपमिश्रण करने वालों की सूचना मेरे पास है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इसी नाते इसको गंभीरता से लिया गया है, हमने छापामारों की कमेटी गठित की है, जिसमें जिलाधिकारी का प्रतिनिधित्व होगा, मुख्य अधिकारी होगा । दुग्ध विकास का अधिकारी होगा, मुख्य दुग्ध निरीक्षक होगा । ठीक इसी प्रकार से छापामार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । फिर भी इसके अन्तर्गत राज्य छापामार का गठन किया है । इसमें तीन लोगों की कमेटी बनायेंगे । राज्य छापामार का गठन किया गया है और समय-समय पर कार्यवाही करते हैं और इसी प्रकार से एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस, अधिकारी, समाचार-पत्र का एक आडीटर, दुग्ध विकास का अधिकारी और अन्य चिकित्साधिकारी तय किये हैं और उपभोक्ता कल्याण संगठन का एक व्यक्ति रहेगा, और निगरानी करता रहेगा और प्रदेश भर में अभियान चल रहे हैं ।

अभी पांच हजार एक सौ छब्बीस नमूने लिये गये हैं, जिसमें 2 हजार 5 नमूने जांच के लिये भेजे गये हैं, जिसमें 209 अपमिश्रण पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की व्यवस्था की है, इस प्रकार से तमाम लोग हैं और इनके खिलाफ वाद किये हैं, जिसमें 486 मुकदमों का वाद दायर किया है, माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर कार्यवाही की जायेगी । अभी कुछ चर्चा आयी थी कि हमारी सरकार ने इसको खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत पूरी तरह से सक्षम नहीं है । अभियोजन स्वीकार करते हैं और अभियोजन करने के बाद माननीय न्यायालय में मुकदमा करते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुकदमा दायर करने के बाद न्यायालय जैसा न्याय करता है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। हमने इस संबंध में कई लोगों को जेल भेजा है। पी०एफ०ए० ऐक्ट में भी संशोधन करने के लिये हमने भारत सरकार को लिखा है कि इसमें कड़ीं से कड़ी सजा देने का प्राविधान किया जाय और संज्ञेय अपराध माना जाय। मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में आदेश दिये हैं कि इस प्रकार से जनजीवन के, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। ऐसे लोगों के विरुद्ध जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि यदि इस प्रकार मिलावट करने वाले लोग उनके जिले में पकड़े जायेंगे तो इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक की होगी।

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत तमाम लोगों को इस संबंध में बन्द किया है। मेरे पास उनके नाम हैं। 7 लोगों को आगरा में बन्द किया गया है और 2 लोगों को सहारनपुर में बन्द किया गया है। अभी यहां पर यह चर्चा आयी कि इसमें बड़े डेयरी वालों को नहीं पकड़ा जा रहा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी एक अभियान चलाकर जो बड़ी डेरी वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है। गोकुल डेयरी के ऊपर अभियोजन दायर किया गया है। श्रीमंत फूड, चिनहट के उपर अभियोजन दायर किया गया है। पराग डेयरी के ऊपर 19-7-99 को अभियोजन दायर किया गया है और धारा के ऊपर अभियोजन दायर दिया गया है। इस प्रकार से तमाम ऐसे दूध माफिया जो हैं उन पर अभियोजन दायर करके कार्यवाही की जा रही है।

हमारी सरकार किसी प्रकार का दूध में अपमिश्रण करके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को इसकी अनुमति नहीं देगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों उनकी भी जिम्मेदारी है कि वह इस संबंध में जागरुकता पैदा करें। अभी चर्चा की गयी कि बड़े लोगों को न पकड़ कर छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा व्यवसायी हो किसी को भी जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायगा। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिये।

श्री जगदीश सिंह राणा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ब्लाक स्तर पर जो किसान गोष्ठियां होती हैं वहां पर किसान सहायक बताते हैं कि 40 किलो भूसे में 20 किलो यूरिया और 40 किलो पानी मिलायें इससे दूध में बढ़ोत्तरी होगी और यदि पशु 10 किलो दूध देता है तो ऐसा चारा खिलाने से 15 किलो दूध देगा। मैं इस मीटिंग की मुजफ्फराबाद ब्लाक में भाग लेकर आया हूं। तो जब आप ऐसा चारा पशुओं को खिलायेंगे तो दूध में वैसे ही मिलावट होगी।

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री जयपाल सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हुई है, यह चर्चा बहुत पहले होनी चाहिए थी। यह चर्चा तब होनी चाहिए थी जब इस सदन में सभी सदस्य उपस्थित होते। आज इस पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आये और बहुत महत्वपूर्ण बातें उभर कर सामने आयी। मैं आपसे कहना चाहता हूं सारे लोग जानते हैं कि जब मैंने इस विभाग का चार्ज लिया तो पहले ही दिन सिन्थैटिक दूध के खिलाफ बोला। मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं और इस सारे मामले के बारे में काफी जानकारी रखता हूं। मुझे जानकारी मिली और बहुत लोगों से बात की। पूरा मन बनाकर हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया लेकिन दुग्ध विकास विभाग के पास यह अधिकार नहीं था कि इस पर प्रभावी रोक लगा सके। हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की और उनको कहा कि इस तरफ प्रभावी कार्यवाही करें। यह सारी जिम्मेदारी आपकी है।

सारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर सिन्थेटिक दूध बिक रहा है, हमने जिलेवार जानकारियां दी । हमें अधिकार नहीं था लेकिन फिर भी मैंने अपने विभाग के लोगों को बुलाया और कहा कि कोई भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि पूरे प्रदेश में जहर के रूप में दूध पिलाया जा रहा है और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । इसलिये हम लोगों को भी सार्थक कदम उठाने चाहिए । मैंने 25-2-99 को निर्देश भेजा कि इसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाय । सिन्थेटिक दूध के निर्माण और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने हेतु कड़ी कार्यवाही की जाय । 6-4-99 को ए०पी०सी० ने भी निर्देश दिया । 15-4-99 से सिन्थेटिक दूध के निर्माण पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया । 17 व 18 मई, 1999 को समस्त जनपदों में सेल गठित किये । समस्त जनपदों में 21 से 5 जुलाई तक प्रभावी अभियान चलाया । इस प्रकार से एक जन जागरण अभियान भी 5 जुलाई से 12 जुलाई तक चला । इसे आगे भी चलाने के निर्देश दिये गये हैं हमने एक किट जारी की है । अभी बताया गया कि 500 रुपये की किट है लेकिन उस किट की कीमत साढ़े चार हजार रुपये बैठती है । जो हमारे 12–13 अपमिश्रक हैं उससे उनका पता लगा लेंगे । जैसे यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटरजेंट, सफेद पेंट, सोडियम थोयोसाइनाइट, स्टार्च आदि हैं । हमने 54 जिलों में किट भेज दिये हैं । हम इस किट के माध्यम से जनता को भी जोड़ना चाहते हैं जब तक जनता किसी बुराई को लेकर जागरुक होकर खड़ी नहीं होती है तब तक वह बुराई दूर नहीं होती है । इस किट को जो खरीदेगा उसे 3 दिन की ट्रेनिग भी दी जायेगी तीन दिन की ट्रेनिंग में यह बता देंगे कि कितने समय में कौन सा कैमिकल मिलाने से या किस कैमिकल का पता लगाने के लिए कौन सा कैमिकल मिलाना पड़ेगा । कई टेस्ट है जो तीन मिनट में रिपोर्ट देंगे लेकिन ज्यादा देर तक हीट अप करें तो उसका स्वरूप बदल जाएगा । अभी पराग डेरी के बारे में भी भ्रम फैलाने की कोशिश की किन्तु पराग डेरी में कोई भी मिलावट का मामला नहीं पाया गया अगर यह बात हमारे दिमाग में होती तो हम कार्यवाही ही क्यों करते व सिंथेटिक दूध के खिलाफ ही हम अभियान क्यों चलाते । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पराग दूध में कोई भी मिलावट नहीं है । जो माफिया लोग हैं उनके खिलाफ जब मैंने अभियान चलाया तो वह सारे लोग इकट्ठे हो गए कि किसी तरह से पराग दूध को भी बदनाम किया जाए । पराग दूध के बारे में कोई भी आदमी कह दे कि पराग दूध में मिलावट है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही भी करूंगा । हमारी मंशा साफ होनी चाहिए नीयत साफ होनी चाहिए, अगर इसे रोकना है तो बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे ।

पराग ही नहीं कोई भी संस्था अगर मिलावट करेगी सिंथेटिक दूध बेचेगी तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए पी०एफ०ए० एवं एफ०एम०पी०ओ० में संशोधन करना पड़ेगा । इनमें कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि हम तत्काल कार्यवाही कर सकें । जो 1954 में ऐक्ट बना उसको आज भी लागू करना एक बहुत बड़ी समस्या है । तब से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं अभी जगदीश जी बता रहे थे कि भैंस के दूध में .07 प्रतिशत यूरिया होती है । पहले जब खली, चना, बिनौला आदि दिया जाता था तो दूध शुद्ध मिला करता था आज दूसरे हालात हैं । मुराद नगर में पांच अपमिश्रित चारा खाने से मर गए मैंने जब जिलाधिकारी को इस पर कार्यवाही करने को कहा तो उन्होंने कहा कि खली व अन्य आहार में मिलावट के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिससे दोषी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए । इसी कारण आज अधिकांश चीजों में मिलावट हो रही है हम कठोर कार्यवाही भी कर रहे हैं । पहले इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही नहीं हुई । हमें जहां भी इस प्रकार के मामलों की जानकारी होगी हम कठोर कार्यवाही करेंगे । किसी को बख्शा नहीं जाएगा । यह हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है इसलिये जो लोग मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिये । जनता को हम किट मुहैय्या करवा रहे हैं यदि आप लोगों को भी इसकी आवश्यकता होगी तो हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे । 13 अपमिश्रणों का पता

लगाने का हमने इंतजाम कर लिया है । स्वास्थ्य विभाग ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली से निवेदन किया है । इसमें जागरुक रहने की आवश्यकता है तभी हम मिलावट को रोक सकते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सिंथेटिक दूध जैसी भयंकर समस्या पर सदन में उपस्थित पक्ष और विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उन सबके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इससे संबंधित कानूनों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह पी०एफ०ए० ऐक्ट में संशोधन करे । मैं सोच रहा था कि शायद मंत्री जी को जानकारी होगी कि पिछली 27 जून को राजधानी लखनऊ में न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि महानगर में है, न्यायिक विशेषज्ञों ने इस सिन्थेटिक दूध के संबंध में सजा के प्राविधानों के संबंध में एक सेमिनार करके अपनी सिफारिशें की हैं । मैं आशा कर रहा था कि जब मंत्री जी उत्तर देंगे तो पी०एफ०ए० ऐक्ट में क्या संशोधन हो सकता है बजाय यू०पी० अमेन्डमेन्ट ऐक्ट में किया जा सकता है, उसके बारे में हो रही कार्यवाही की मन्शा से अवगत कराते और उसे यहां पर प्रस्तुत कराकर पास कराते । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि छापामार दल बनाये गये हैं उसमें व्यापार मण्डल के लोग जायेंगे, पत्रकार जायेंगे, उनके प्रतिनिधि जायेंगे ।

श्री रमापति शास्त्री–

निगरानी दल मैंने कहा है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मेरे अपने जनपद में मैंने देखा है कि इस निगरानी दल में स्वास्थ्य विभाग के इन्सपेक्टर के साथ पुलिस के चार सिपाही होते हैं और एक एस०डी०एम० होता है और वह एस०डी०एम० इन्सपेक्टर के सामने घुटने टेके हुए है, जो वह लिखकर दे देता है, उसमें वह दस्तखत कर देता है । वह एस०डी०एम० सरकार ने जो निर्देश दिया है, उनका कहीं पालन कर रहा हो, वह मैंने अपने जनपद में नहीं देखा है । प्रदेश में 83 जिले हैं परन्तु मात्र दो जिलों में 9 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही हुई है ।

[समय 8 बजकर 20 मिनट]

इतनी भयावह समस्या सम्पूर्ण प्रदेश में व्याप्त हो गई है । लोगों का कहना है कि पुराण कथा है कि पूतना ने भगवान कृष्ण को जहरीला दूध पिलाया था जिससे पूतना मर गई । यह पूतनारूपी धनपशु आज पूरे समाज को इस तरह से जहरीला दूध पिला रहे हैं लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही सामने नहीं आई है । कृष्ण कौन बनेगा । एक बात जरूर साफ साफ कहना चाहता हूं कि अब इस कहावत को भी एबोलिश करना होगा । ''दूध का धोया बनता है'' क्योंकि आज दूध सिंथेटिक मिल रहा है । मान्यवर, बचपन में जिन माँओं के पास अपने बच्चों के लिये दूध का इन्तजाम नहीं होता था वो उन्हें आटा घोलकर पिला दिया करतीं थीं । आज अगर उनकी सीमा में दूध खरीदने की क्षमता है तो उन्हें यह कृत्रिम दूध खरीदने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है । इससे अच्छा तो आटा था ।

अभी उत्तर में आया था कि कोई रोग हो रहा है । मान्यवर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने सिंथेटिक दूध का मानव तंत्र पर क्या असर पड़ रहा है बताया है जिससे कैंसर प्रभावी हो सकता है, इस बात को बताया है । यह जानलेवा बीमारी कैंसर दूध में कास्टिक सोडे की वजह से हो रही है, यूरिया से गुर्दे प्रभावित हो रहे हैं कासटिक सोडे की वजह से लाइसिल नामक अमोनिया एसिड न बन पाने के कारण कोई लाभकारी प्रयोग शरीर के लिये नहीं हो पा रहा है । मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिनियम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है । आपने किट्स की बात कही मैं कहूंगा कि किट्स अनिवार्य रूप

से दें । दोनों विभाग स्वास्थ्य और दुग्ध मिलकर कार्य करें और एकरूपता इनकी कार्यवाही में होनी चाहिए । आप उन अधिकारियों के खिलाफ जो जांच के मामले में लापरवाही बरत रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है । डेयरी वालों का उत्पीड़न कर रहे हैं आप अधिनियम में संशोधन करके उनके खिलाफ कार्यवाही करें । शासन द्वारा जन चेतना जगाई जानी चाहिए ।

अगर शासन की कार्यवाही प्रभावी होती तो 83 जिलों में से क्या 9 में ही कार्यवाही होती । आखिरी में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अभी पिछले साल सरसों के तेल में मिलावट की बात के जरिये 65-70 रुपये लीटर तेल इन धनपशुओं ने बेचा था और अपने प्रयास में सफल हुए थे । सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि कहीं यह दूसरा तंत्र इस षडयंत्र की तरह की कार्यवाही करके बाजार में फिर 25-30 रुपये लीटर दूध न बिकवा दे । कहीं ऐसा न हो कि स्वास्थ्य विभाग और दुग्ध विभाग की कार्यवाही में एकरूपता न होने के कारण यह दूसरा तंत्र अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाय । सरकार को इस प्रकार से सोच समझ कर कार्यवाही करनी चाहिए । इसका असर उन पर पड़ेगा । आपको सरकार को और पार्टी को बचाना भारी पड़ सकता है ।

श्री रमापति शास्त्री–

अभी कहा था कि केवल दो जिलों में ऐसा नहीं है फतेहपुर में 7 लोगों को पी०एफ०ए० के अन्तर्गत सिद्धार्थनगर में 10 लोगों को हरदोई में 6, लखनऊ में 6, बदायूं में 15, मैनपुरी में 14 और संत कबीर नगर में एक लोग को, एटा में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है । इस कार्य को और प्रभावी बनाने के लिये हमने चीफ फूड इन्स्पेक्टर की भर्ती की है, फूड इन्स्पेक्टर की भर्ती की है । कुल मिलाकर नियुक्तियां की गई हैं । इसको और प्रभावी बनाने के लिये प्रत्येक जिले में दूध विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग मिल जुलकर बैठकर हल निकालेंगे किसी दूध माफिया को छोड़ेंगे नहीं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे स्पष्टीकरण का मौका दिया । मान्यवर, मैनपुरी की बात आई, मैं बताना चाहूंगा वहां पर जे०पी० सक्सेना एक जूनियर इंजीनियर कृत्रिम दूध में पकड़ा गया । वह विद्युत विभाग में था, वह विद्युत का भी गलत तरीके से उपभोग कर रहा था, वह पकड़ा गया तो उसकी जमानत तुरन्त हो गई वह अन्याय और अत्याचार कर रहा है ट्रांसफार्मर फुंक गया वह नहीं रख रहा है तो क्या उसको माननीय मंत्री जी एन०एस०ए० में बन्द करवायेंगे ।

श्री रमापति शास्त्री–

माननीय न्यायालय ने छोड़ दिया तो हमारा उसमें स्पष्टीकरण क्या है ?

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो दिनांक 26 फरवरी, 99 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई आदि द्वारा नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–28 को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22-7-99 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुयीं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	मेरठ महानगर में नालों की सफाई न किये जाने से सड़कों पर जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2–श्री कौकब हमीद	श्री सूरज वर्मा, निवासी–गाजियाबाद को मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्हें लभ्य देयों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में।
3–श्री गोमती यादव	अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला के सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त की अवधि को अर्हकारी सेवा में जोड़े जाने एवं माध्यमिक सेवा नियमावली के साथ जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
4–श्री संजय गर्ग	दैनिक दिनचर्या में पालीथिन एवं प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग के कारण होने वाले भयंकर प्रदूषण के सम्बन्ध में।
5–श्री राम औतार शाक्य	प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के विपरीत एवं चुनाव आयोग के निर्देशों के विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6–श्री उबैदुर्रहमान	महिला कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
7–डा० वकार अहमद शाह	श्रावस्ती किसान चीनी मिल, बहराइच को निरन्तर घाटे में चलने एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में।
8–श्री अमित अग्रवाल	जनपद मेरठ में वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अवैध रूप से आरा मशीनों को चलाये जाने तथा वैध रूप से संचालित आरा मशीन मालिकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9–श्री शिव बहादुर सक्सेना	जनपद–रामपुर में कोसी नदी में इण्डिया ग्लाइकोल फैक्टरी व मल्टीवाल पेपर मिल द्वारा जहरीला पानी छोड़े जाने से नदी का जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
10–श्री अजय कुमार पोइया	जिलाधिकारी, एटा द्वारा लोअर कैनाल आगरा के सहायक अभियन्ता श्री मुकेश कुमार तोमर के जाति प्रमाण-पत्र को सत्यापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11–श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद अम्बेदकर नगर के सिंचाई खण्ड टाण्डा के अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण में स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।
12–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	जनपद बांदा के ग्रामीण व हमीरपुर–बांदा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा कम चौड़ा होने से जन-सामान्य को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

13–श्री रामजग — जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्युत व्यवस्था ठीक न होने तथा विकास खण्ड तरवां में रासेपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में ।

14–श्री मुन्ना सिंह चौहान — जनपद–हरिद्वार में तहसीलदार हरिद्वार द्वारा किये जा रहे करोड़ों रुपये के घपले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

15–श्री बाबूलाल कुरील — नगर पंचायत ऊग चौकी, थाना फतेहपुर चौरासी (उन्नाव) में कार्यरत हेड कांस्टेबिल श्री भगवती प्रसाद यादव द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

16–श्री कृपाशंकर सिंह — राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद उन्नाव के मौरावां विद्युत केन्द्र के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

17–श्री विजय पाल सिंह — डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के प्रशासन द्वारा शासनादेशों के विपरीत नियुक्तियां किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

18–श्री उदयराज यादव — जनपद रायबरेली में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

19–श्री जगदीश नारायण राय — जनपद जौनपुर में पूर्व संचालित कृषि वर्कशाप के बन्द किये जाने से किसानों को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में ।

20–श्री जगन प्रसाद गर्ग — रेशम निदेशालय की साज-सज्जा के कार्यों में हुए व्यय की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में ।

21–डा० धर्मज्ञ मिश्र — जनपद हरदोई में कछौना–पतसेनी–माधोगंज वाया नगर पंचायत कुरसठ तक के घोषित मार्ग एवं सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

22–श्री इकबाल महमूद — उ० प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से संबंधित कर्मचारियों को नया वेतनमान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

23–श्री श्रीराम यादव — जनपद जौनपुर के सदर तहसील के अन्तर्गत चकबन्दी कार्यों में व्यापक अनियमितता के सम्बन्ध में ।

24–श्री विनोदमणि तिवारी — जनपद गोरखपुर की छिंतही, बन्दोह तथा कुआ न्याय पंचायतों को नवगठित जनपद महराजगंज में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में ।

25–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना — जनपद मेरठ के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।

शेष सूचना निरस्त की गयी ।

स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन की मेरठ स्थित कताई मिल की बन्दी से मजदूरों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि० के अन्तर्गत पांच कताई मिलें–झांसी, मेरठ, जसपुर, काशीपुर एवं सण्डीला में स्थापित हैं । ये कताई मिलें प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बुनकरों को सस्ते एवं उचित मूल्य पर सूत उपलब्ध कराने, स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से स्थापित की गयी हैं ।

2–वस्त्र से संबंधित कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पूर्व से ही संतोषजनक नहीं रही है । कताई मिलों में हानियां विभिन्न कारणों से हुई, जिसमें समयानुसार आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण का न होना, मांग के सापेक्ष अधिक उत्पादन क्षमता सृजन होना, सामान्यतः उद्योग में प्रचलित कार्यभार मानकों के सापेक्ष अधिक कार्मिकों का नियोजन, जिसमें वेतनभार अपेक्षाकृत अधिक होना, मिलों में लगातार श्रमिक समस्याओं का जारी रहना, वेतन और विद्युत भार का बढ़ते जाना, लगातार घाटों के कारण कार्यशील पूंजी का अभाव, जिसके फलस्वरूप क्षमता उपयोग कम होना एवं घाटे की प्रक्रिया जारी रहना, प्रबन्धकीय कमियों, पिछले दो वर्षों से विपरीत बाजारी दशायें आदि रही हैं ।

3–उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि० की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

क्रमांक	मिल का नाम	कब से बन्द है	कर्मचारियों की संख्या/स्थाई कर्मचारियों की संख्या	बकाया वेतन/ मजदूरी की अवधि	माह जून, 99 तक बकाया वेतन तथा वैधानिक दायित्वों सहित (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	कताई मिल झांसी	नव० 1997	2348/964	सित० 98	221.00
2	कताई मिल, जसपुर	अक्टू० 98	1204/510	अक्टू० 98	150.00
3	कताई मिल सण्डीला	नव० 98	2338/1036	अक्टू० 98	242.00
4	कताई मिल काशीपुर	दिस० 98	2295/1031	दिस० 98	220.00
5	कताई मिल मेरठ	जून, 99	2250/1024	मार्च 99	160.00
6	मुख्यालय			जून 99	12.00
	कुल योग				1005.00

4–कताई मिल मेरठ की स्थापना वर्ष 1977 में 50168 तकुओं की क्षमता से की गयी थी । इस इकाई की वित्तीय स्थिति पूर्व से संतोषजनक नहीं है । इस इकाई में माह मई, 1999 तक संचित हानि,

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शुद्ध हानि नगद हानि एवं आपरेटिंग हानि क्रमशः रु० (–) 2981.49, (–) 1305.22 एवं रु० 1215.42 लाख रही है ।

5–उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, की नेटवर्थ ऋणात्मक हो जाने के कारण दिसम्बर, 1994 में बी०आई०एफ०आर० में संदर्भित किया गया था । बी०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजना के अनुसार उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि० को वांछित सुविधाएं उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

6–वर्तमान में स्पिनिंग इकाईयां पूरे देश में संकट के दौर से गुजर रही हैं वर्ष 1998 में 257 मिलें बन्द थी और 63,60,000 तकुये बन्द हो चुके थे । उक्त के अतिरिक्त फाइनेन्शियल एक्सप्रेस मुम्बई से प्रकाशित समाचार दिनांक 2-12-1998 के अनुसार मई, 1998 तक 449 कताई मिलें बन्द हो चुकी थीं ।

7–मा० मंत्रि-परिषद् द्वारा उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि० समूह की 23 कताई मिलों का अध्ययन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ से कराने का निर्णय लिया गया है । उक्त अध्ययन के प्रथम चरण की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और अंतिम चरण की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है । उक्त अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इन इकाईयों को दी जाने वाली सहायता एवं उनके भविष्य पर निर्णय लिया जायेगा ।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के ज्ञानपुर में प्रस्तावित 33 के०वी०ए० पावर हाउस सेमराधनाथ तथा रमईपुर में निर्माण किये जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद रविदास नगर (भदोही) के ग्राम सेमराधनाथ तथा रमईपुर में नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण वर्ष 1998-99 के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया था । सेमराधनाथ में उपकेन्द्र के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 113.04 लाख रुपये तथा रमईपुर में उपकेन्द्र के निर्माण की लागत लगभग 106.63 लाख रुपये है । इन दोनों उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त कर ली गयी है किन्तु धन के अभाव के कारण गत वर्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका । अतः इन उपकेन्द्रों का निर्माण वर्ष 1999-2000 के कार्यक्रम में पुनः सम्मिलित कर लिया गया है । इन दोनों उपकेन्द्रों का निर्माण संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा ।]

प्रदेश में फर्जी फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा करोड़ों/अरबों रुपयों का घोटाला किये जाने एवं जनता को धोखा देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियां रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट–1934 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक व रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज द्वारा शासित होती है । इनकी संख्या में पर्याप्त बढ़ोत्तरी के उपरान्त भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1997 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट में संशोधन किया गया जिसके फलस्वरूप 9 जनवरी, 1997 के उपरान्त कोई भी नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक से

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना अपना व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर सकती है । इसके अतिरिक्त ऐसी नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियां जो 9 जनवरी, 1997 के पूर्व 'अन इनकारपोरेटेड' थी, उन्हें 6 माह अर्थात 8 जुलाई, 1997 तक की अवधि में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिये जाने के निर्देश दिए गये थे । तद्नुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करके उनका निरस्तीकरण/रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है । ऐसी 1030 कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन प्रार्थना-पत्रों के निरस्तीकरण की सूचना रिजर्व बैंक द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी है ।

प्रदेश शासन का अभी तक इन कम्पनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है । यद्यपि गत वित्तीय वर्ष से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर वित्त विभाग द्वारा सचिव, वित्त की ओर से दिनांक 4-1-99 को समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है कि वे अपनी अधिकारिता क्षेत्र में कार्यरत ऐसी संस्थाओं के कार्यकलापों पर नजर रखे और सुनिश्चित करें कि वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्राविधानों के बिना आम जनता से धन प्राप्त न करें और यदि ऐसी संस्थाएं अनियमित कार्य करती हुई पायी जाती हैं तो उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करायें ।

वित्त विभाग द्वारा प्रमुख सचिव, गृह को दिनांक 5 जून, 99 को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया गया है कि वे नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा प्रदेश में किए जा रहे आर्थिक अपराधों के संबंध में एक आर्थिक अपराध शाखा (ई०ओ०डब्ल्यू०) सेल का गठन करें साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त पंजीकरण निरस्त की गई कम्पनियों की लिस्ट भेजते हुए यह भी अनुरोध किया गया है यदि इन अपंजीकृत कम्पनियों द्वारा प्रदेश में धन जमा कराया जाता है तो वे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें ।

नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों पर प्रदेश शासन के नियंत्रण एवं प्रभावी कार्यवाही के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 12-10-98 व दिनांक 5-6-99 व दिनांक 1-7-99 को उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई को पत्र भेजे गये हैं जिसका उत्तर उनसे अभी तक वित्त विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है ।

जहां तक अग्रेनीयन्स फील्ड्स एवं फोरेस्ट लि०, देहरादून द्वारा प्रदेश की जनता का 3 करोड़ 86 लाख 68 हजार 305 रुपया हड़प लिए जाने का संबंध है तो इस संबंध में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून से प्राप्त सूचना के अनुसार अग्रेनियन्स फील्ड एण्ड फोरेस्ट लि०, देहरादून के विरुद्ध 28 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जिनमें 25 अभियोगों में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए गये हैं । नामित अभियुक्त एच०एस० सन्धु, चेयरमैन, कुलदीप सिंह, श्रीमती इन्दू अरोड़ा व श्री के०सी० आहूजा, निदेशक, कारागार में निरुद्ध हैं, साथ ही निवेशक कल्याण समिति, देहरादून के संरक्षक श्री सी०के० वर्मा द्वारा अग्रेनियन्स फील्ड एण्ड फोरेस्ट लि०, देहरादून में निवेशकों के जमा धन के संबंध में की गई शिकायत की जांच अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान संगठन, उत्तर प्रदेश (ई०ओ०डब्ल्यू०) द्वारा भी कराई गई । जांच में कम्पनी के चकरौता रोड, देहरादून स्थित मुख्य कार्यालय को स्थानीय पुलिस द्वारा सील बन्द कर दिया गया है । देहरादून जनपद में वर्ष 1998-99 तक कुल 23 फाइनेन्स कम्पनियों के विरुद्ध 160 अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं । उक्त फाइनेन्स कम्पनियों के विरुद्ध जो अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है उनकी पैरवी निरन्तर सघन रूप से की जा रही है । ।

प्रदेश में नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के फलस्वरूप छात्र एवं छात्राओं के प्रवेश में हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

((सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि इस पर सदन में चर्चा करायी जाय । शिक्षा का नया सत्र प्रारम्भ हो गया है और विद्यालयों में छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश न मिलने के कारण जटिल समस्या पैदा हो गयी है । छात्र और छात्राओं तथा उनके अभिभावकों में प्रवेश न मिलने के कारण निराशा, असन्तोष और आक्रोश व्याप्त है । यह समस्या प्रदेश के हर जनपद में विकराल रूप धारण कर रही है । शासन की ओर से न तो बढ़ती हुई छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नये विद्यालय खोले जा रहे हैं और न ही विद्यालयों में अतिरिक्त सेक्शन्स की स्वीकृति प्रदान की जा रही है । विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, जिसके नियुक्ति के प्रति शासन भी गम्भीर नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

वक्तव्य

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक के क्षेत्र में कुल 12316 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 1438 राजकीय, 5000 शासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 5878 अशासकीय असहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं । शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । यह उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल आवंटित बजट की 95 प्रतिशत धनराशि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचरियों के वेतनादि पर व्यय की जा रही है । प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 14-10-86 से प्रदेश सरकार द्वारा निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा संचालित विद्यालयों को हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट की नवीन अथवा अतिरिक्त वर्ग/विषय की वित्त विहीन मान्यता प्रदान की जा रही है । वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में बढ़ते हुए छात्रों के प्रवेश दबाव को दृष्टिगत रखते हुए इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 9(4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुए कतिपय प्रतिबन्धों को भविष्य में पूर्ण किये जाने की शर्त के अधीन मान्यता प्रदान की गयी है । प्रदेश में गत एक वर्ष में लगभग 1057 ऐसे अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट की नवीन अथवा अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान की गयी है ।

2– बालिकाओं की शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रदेश में चिन्हित 426 ऐसे असेवित विकास खण्डों में जहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई भी हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज विद्यमान नहीं था, प्रदेश शासन द्वारा ऐसे विकास खण्डों में बालिका विद्यालयों की स्थापना योजनान्तर्गत निजी प्रबन्धतन्त्रों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु एक मुश्त अनावर्तक अनुदान प्रदान करते हुए सभी अवशेष 363 असेवित विकास खण्डों में बालिका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । 63 अन्य

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विकास खण्डों में शासकीय विद्यालय खोले जाने अथवा कन्या विद्यालयों को मान्यता दिये जाने के फलस्वरूप पहले ही सेवित हो चुके हैं । जहां तक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोले जाने का प्रश्न है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोले जाने के लिए कोई रोक नहीं है । केवल शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त अनुभाग खोले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, किन्तु यदि विद्यालय अपने स्रोतों से अध्यापकों की व्यवस्था करते हुए अतिरिक्त अनुभाग खोलना चाहते हैं तो इस पर भी कोई रोक नहीं है ।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में इण्टर कक्षाओं हेतु पत्राचार शिक्षा योजना भी संचालित है । अतः कोई अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं अथवा उनका प्रवेश नहीं हो पाया है, वे पत्राचार शिक्षा के माध्यम से इण्टर कक्षाओं में अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं ।

4– अग्रेतर यह भी उल्लेखनीय है कि विगत एक वर्ष में 26 राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया गया है और 26 नये राजकीय हाई स्कूल खोले गये हैं अथवा जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत किये गये हैं । इस प्रकार 52 राजकीय माध्यमिक विद्यालय इस अवधि में खोले/उच्चीकृत किये गये हैं ।

5– जहां तक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन कर चयन की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही उनके द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करा दिये जायेंगे । इसके पूर्व तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा 467 प्रवक्ता, 1827एल०टी० ग्रेड के शिक्षकों तथा लगभग 500 संस्था प्रधानों के रिक्त पदों पर चयन किया जा चुका है । इसी प्रकार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के पदों पर चयन कर नियुक्तियां की गयी हैं ।

6–उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश में छात्रों के प्रवेश में छात्रों के प्रवेश के बढ़ते हुए दबाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किये गये हैं । यह अवश्य हो सकता है कि किसी विद्यालय विशेष में उसकी ख्याति को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश चाहने वाले सभी छात्रों को प्रवेश सम्भव न हो सके किन्तु यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में प्रवेश की जटिल समस्या उत्पन्न हो गयी है ।]

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के कर्मचारियों को गत 20 वर्ष से मिल रही चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वाहन भत्ता व शिक्षा सहायता सुविधाओं को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एक स्वायत्तशासी संस्था है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासित है । उक्त अधिनियम की धारा–21(3) में यह प्राविधान है कि "राज्य सरकार का पुर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा ।'' पुनश्च अधिनियम की धारा–4 में यह प्राविधान है कि ''विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें'' ।

विश्वविद्यालय को निजी स्रोतों से प्रति वर्ष जो आय प्राप्त होती है उसे सम्मिलित कर विश्वविद्यालय का वार्षिक आय-व्यय अनुमान तैयार किया जाता है । शासन द्वारा इसकी मदवार व्यय सीमा अनुमोदित की जाती है और घाटे की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अनुदान स्वीकृत किया जाता है । शासन द्वारा जो अनुदान स्वीकृत किया जाता है उसमें यह स्पष्ट निदेश होता है कि स्वीकृत अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों/मदों पर ही किया जायेगा । अस्थायी रूप से इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा । स्वीकृत अनुदान का व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा । समय-समय पर जारी शासनादेशों में यह स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनानुमोदित पदों/मदों पर व्यय न किया जाय । विश्वविद्यालयों के प्रेषित परिपत्र संख्या–2732/70-4-99-46(28)/95, दिनांक 18 अगस्त, 1997 के प्रस्तर–3 में यह स्पष्ट निदेश हैं कि ''पूर्व में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/कुल सचिव/वित्त अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिये गये थे कि अनानुमोदित पदों/मदों पर व्यय तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया जाय । पुनः आदेशित किया जाता है कि अनानुमोदित मदों/पदों पर व्यय तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया जाय तथा इन मदों/पदों के सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन तत्काल प्राप्त कर लें । यदि इसके बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाता है तो विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–55 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी से अधिभार नियमावली के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ।'' परिपत्र संख्या 428/70-4-98-46(28)/95, दिनांक 13 फरवरी, 1998 के प्रस्तर–3 में यह स्पष्ट निदेश है कि शासन की अनुमति के बिना कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा अनानुमोदित पद/मद पर नहीं किया जायेगा । 'यदि कोई व्यय किया गया तो इसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से की जायेगी । ।

शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता, शिक्षा भत्ता एवं वाहन भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है । चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं अधिकारियों को लगभग 20 वर्षों से चिकित्सा भत्ता, शिक्षा भत्ता एवं वाहन भत्ता के रूप में धनराशि का भुगतान किया जा रहा है । विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित भत्ते अपने कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं :–

1–शिक्षा भत्ता	रु० 200 प्रति कर्मचारी, प्रतिमाह
2–वाहन/सवारी भत्ता	रु० 10 प्रतिदिन
3–चिकित्सा भत्ता	रु० 3000 प्रतिवर्ष

विश्वविद्यालयों के लेखों की सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग द्वारा की जाती है जिसकी वर्षानुवर्ष सम्परीक्षा प्रतिवेदन में प्रश्नगत अनानुमोदित रुपयों पर आपत्तियां उठायी जाती रही हैं । शासन द्वारा भी उक्त आपत्तियों के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय को निरन्तर निदेशित किया जाता रहा है । विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत सम्परीक्षा आपत्तियों का समय से न तो निराकरण कराया गया और न ही प्रश्नगत अनानुमोदित मदों पर व्यय की जा रही है धनराशि को रोका गया । फलस्वरूप अब यह लोक लेखा समिति के प्रस्तर बन गये हैं जिससे शासन की स्थिति असमंजसपूर्ण हो गयी है । शासन द्वारा प्रश्नगत प्रस्तरों का निस्तारण कराने हेतु विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय का कहना है कि प्रश्नगत अनानुमोदित व्यय विश्वविद्यालय कार्य परिषद् के अनुमोदन से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय प्रकरणों में विश्वविद्यालय कार्य परिषद का निर्णय शासन के पुर्वानुमोदन के अधीन है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा भी अपने कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता एवं वाहन भत्ता दिये जाने के कारण भी लोक लेखा समिति के प्रस्तर बने हैं जिनके निराकरण कराने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा अनानुमोदित मत के अन्तर्गत व्यय की जा रही धनराशि को रोक कर सम्बन्धित कर्मचारियों से पूर्व व्यय की गयी धनराशि की वसूली की जा रही है।

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बन्धित लोक लेखा समिति के प्रश्नगत प्रस्तरों का निस्तारण तभी सम्भव होगा जब विश्वविद्यालय उक्त अनानुमोदित मदों पर व्यय की जा रही धनराशि को रोक कर भुगतान की गयी धनराशि की सम्बधित कर्मचारियों से वसूली कराना सुनिश्चित करेगा। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–1165/70-4/99-46(23)/99, दिनांक 26-5-99 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त मदों पर व्यय की जा रही धनराशि के भुगतान पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगा दिया जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा 15-6-99 से विश्वविद्यालय कार्य का बहिष्कार कर दिया और मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका प्रस्तुत कर शासन के दिनांक 26-5-99 के आदेश पर अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अब दिनांक 8-7-99 से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से विश्वविद्यालय का कार्य किया जा रहा है। प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से लम्बित है।]

जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत केदारनाथ में 33/11 के० वी० ए० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[वर्तमान में जनपद अम्बेदकरनगर के केदार नगर की विद्युत आपूर्ति 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र टाण्डा एवं महरीपुर (2x5 एम० वी० ए० प्रत्येक) से निकलने वाले 11 के० वी० पोषकों से की जा रही है। उक्त पोषकों पर अधिकतम विद्युत भार दिनांक 15-7-99 को 75 एम्पीयर तक पहुचा है।

पिछले 3 माह में केदारनगर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति लगभग 10 से 12 घण्टे प्रति दिन की जा रही है। कभी-कभी विद्युत आपूर्ति में आकस्मिक आपात कटौती विद्युत उत्पादन में कमी के कारण अपरिहार्य हो जाती है।

केदारनगर क्षेत्र बुनकर बाहुल्य, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में लगभग 500 बुनकर 50 लघु एवं मध्यम उद्योग तथा 100 निजी नलकूप उपभोक्ता हैं तथा भविष्य में विद्युत भार बढ़ने की संभावना है।

वर्तमान स्थितियों में केदारनगर में नये 33 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण की उपयोगिता का परीक्षण तथा क्षेत्रीय तकनीकी समिति का अनुमोदन कराकर अपनी सुस्पष्ट आख्या के साथ प्रस्ताव भेजने के लिये मुख्य अभियन्ता (वितरण), लखनऊ क्षेत्र को निर्देश दे दिये गये हैं। उनकी आख्या प्राप्त होने पर यदि नये 33 के० वी० उपकेन्द्र की आवश्यकता हुई तो संसाधन की उपलब्धता तथा कार्यों की वरीयता को दृष्टिगत रखते हुये इस पर विचार किया जायेगा।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगरपालिका परिषद् दुगड्डा के कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक समय से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोष के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा–जनपद पौड़ी गढ़वाल का गठन वर्ष 1963 में हुआ था । यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां 1-4-97 से प्रभावी हो जाने के कारण विभिन्न मदों यथा–चुंगीकर, पथकर, वेतन अंशदान, सड़क अंशदान, मार्ग प्रकाश व सफाई उपकरण आदि दी जाने वाली अनुदान की धनराशि का दिया जाना अब समाप्त कर दिया गया है तथा आयोग की संस्तुति के अनुसार राज्य के कुल कर राजस्व की शुद्ध आय का 7% भाग, जिसमें वर्षानुवर्ष वृद्धि होगी, नगर निगमों नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के बीच क्रमशः 3.12 प्रतिशत, 3.12 प्रतिशत तथा 0.76 प्रतिशत की दर से संक्रमित किया जा रहा है । राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन नगरपालिका परिषद् दुगड्डा को वर्ष 1998-99 में रुपया 12.06 लाख अवमुक्त हुआ है । वित्तीय वर्ष 1999-2000 में अब तक कुल रुपया 8.88 लाख अवमुक्त किया गया है । यहां के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए रुपया 14.88 लाख की वार्षिक आवश्यकता है इससे स्पष्ट है कि इस नगरीय निकाय को अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने के लिए अपने संसाधनों से भी आय बढ़ानी चाहिए ।

3– नगरीय निकायों को पूर्व में अपने संसाधनों से आय बढ़ाने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये गये हैं –

(क) नगरीय निकायों के लिए अधिनियम में वर्णित सभी प्रकार के करों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है । नगरपालिका परिषद् व नगर पंचायतों के लिए करों के निर्धारण का अधिकार विकेन्द्रित करते हुए मण्डलायुक्तों में निहित किया गया है ।

(ख) नगरीय निकायों के द्वारा लगाये जाने वाले करेत्तर शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है एवं इन्हें भविष्य में स्थानीय आवश्यकतानुरूप परिवर्तित करने के लिए नगरीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियम में परिवर्तन कर, नगरीय निकायों को अधिकृत किया गया है ।

(ग) प्रदेश की नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने, संसाधनों में अभिवृद्धि करने तथा स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए धन की कमी को पूरा करने के लिए नगरीय अवस्थापना विकास विधि (अरबन इन्सासेट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड) की अवस्थापना की गई । सभी नगरीय निकायों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने निष्प्रयोज्य, अतिक्रमित भूमि, भवन भूखण्डों को अधिकतम दरों पर निस्तारित कर अपने आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करें ।]

जनपद आजमगढ़ के आई० टी० आई० स्कूल मेंहनगर को आजमगढ़ शहर में न चलाकर मेंहनगर मुख्यालय पर पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित जन प्रतिनिधियों की संस्तुति के अनुसार आजमगढ़ के कस्बा मेंहनगर में कतिपय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण सीटें स्थानान्तरित करके तीन व्यवसायों अर्थात् कटिंग टेलरिंग–16, इम्ब्राइडरी–16 तथा फिटर –16 सीटों की प्रशिक्षण व्यवस्था वहां किराये के भवन उपलब्ध होने के उपरान्त अगस्त, 1988 से प्रारम्भ की गई थी । मेंहनगर में इन प्रशिक्षण सीटों पर वर्ष 1988 से 1991 तक प्रवेश की स्थिति संतोषजनक नहीं रही तथा उपलब्ध कराई गई

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रशिक्षण क्षमता का समुचित प्रयोग नहीं हो पाया । इसी के साथ-साथ अगस्त, 1991 में प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ द्वारा सूचित किया गया कि किराये की भवन की छतों से पानी गिरने के कारण मशीनों का काफी नुकसान हो रहा है, मकान मालिक भवन खाली करने को कह रहे हैं तथा भवन मरम्मत कराने से इन्कार कर रहे हैं । इन परिस्थितियों में तीनों व्यवसायों को मुख्यालय स्थित आजमगढ़ संस्थान, में संचालित किये जाने के लिये बाध्य होना पड़ा तथा यह प्रशिक्षण सीटें वहां स्थानान्तरित कर दी गई एवं तबसे आजमगढ़ संस्थान में उक्त प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है । मेंहनगर में व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के आंकलन एवं तद्नुसार वांछित व्यवस्था किये जाने का मामला मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एतद्विषयक गठित समिति को संदर्भित कर दिया गया है ! तद्नुसार संस्तुति प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।]

प्रदेश के उन क्षेत्रों में जिनमें नहर होने के बावजूद सिंचाई हेतु किसानों को पानी न मिल पाने की दशा में भी उनसे सिंचाई शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इसे कल के लिए स्थगित किया जाता है ।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाने, रसायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुआई के समय होने वाली रसायनिक खादों की कमी को दूर करने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत श्री राजधारी, डा० राम बाबू हरित तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इसे कल के लिए स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 08 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

22 जुलाई, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी० एल० 275 विधान सभा (740)–2000–813 (डी०टी०पी०) ।